

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

राजस्व क्षेत्र
पर

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या-1

अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii-x
अध्याय-I: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकाया का विश्लेषण	1.2	4
निर्धारणों में बकाया	1.3	5
विभाग द्वारा पता लगाया गया कर अपवंचन	1.4	6
प्रत्यर्पण मामले	1.5	6
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/ विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	7
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.6.2	8
लेखापरीक्षा को संवीक्षा हेतु अभिलेखों की अनुपलब्धता	1.6.3	9
प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया	1.6.4	9
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति	1.6.5	9
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों को निपटाने के लिए तंत्र का विश्लेषण	1.7	10
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.7.1	10
स्वीकार किए गए मामलों में वसूली	1.7.2	11
विभागों/ सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई	1.7.3	12
आंतरिक लेखापरीक्षा	1.8	12
लेखापरीक्षा योजना	1.9	12
लेखापरीक्षा परिणाम	1.10	13
वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति		
इस प्रतिवेदन की आवृत्ति	1.11	13
अध्याय-II: बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्य वर्धित कर		
कर प्रशासन	2.1	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	15
“बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत बकाया” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.3	16-32
कुल बिक्री का गलत निर्धारण	2.4	33
कर की गलत दर लागू करना	2.5	34
श्रम प्रभारों/ सामग्री की लागत का गलत अनुमोदन	2.6	34

कर की रियायती दर का गलत अनुमोदन	2.7	35
अवैध, डूप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों को स्वीकार करने के कारण कर अपवंचन	2.8	36
अवैध, डूप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण/ दुरुपयोग- प्रपत्र-‘सी’ तथा ‘एफ’	2.8.1 एवं 2	36-37
निवेश कर क्रेडिट की अनुमति	2.9	37
निवेश कर क्रेडिट की अनियमित अनुमति	2.9.1	37
शाखा हस्तांतरण/ प्रेषित माल पर निवेश कर क्रेडिट की गलत अनुमति	2.9.2	38
कर बीजकों के बिना निवेश कर क्रेडिट अनुमत करना	2.9.3	38
गलत परिकलन पर निवेश कर क्रेडिट की आधिक्य अनुमति	2.9.4	39
अध्याय-III: राज्य आबकारी		
कर प्रशासन	3.1	41
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	41
न्यूनतम गारंटीड कोटा के कम उठाने पर अतिरिक्त फीस का उद्ग्रहण न करना	3.3	42
एल-13 बिक्री केन्द्र न खोलने के कारण निर्धारित फीस की वसूली न करना	3.4	42
बंधपत्र के प्रावधानों को लागू न करना	3.5	43
लाइसेंस फीस की अल्प वसूली	3.6	44
लाइसेंस फीस की विलंबित अदायगी पर ब्याज का उद्ग्रहण न करना	3.7	44
बोतलीकरण लाइसेंस फीस की अल्प वसूली	3.8	45
आसवनी/ बंधक माल गोदामों में तैनात आबकारी स्थापना स्टाफ के वेतन की वसूली न करना	3.9	46
अध्याय-IV: स्टाम्प शुल्क		
कर प्रशासन	4.1	47
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	47
पटवारियों द्वारा गलत मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया जाना	4.3	48
सम्पत्तियों के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण	4.3.2	48
आसन्न महाल का निम्न दरों पर प्रलेख पंजीयन	4.4	49
पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प उगाही	4.5	50
अध्याय-V: वाहन, माल व यात्री कर		
कर प्रशासन	5.1	51
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.2	51
‘विशेष पथ कर का निर्धारण और संग्रहण’ पर लेखापरीक्षा	5.3	52
करों की अवसूली	5.4	57
सांकेतिक कर	5.4.1	57
प्रवेश कर की अवसूली/ अल्पवसूली	5.4.2	58
प्रयोक्ता प्रभारों को जमा न करवाना	5.5	59

आबकारी एवं कराधान प्राधिकारियों के पास माल व यात्री वाहनों का पंजीकरण न करवाना		5.6	59
माल व यात्री कर की अवसूली		5.7	61
वाहनों के पंजीकरण के पश्चात कर की अवसूली		5.8	62
कर का भुगतान न करना		5.8.1	62
निर्माण कम्पनियों से माल कर की अवसूली		5.8.2	63
अध्याय-VI: अन्य कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां			
कर प्रशासन		6.1	65
लेखापरीक्षा के परिणाम		6.2	65
जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटारा न करने के कारण राजस्व का अवरोधन		6.3	66
राजस्व की अल्प वसूली		6.4	66
विभागीय प्रभारों को जमा न करवाना		6.5	67
रेजिन ब्लेजों का अनियमित विलोपन		6.6	67
'लघु खनिजों से प्राप्तियों' पर लेखापरीक्षा		6.7	68
परिशिष्ट			
I	परिचय	2.3.1	75
II	बकाया का अल्प लेखाकरण	2.3.6.1	76
III		2.3.6.1	77
IV	मांग तथा संग्रहण पंजिका का गैर अनुरक्षण	2.3.6.2	77
V	प्रपत्र -'सी' का अवैध, डूप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण/ दुरुपयोग- प्रपत्र -'सी'	2.8.1	78
VI	अवैध तथा डूप्लीकेट प्रपत्र-'एफ'	2.8.2	79

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में आबकारी एवं कराधान, राजस्व, परिवहन, वन तथा खानों एवं भू-गर्भ विज्ञान के विभागों से अंतर्विष्ट सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार के विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित वे उदाहरण हैं जो 2013-14 की अवधि के दौरान की गई लेखापरीक्षा जांच में सामने आए, साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान सामने आए किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे; जहां कहीं अनिवार्य है 2013-14 के पश्चात की अवधि से सम्बंधित उदाहरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप परिचालित की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर के अवनिर्धारण, राज्य आबकारी शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, यात्री तथा माल कर और रॉयल्टी आदि के अनुदग्रहण/ अल्पोद्ग्रहण से सम्बंधित ₹72.17 करोड़ की वित्तीय प्रभावशीलता से अंतर्विष्ट 27 परिच्छेद तथा **‘बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत बकाया’** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित है। कुछ प्रमुख परिणामों का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

वर्ष 2013-14 की सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष की ₹15,598.14 करोड़ की तुलना में ₹15,711.08 करोड़ थी। इसमें से 44 प्रतिशत कर राजस्व (₹5,120.91 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹1,784.53 करोड़) के माध्यम से जुटाई गई थी। शेष 56 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों (₹2,491.53 करोड़) तथा सहायता अनुदानों (₹6,314.11 करोड़) के राज्यांश के रूप में भारत सरकार से प्राप्त किया गया।

(परिच्छेद 1.1.1)

वर्ष 2013-14 के दौरान बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, माल एवं यात्री कर, वन प्राप्तियां तथा खान एवं भू-गर्भ विज्ञान की 185 इकाइयों के अभिलेखों की परिचालित की गई नमूना-जांच से 754 मामलों में कुल ₹212.21 करोड़ का राजस्व का अवनिर्धारण/ अल्पोद्ग्रहण/ हानि उद्घाटित हुई। वर्ष के दौरान सम्बंधित विभागों ने 620 मामलों में ₹27.98 करोड़ से अंतर्ग्रस्त अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में उजागर की गई थी। विभागों ने 2013-14 के दौरान विगत वर्षों की लेखापरीक्षा परिणामों से सम्बंधित 447 मामलों में ₹9.32 करोड़ का संग्रहण किया।

(परिच्छेद 1.10)

II. बिक्री व्यापार आदि पर कर/ मूल्य वर्धित कर

‘बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत बकाया’ पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा परिचालित की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्नवत् हैं:

- अप्रैल 2008 से मार्च 2013 तक की अवधि में शेष बकाया ₹113.29 करोड़ से ₹235.33 करोड़ (52 प्रतिशत) बढ़ा।

(परिच्छेद 2.3.5)

- ₹10.98 करोड़ की अतिरिक्त मांग की बकाया में गणना नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप विभागीय पुस्तकों में बकाया की अल्प गणना हुई। इसके अतिरिक्त प्रत्यार्पित मामलों के कर निर्धारण न किये जाने के कारण ₹12.92 करोड़ की राशि के बकाया की कटौती उचित नहीं थी।

(परिच्छेद 2.3.6.1)

- कर की अतिरिक्त मांग के विलम्बित भुगतान पर ₹38.33 लाख की राशि के ब्याज 104 मामलों में न तो कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मांगे गए थे और न ही चूककर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए।

(परिच्छेद 2.3.11)

- व्यापारियों से जमानत की अनुचित स्वीकृति/ जमानत की अवसूली तथा प्रतिभूति के प्राप्त न होने/ अपवर्तन के आधार पर बकाया की वसूली के लिए उपलब्ध उपायों के समाप्त न होने के कारण ₹130.85 करोड़ की बकाया राशि को वसूल नहीं किया जा सका था।

(परिच्छेद 2.3.14.1 से 2.3.14.3)

लेनदेन लेखापरीक्षा

सकल कुल बिक्री अथवा कर योग्य कुल बिक्री कुल प्रमाणित प्राप्तियों की तुलना में निम्नतर की ओर निर्धारित की गई थी तथा माल/ किराया प्रभार विवरणियों में सम्मिलित नहीं किये गए थे जिसके परिणामस्वरूप 13 मामलों में ₹4.43 करोड़ के कर के अल्पोद्ग्रहण के अतिरिक्त ₹3.92 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.4.1 तथा 2.4.2)

12.50 प्रतिशत /13.75 प्रतिशत की लागू दर के बजाए चार/ पांच प्रतिशत की निम्नतर दर पर किये गए बिक्री के कर निर्धारण के परिणामस्वरूप 11 मामलों में ₹7.00 करोड़ के कर की अल्प उगाही के अतिरिक्त ₹4.96 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.5)

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा श्रम/ सामग्री प्रभारों के आधार पर सकल कुल बिक्री से ₹18.22 करोड़ की अधिक कटौती के परिणामस्वरूप 11 मामलों में ₹2.12 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(परिच्छेद 2.6)

₹108.02 करोड़ की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर एक प्रतिशत के कर की रियायती दर का लाभ औद्योगिक रूप से विकासशील/ पिछड़े क्षेत्रों में स्थित सात औद्योगिक इकाइयों को दिया गया था जिन्होंने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनी इकाइयों में हिमाचल के मूल निवासियों को 70 तथा 80 प्रतिशत अनिवार्य रोजगार नहीं दिये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹1.45 करोड़ के कर के अवनिर्धारण के अतिरिक्त ₹1.20 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.7)

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण/ अपूर्ण/ ड्रूप्लिकेट सांविधिक प्रपत्र 'सी' तथा 'एफ' की स्वीकृति तथा कर की छूट/ रियायती दर की अनुमति के परिणामस्वरूप 10 मामलों में ₹44.30 लाख

के कर के अल्पोद्ग्रहण के अतिरिक्त ₹41.16 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.8.1 तथा 2.8.2)

विभिन्न पद्धतियों को लागू करते हुए अंत स्टॉक पर कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹1.56 करोड़ के निवेश कर क्रेडिट की गलत अनुमति से 50 मामलों में ₹1.57 करोड़ की राशि की कर दायिता आस्थगित हुई थी, इसके अतिरिक्त ₹98.06 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

(परिच्छेद 2.9.1)

III. राज्य आबकारी

शराब के 4,92,292.40 प्रूफ लीटर न उठाए जाने के कारण 237 मामलों में 2011-12 के दौरान भुगतान योग्य अतिरिक्त फीस की कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा मांग नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹98.46 लाख की राशि के आबकारी शुल्क की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 3.3)

दो आसवनियों तथा चार मद्यनिर्माणशालाओं में तैनात आबकारी स्थापना स्टाफ के ₹38.77 लाख की वेतन की देयताएं 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए लाइसेंसधारियों से वसूल नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 3.9)

IV. स्टाम्प शुल्क

पटवारियों द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदनों को गलत तैयार करने के कारण ₹2.77 करोड़ के स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प वसूली तथा 321 मामलों में सम्पत्ति के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण हुआ था।

(परिच्छेद 4.3.1 तथा 4.3.2)

पंजीकरण प्रलेखों में आसन्न महॉल की निम्नतर दरों के लागू किये जाने के कारण आठ मामलों में ₹2.16 करोड़ के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प उगाही हुई।

(परिच्छेद 4.4.1 तथा 4.4.2)

V. वाहन, माल तथा यात्रियों पर कर

अन्य राज्यों, हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा निजी स्टेज कैरिजों के स्टेज कैरिज मालिकों के सम्बंध में गलत दर तथा मील-दूरी लागू किये जाने के परिणामस्वरूप 226 मामलों में शास्ति से अंतर्विष्ट ₹11.67 करोड़ के विशेष पथ कर का अल्प निर्धारण/उगाही हुई।

(परिच्छेद 5.3.3 तथा 5.3.4)

जारी परमिटों की संख्या तथा सड़क पर चल रही स्टेज कैरिजों की संख्या के अभिलेखों का उचित अनुरक्षण किए बिना विशेष पथ कर (न्यून शास्ति से अंतर्विष्ट) की छूट दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप 10 मामलों में ₹0.25 करोड़ की न्यून शास्ति से अंतर्विष्ट ₹1.27 करोड़ के विशेष पथ कर का निर्धारण नहीं हुआ।

(परिच्छेद 5.3.6)

2011-12 तथा 2012-13 वर्षों के लिए ₹2.67 करोड़ का सांकेतिक कर तथा प्रवेश कर 4,207 वाहन मालिकों द्वारा न तो अदा किया गया और न ही विभाग द्वारा मांगा गया।

(परिच्छेद 5.4.1 तथा 5.4.2)

मोटर वाहन कर विभाग के पास पंजीकृत होने के पश्चात आबकारी एवं कराधान विभाग के पास 2010-11 से 2012-13 की अवधि के लिए 3,581 वाणिज्यिक वाहन पंजीकृत नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप सम्बंधित पंजीकरण लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के मध्य समन्वय की कमी के कारण ₹2.29 करोड़ की राशि के यात्री तथा माल कर की उगाही नहीं की गयी थी।

(परिच्छेद 5.6)

VI. अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

परियोजना के संरेखण क्षेत्र में पड़ने वाले विभिन्न प्रजातियों के 14,185 पेड़ों की लागत के प्रभारित न किये जाने/ अल्प प्रभारित किये जाने के कारण पांच वन मण्डलों में मूल्य वर्धित कर से अंतर्विष्ट ₹33.94 लाख के राजस्व की अवसूली/ अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 6.4)

खनिजों के अवशोषण, रॉयल्टी की गलत दरें लागू करना, निष्क्रिय किराया, न्यूनतम किराया के अवनिर्धारण तथा ब्याज के अनुद्ग्रहण के कारण 136 मामलों में ₹55.73 लाख के सरकारी राजस्व की अवसूली/ अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 6.7.1 से 6.7.1.4)

અધ્યાય-1
સામાન્ય

अध्याय-I

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2013-14 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जुटाए गए कर एवं कर-भिन्न राजस्व, राज्य को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का राज्यांश तथा वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान एवं विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े तालिका 1.1 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

₹ करोड़						
क्रमांक	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व					
	• कर राजस्व	2,574.52	3,642.38	4,107.92	4,626.17	5,120.91
	• कर-भिन्न राजस्व	1,783.66	1,695.31	1,915.20	1,376.88	1,784.53
	योग	4,358.18	5,337.69	6,023.12	6,003.05	6,905.44
2.	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	• विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का अंश	861.63	1,715.35	1,998.37	2,282.02	2,491.53 ¹
	• सहायता अनुदान	5,126.55	5,657.57	6,521.37	7,313.07	6,314.11
	योग	5,988.18	7,372.92	8,519.74	9,595.09	8,805.64
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 तथा 2)	10,346.36	12,710.61	14,542.86	15,598.14	15,711.08
4.	1 से 3 की प्रतिशतता	42	42	41	38	44

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व (₹6,905.44 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 44 प्रतिशत था। वर्ष 2013-14 के दौरान प्राप्तियों का शेष 56 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

1.1.2 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान जुटाए गए कर राजस्व का ब्यौरा तालिका 1.2 में दिया गया है:

¹ विवरण के लिए कृपया वर्ष 2013-14 के हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों में विवरणी संख्या-11-'लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का सविस्तृत विवरण' देखें। कर राजस्व के अंतर्गत पुस्तांकित आंकड़े, मुख्य प्राप्ति शीर्ष-0020-निगम कर, 0021-निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर, 0032-सम्पत्ति कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-संघीय आबकारी शुल्क, 0044-सेवा कर-0045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क-901-क-कर राजस्व के अंतर्गत पुस्तांकित राज्य को समनुदेशित निवल आगमों के अंश के अंतर्गत आंकड़े जुटाए गए राजस्व से निकाल दिए गए हैं तथा विभाज्य संघीय करों के राज्यांश में सम्मिलित किए गए हैं।

तालिका 1.2
जुटाए गए कर राजस्व का विवरण

₹ करोड़													
क्रमांक	राजस्व शीर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2013-14 में वृद्धि (+) अथवा (-) कमी की प्रतिशतता	
		बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन के प्रति वास्तविक	2012-13 के प्रति वास्तविक
1	विक्री व्यापार आदि पर कर	1,604.17	1,487.40	1,741.18	2,101.10	2,444.27	2,476.78	3,161.57	2,728.22	3,232.90	3,141.10	(-) 3	15
2	राज्य आवकारी	480.07	500.26	549.46	561.53	709.74	707.36	800.14	809.87	949.46	951.96	0.26	18
3	मोटर वाहन कर	156.98	133.97	134.64	163.02	173.08	176.03	215.39	196.13	246.88	207.81	(-)16	6
4	स्टाम्प शुल्क	109.73	113.39	115.78	132.69	142.76	155.09	159.05	172.61	201.22	187.50	(-) 7	9
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	103.86	39.08	114.26	301.59	190.00	185.47	217.03	262.63	248.77	191.36	(-) 23	(-) 27
6	भू-राजस्व	1.94	14.54	2.02	4.78	1.90	17.86	4.01	23.60	4.00	9.98	149	(-) 58
7	अन्य	242.97	285.88	298.19	377.67	378.08	389.33	500.23	433.11	489.76	431.20	(-) 12	(-) 0.4
	योग	2,699.72	2,574.52	2,955.53	3,642.38	4,039.83	4,107.92	5,057.42	4,626.17	5,372.99	5,120.91	(-) 5	11

सम्बंधित विभागों ने भिन्नता के निम्नांकित कारण बताए:

स्टाम्प शुल्क: वृद्धि वर्ष के दौरान अधिक प्रलेखों के पंजीकरण के आधार पर पंजीकरण फीस की प्राप्तियों के संग्रहण के कारण थी।

विद्युत पर कर तथा शुल्क: कमी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विगत वर्षों के बकाया सहित विद्युत शुल्क की संपूर्ण राशि को जमा न करवाने के कारण थी।

भू-राजस्व: 2013-14 के बजट प्राक्कलनों के प्रति वास्तविक में वृद्धि अधिक प्रलेखों के पंजीकरण की पंजीकरण फीस की प्राप्तियों के कारण थी। विगत वर्ष के प्रति 2013-14 के वास्तविक में कमी के लिए कारण प्रस्तुत नहीं किये गए थे।

अन्य विभागों ने उनसे अनुरोध किये जाने (अगस्त 2014) के बावजूद विगत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में विविधता के कारण प्रस्तुत नहीं किये थे (दिसम्बर 2014)।

1.1.3 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान जुटाए गए कर-भिन्न राजस्व का ब्यौरा तालिका 1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.3
जुटाए गए कर-भिन्न राजस्व का ब्यौरा

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	₹ करोड़											
		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2013-14 में वृद्धि (+) अथवा (-) कमी की प्रतिशतता	
		बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन के प्रति वास्तविक	2012-13 के प्रति वास्तविक
1	विद्युत	1,105.00	1,214.80	1,250.00	1,093.21	1,400.00	1,145.70	1,243.00	637.15	1,470.25	696.29	(-)53	9
2	व्याज प्राप्ति	105.27	76.93	45.12	69.95	48.41	115.09	125.56	69.90	176.14	118.61	(-)33	70
3	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	71.33	85.09	85.00	113.84	110.50	120.12	137.94	147.90	151.10	111.08	(-)26	(-) 25
4	वानिकी एवं वन्य जीवन	67.16	72.11	71.77	65.44	84.78	106.54	75.31	63.90	86.45	357.83	314	460
5	लोक निर्माण कार्य	21.22	30.81	23.40	34.66	30.14	41.63	38.89	39.72	42.59	34.75	(-)18	(-) 13
6	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	20.15	17.28	17.26	31.00	17.92	26.23	33.39	45.71	35.09	25.95	(-)26	(-) 43
7	पुलिस	14.05	11.57	17.08	19.10	18.42	15.39	21.03	20.63	29.57	34.65	17	68
8	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	8.00	5.81	8.57	8.40	6.90	8.66	7.13	11.21	8.59	5.04	(-)41	(-) 55
9	सहकारिता	4.28	3.35	4.31	9.59	3.23	2.30	3.46	3.24	4.48	15.30	242	372
10	विविध सामान्य सेवाएं	41.24	1.05	0.84	2.06	0.82	40.01	1.87	8.94	1.99	5.65	184	(-)37
11	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	0.32	0.14	0.42	6.84	0.46	0.36	0.81	0.33	0.81	0.37	(-)54	12
12	अन्य कर-भिन्न प्राप्ति	156.57	264.72	254.39	241.22	272.92	293.17	314.21	328.25	385.58	379.01	(-)17	15
योग		1,614.59	1,783.66	1,778.16	1,695.31	1,994.50	1,915.20	2,002.60	1,376.88	2,392.64	1,784.53	(-)25	30

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

सम्बंधित विभागों ने विभिन्नता के निम्नांकित कारण बताए:

वानिकी एवं वन्य जीवन: वृद्धि भारत सरकार से प्रतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं परियोजना अभिकरण निधि की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त उपभोक्ताओं तथा अन्य विभागों/ संगठनों को लकड़ी एवं अन्य वन उत्पाद की बिक्री से अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

लोक निर्माण कार्य: कमी निविदा फार्मों की बिक्री, सीमेंट की खाली बोरियों और संविदाकार की पंजीकरण फीस से कम प्राप्ति के कारण थी। इसके अतिरिक्त निक्षेप कार्यों के अंतर्गत आवासीय तथा गैर-आवासीय भवनों के निर्माण के लिए विभागीय प्रभारों की कम प्राप्ति के कारण भी कमी थी।

लेखापरीक्षा ने फरवरी 2014 और मार्च 2014 के मध्य पांच भवन एवं सड़क मंडलों² के प्रतिभूति/ निक्षेप रजिस्ट्रों की नमूना जांच में पाया कि 922 मंदों के लिए ₹94.51 लाख³ की राशि जो 2002-03 से 2009-10 के दौरान निक्षेपों के आधार पर संविदाकारों के बिलों में काटी गई थी, सरकारी खाते में जमा नहीं करवाई गई थी जैसा कि अपेक्षित था। अतः ₹94.51 लाख राजस्व लेखा से बाहर रहे जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की अल्पोक्ति हुई।

² बंगाणा, जोगिन्द्रनगर, कांगड़ा, मण्डी तथा ऊना

³ 2008-09: 594 मंदें: ₹71.59 लाख तथा 2009-10: 328 मंदें: ₹22.92 लाख

फरवरी 2014 और मार्च 2014 के मध्य इसे इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता, भवन एवं सड़क मंडल, मण्डी ने तथ्यों को स्वीकारते हुए सूचित किया (सितम्बर 2014) कि ₹66.58 लाख में से 109 मदों के लिए ₹11.61 लाख की राशि समायोजित कर दी गई थी। शेष भवन एवं सड़क मण्डलों ने बताया कि जब संविदाकारों के बिलों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, तब राजस्व लेखे में व्यपगत निक्षेप जमा करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग: लेखापरीक्षा ने फरवरी 2014 और मार्च 2014 के मध्य तीन सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंडलों (बड़सर, हमीरपुर तथा इंदौरा) के प्रतिभूति/निक्षेप रजिस्ट्रों की नमूना जांच में पाया कि 1,840 मदों के लिए ₹106.91 लाख की राशि (2008-09: 1,360 मदें: ₹68.62 लाख तथा 2009-10: 480 मदें: ₹38.29 लाख) जो 2001-02 से 2009-10 के दौरान निक्षेपों के आधार पर संविदाकारों के बिलों में से काटी गई थी, सरकारी खाते में जमा नहीं करवाई गई थी जैसा कि अपेक्षित था। अतः ₹106.91 लाख राजस्व लेखे से बाहर रहे जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की अल्पोक्ति हुई।

इसे इंगित किए जाने के पश्चात सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया कि जब संविदाकारों के बिलों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, तब राजस्व लेखे में व्यपगत निक्षेप जमा करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि उपरोक्त नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

पुलिस: वृद्धि भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, रेलवे एवं अन्य प्राधिकरणों द्वारा पुलिस गार्डों की सप्लाई करने हेतु बकाया का भुगतान करने के कारण थी। इसके अतिरिक्त जिला प्राधिकरणों द्वारा शिमला जिला में प्रतिबंधित सड़क के लिए सहायक अधिनियम के अंतर्गत जारी प्रवेश-पत्रों के आधार पर परमिट फीस की प्राप्तियों के कारण भी वृद्धि थी।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य: कमी अधिक भुगतान की वसूली की कम प्राप्ति, समाप्त प्रायः स्टॉक से बिक्री प्रक्रियाओं से आय की कम प्राप्ति के कारण थी।

सहकारिता तथा अन्य विभागों से अनुरोध किये जाने (अगस्त 2014) के बावजूद विगत वर्ष और बजट प्राक्कलन की तुलना में प्राप्तियों में विविधता के लिए कारण सूचित नहीं किए थे (दिसम्बर 2014)।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों पर 31 मार्च 2014 तक राजस्व के बकाया की राशि ₹644.03 करोड़ थी जिसमें से ₹113.23 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से शेष थी जैसा कि तालिका 1.4 में व्यौरा दिया गया है:

तालिका 1.4
राजस्व का बकाया

₹ करोड़				
क्रमांक	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2014 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	314.22	80.90	बकाया 1968-69 से संचित हैं। ₹76.53 करोड़ की मांगे भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्रमाणित की गई थी, ₹7.78 करोड़ अपलेखन के लिए प्रस्तावित किये, शेष ₹1.86 करोड़ सरकारी विभागों/ उपक्रमों से वसूल किए जाने थे, ₹26.48 करोड़ की राशि की वसूलियों को उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिया गया था तथा ₹201.57 करोड़ व्यापारियों से वसूल किए जाने थे।
2.	जलापूर्ति, स्वच्छता व लघु सिंचाई	198.79	लागू नहीं	जलापूर्ति हेतु ₹198.79 करोड़ के कुल बकाया में से ₹191.53 करोड़ नगर निगम/समितियों तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों, ₹5.36 करोड़ तथा ₹0.68 करोड़ क्रमशः गैर-सरकारी निकायों व सरकारी विभागों, ₹1.17 करोड़ आवास तथा ₹0.05 करोड़ लघु सिंचाई से सम्बंधित थे।
3.	बानिकी एवं वन्य-प्राणी	60.89	लागू नहीं	संवर्द्धाकारों से सम्बंधित अधिकांश मामले (₹3.33 करोड़) भू-राजस्व के बकाया के अंतर्गत वसूली हेतु सम्बंधित समाहर्ताओं को भेज दिए गए थे तथा शेष विधि न्यायालयों में अन्वीक्षाधीन थे। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विभाग निगम सीमित तथा अन्य सरकारी विभागों से क्रमशः ₹57.28 करोड़ तथा ₹0.28 करोड़ की बकाया राशियों की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे थे।
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	22.05	13.24	बकाया 1989-90 से संचित थे। ₹4.59 करोड़ की मांगे भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्रमाणित की गई थी, ₹38,350 अपलेखन हेतु प्रस्तावित थे, ₹0.14 करोड़ उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिए गए, ₹17.32 करोड़ विभिन्न होटल मालिकों से वसूल किए जाने थे।
5.	पुलिस	17.10	5.65	बकाया 1990-91 और उसके बाद से संचित हैं। कुल शेष राशि में से ₹0.30 करोड़ जय प्रकाश एसोसिएट्स, ₹0.15 करोड़ विमानपतन प्राधिकरण, भुन्तर, ₹0.10 करोड़ सी0सी0आई0 राजवन और यमुना जल विद्युत परियोजना, ₹0.54 करोड़ जे पी सीमेन्ट प्लांट सीमित, ₹7.44 करोड़ बी0बी0एम0बी0 से सम्बंधित थे और शेष राशि ₹8.57 करोड़ अन्य विभाग/संस्थानों से सम्बंधित थी।
6.	राज्य आबकारी	15.53	5.79	बकाया 1972-73 से संचित थे। ₹5.54 करोड़ की मांगे भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्रमाणित की गई थी, ₹0.12 करोड़ उच्च न्यायालय/अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिए गए, ₹0.03 करोड़ अपलेखन हेतु प्रस्तावित थे तथा ₹9.84 करोड़ का बकाया बोली देने वालों/ लाइसेंसधारियों से वसूल किया जाना था।
7.	माल व यात्रियों पर कर	8.58	5.78	₹2.88 करोड़ की मांगें भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित की गई, ₹6.55 लाख का अपलेखन प्रस्तावित किया गया, ₹81,824/- के शेष बकाया सरकार/विभागों/ उपक्रमों से वसूल किए जाने हैं, ₹7.79 लाख उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दिए गए तथा ₹5.55 करोड़ विभिन्न वाहनों के मालिकों से वसूल किए जाने थे।
8.	ग्राम तथा लघु उद्योग	5.64	1.05	बकाया प्लांटों (औद्योगिक क्षेत्र) के प्रीमियम आदि से सम्बंधित हैं।
9.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	0.76	0.49	बकाया रायल्टी/ड्रिलिंग प्रभारों आदि की वसूली के संदर्भ में खनन अधिकारियों और आहरण तथा संवितरण अधिकारी (मुख्यालय) भू-गर्भ स्कंध उद्योग निदेशालय से सम्बंधित हैं।
10.	उद्योग	0.24	0.11	बकाया रेंट शेड (औद्योगिक परिसंपत्ति), सरकारी आवास के किराये/ मलबरी पौधों आदि की बिक्री से प्राप्त से सम्बंधित हैं।
11.	लोक निर्माण कार्य	0.23	0.22	बकाया 1963-64 वर्षों तथा इससे आगे से संचित हुए हैं। फील्ड अधिकारियों को राशि की वसूली और जहां भी राशि अवसूलनीय हो वहां राशि को अपलेखित करने हेतु सारे प्रयास करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए थे।
योग		644.03	113.23	

स्रोत: सम्बंधित विभाग द्वारा आपूर्ति आंकड़े

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि विभागीय प्राधिकारियों के पास ₹314.90 करोड़ का बकाया लंबित था और अपलेखन (₹7.87 करोड़) हेतु भेजे गए मामले भी सम्बंधित विभागों द्वारा आगे नहीं बढ़ाए गए थे।

1.3 निर्धारणों में बकाया

बिक्री-कर, मोटर स्प्रीट कर, विलास-कर तथा निर्माण कार्य संविदाओं पर करों के संदर्भ में बिक्री कर विभाग द्वारा, वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने के लिए लम्बित मामलों की संख्या का विवरण तालिका 1.5 में नीचे दिया गया है:

तालिका 1.5
बकाया निर्धारण

राजस्व शीर्ष	अथ शेष	2013-14 के दौरान निर्धारण हेतु देय नये मामले	कुल देय निर्धारण	2012-13 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान की प्रतिशतता (कालम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,32,428	61,841	1,94,269	54,534	1,39,735	28
विलास कर	2,872	1,899	4,771	1,555	3,216	33
निर्माण कार्य संविदाओं पर कर	1,913	1,723	3,636	1,671	1,965	46
मोटर स्प्रीट कर	0	27	27	14	13	52

स्रोत: सम्बंधित विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि बिक्री, व्यापार आदि तथा विलास कर में विशेष कर निर्धारण मामलों का निपटान अत्यंत धीमा था जो क्रमशः 28 तथा 33 प्रतिशत था।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाया गया कर अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, अंतिम रूप दिए गये मामले तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया, तालिका 1.6 में दिया गया है:

तालिका 1.6
कर अपवंचन

₹ करोड़							
क्रमांक	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2013 तक लम्बित मामले	2013-14 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/ छानबीन पूर्ण कर ली गई तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2014 तक अंतिम रूप देने हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की गई राशि	
1.	राज्य आबकारी	45	4,242	4,287	4,235	1.92	52
2.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	102	14,268	14,370	14,262	36.47	108
3.	यात्री एवं माल कर	186	5,135	5,321	5,194	1.64	127
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	6	2,031	2,037	2,037	2.99	0
योग		339	25,676	26,015	25,728	43.02	287

स्रोत: सम्बंधित विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े

उपरोक्त तालिका से यह देखा जायेगा कि वर्ष के अंत में लम्बित पड़े मामलों की संख्या में वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित पड़े मामलों की संख्या की तुलना में थोड़ी कमी आई है।

1.5 प्रत्यर्पण मामले

विभाग द्वारा प्रतिवेदित वर्ष 2013-14 के प्रारम्भ में लम्बित प्रत्यर्पण सम्बंधित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रत्यर्पण तथा वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर लम्बित मामलों का विवरण तालिका 1.7 में दिया गया है:

तालिका 1.7
प्रत्यर्पण मामलों के लम्बन का विवरण

क्रमांक	विवरण	₹ करोड़			
		बिक्री कर/वैट		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	64	28.69	6	0.13
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	36	10.59	52	0.81
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रत्यर्पण	43	21.75	52	0.83
4.	वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष	57	17.53	6	0.11

स्रोत: सम्बंधित विभाग द्वारा आपूरित आंकड़े

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/ विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश लेनदेनों की नमूना जांच करने और महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है जैसा कि नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित है। इन निरीक्षणों का निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई अनियमितताओं, जिनका मौके पर निपटान नहीं हो पाता, से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा अनुसरण किया जाता है जो निरीक्षित कार्यालयाध्यक्षों को जारी किये जाते हैं तथा इनकी प्रतियां अगले उच्चतर प्राधिकारियों को भेजी जाती हैं, ताकि तुरन्त सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। कार्यालयाध्यक्षों/ सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट प्रेक्षकों पर शीघ्र अनुपालना करना, दोषों तथा चूकों को दूर करना और निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति की तिथि से चार हफ्तों के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रारम्भिक उत्तर के माध्यम से की गई अनुपालना से अवगत करवाना अपेक्षित है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं।

दिसम्बर 2013 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों में उद्घाटित हुआ कि विगत दो वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों सहित जून 2014 के अंत तक 3,411 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बंधित ₹1,904.43 करोड़ से अंतर्ग्रस्त 9,050 परिच्छेद बकाया थे, जैसा कि तालिका 1.8 में उल्लिखित है:

तालिका 1.8
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2012	जून 2013	जून 2014
निपटान के लिए लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,716	3,269	3,411
बकाया लेखापरीक्षा प्रेक्षकों की संख्या	9,763	8,526	9,050
अंतर्ग्रस्त राजस्व राशि (₹ करोड़)	995.12	1,476.50	1,904.43

30 जून 2014 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षकों तथा अंतर्ग्रस्त राशि का विभागवार विवरण तालिका 1.9 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.9

₹ करोड़					
क्रमांक	विभाग का नाम	प्राप्तियों का स्वरूप	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा प्रेक्षकों की संख्या	अंतर्ग्रस्त मौद्रिक मूल्य
1.	वित्त	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	123	954	256.66
		यात्री व माल कर	211	390	218.05
		वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	286	359	14.94
		मनोरंजन तथा विलास कर आदि	113	227	1.04
2.	आबकारी	राज्य आबकारी	64	207	29.28
3.	राजस्व	भू-राजस्व	237	413	0.86
4.	परिवहन	मोटर वाहन कर	718	2,542	199.67
5.	स्टाम्प एवं पंजीकरण	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	612	1,179	52.39
6.	खनन तथा भू-विज्ञान	अलौह खनन व धातुकर्म उद्योग	52	151	10.41
7.	वन तथा पर्यावरण	वन प्राप्तियां	588	1,738	549.86
8.	जल स्रोत (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)	जल प्रभार	120	340	394.20
9.	लोक निर्माण (भवन तथा सड़क)	निक्षेप निर्माण कार्य	171	350	120.12
10.	फसल कर्म	बागवानी तथा कृषि	82	135	3.50
11.	सहकारिता	लेखापरीक्षा फीस तथा अन्य प्राप्तियां	34	65	53.45
योग			3,411	9,050	1,904.43

2013-14 के दौरान जारी किये गए 164 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बंध में लेखापरीक्षा को चार हफ्तों के अनुबद्ध समय के भीतर कार्यालयाध्यक्षों से प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों के प्राप्त न होने के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह अधिक लम्बन इस तथ्य को इंगित करता है कि प्रधान महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित दोषों, चूकों तथा अनिमितताओं को दूर करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों द्वारा कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई थी।

सरकार को लेखापरीक्षा प्रेक्षकों के प्रति शीघ्र तथा उचित कार्रवाई हेतु प्रभावशाली पद्धति अपनाने पर विचार करना चाहिए।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों के अनुश्रवण तथा निपटान की प्रगति में तीव्रता लाने के लिए लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया। वर्ष 2013-14 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निपटाए गए परिच्छेदों का विवरण तालिका 1.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.10

विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

₹ करोड़				
क्रमांक	राजस्व शीर्ष	आयोजित की गई बैठकों की संख्या	निपटाए गए परिच्छेदों की संख्या	राशि
1.	राजस्व विभाग	02	93	0.31
2.	राज्य आबकारी विभाग	01	86	0.61
3.	परिवहन विभाग	01	33	0.28
योग		04	212	1.20

विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करने के बावजूद परिवहन विभाग से सम्बंधित परिच्छेदों के निपटान की प्रगति निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों के बड़ी संख्या में लंबित होने की तुलना में नगण्य थी।

1.6.3 लेखापरीक्षा को संवीक्षा हेतु अभिलेखों की अनुपलब्धता

कर राजस्व/ कर-भिन्न राजस्व कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पहले से पर्याप्त रूप से बना लिया जाता है और विभागों को लेखापरीक्षा किये जाने से सामान्यतः एक मास पूर्व सूचनाएं जारी की जाती हैं ताकि वे लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु सम्बंधित अभिलेखों को तैयार रखें।

2013-14 के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग ने लेखापरीक्षा को ₹10.31 करोड़ के कर प्रभाव से अंतर्ग्रस्त 36 निर्धारण फाइलें, रिटर्न, प्रत्यार्पण रजिस्टर और अन्य सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाए थे जैसा कि तालिका 1.11 में विवरण दिया गया है:

तालिका: 1.11

कार्यालय का नाम	सर्कल का नाम	अभिलेख	अवधि
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बी.बी.एन.-बददी	सर्कल-I	₹5.13 करोड़ के बकाया से युक्त सात फाइलें	अप्रैल 2010 से मार्च 2012
	सर्कल-II	मासिक बकाया विवरणी	अप्रैल 2008 से मार्च 2009
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना	--	₹5.18 करोड़ के बकाया से अंतर्ग्रस्त 25 फाइलें। बकाया भू-राजस्व मामले बकाया रूप में दर्शाये नहीं गये थे।	अप्रैल 2008 से मार्च 2013
		मासिक बकाया विवरणी	
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता) दक्षिणी क्षेत्र परवाणु	--	मांग और संग्रहण (निपटान) रजिस्टर	अप्रैल 2011 से मार्च 2013
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता) उत्तरी क्षेत्र पालमपुर	--	क्रमांक 0258851-0258900 तथा 0719701-750 वाली पी0जी0टी0-21 की पुस्तकें	अक्टूबर 2009 और मार्च 2010 के मास में जारी

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों को सम्बंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए इस अनुरोध के साथ भेजे जाते हैं कि वे छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर प्रेषित करें। विभागों/ सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे परिच्छेदों के अंत में अनिवार्य रूप से दर्शाया जाता है।

अप्रैल तथा सितम्बर 2014 के मध्य चौंतीस प्रारूप परिच्छेद और एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्बंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को उनके नाम से भेजे गये थे। विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों को अनुस्मारक जारी (सितम्बर 2014) किये जाने के बावजूद पांच प्रारूप परिच्छेदों के उत्तर नहीं भेजे थे तथा उन्हें सरकार की प्रतिक्रिया के बिना इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। तथापि विभाग के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं और उन्हें उचित रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति

दिसम्बर 2002 में अधिसूचित लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्यप्रणाली में निर्धारित है कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर कार्रवाई शुरू करेगा तथा प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन मास के

भीतर सरकार द्वारा उस पर की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जानी चाहिए। इन प्रावधानों के बावजूद प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां असाधारण रूप से विलंबित की जा रही थी। 31 मार्च 2009, 2010, 2011 तथा 2012 को समाप्त वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित 148 परिच्छेदों (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) को 13 अप्रैल 2010 तथा 09 अप्रैल 2013 के मध्य विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। इनमें से प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बंध में सम्बद्ध विभागों से इन परिच्छेदों पर की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां क्रमशः 10, 14, 13 तथा नौ मास के औसत विलम्ब से प्राप्त हुई थी। 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए दो विभागों (वन और बहुदेशीय परियोजना एवं विद्युत) से 10 परिच्छेदों के सम्बंध में की गई कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी (दिसम्बर 2014)।

लोक लेखा समिति ने 2008-09 से 2010-11 के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित 32 चयनित परिच्छेदों पर चर्चा की। तथापि सम्बंधित विभागों से लोक लेखा समिति की 32 सिफारिशों के सम्बंध में की गई कार्रवाई की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी जैसा कि **तालिका 1.12** में उल्लिखित है।

तालिका 1.12

वर्ष	विभागों का नाम				कुल
2007-08	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	उद्योग	--	--	2
2008-09	वन	परिवहन	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	लोक निर्माण विभाग	20
2009-10	वन	--	--	--	4
2010-11	वन	--	--	--	6
योग					32

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों को निपटाने के लिए तंत्र का विश्लेषण

विभागों/ सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उजागर किए गए मामलों को निपटाने के लिए अपनाई गई पद्धति का विश्लेषण करने हेतु एक विभाग (यात्री एवं माल कर के संदर्भ में आबकारी विभाग) के विगत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया और उसको इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

अनुवर्ती परिच्छेद 1.7.1 से 1.7.3 मुख्य राजस्व शीर्ष “0042- यात्री एवं माल कर” के अंतर्गत यात्री एवं माल कर के सम्बंध में आबकारी विभाग के निष्पादन और 2013-14 तक विगत दस वर्षों के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा में अधिसूचित मामलों तथा 2003-04 से 2012-13 वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर भी चर्चा करते हैं।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विगत 10 वर्षों के दौरान जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों तथा 31 मार्च, 2014 को उनकी सारांशित स्थिति को नीचे **तालिका 1.13** में तालिकाबद्ध किया गया है।

तालिका 1.13
निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति

वर्ष	अथ शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष			₹ करोड़
	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	मौद्रिक मूल्य	
2004-05	208	419	12.96	8	34	0.91	6	17	1.92	210	436	11.94	
2005-06	210	436	11.94	10	42	0.31	12	21	0.51	208	457	11.74	
2006-07	208	457	11.74	12	61	17.17	51	207	6.06	169	311	22.85	
2007-08	169	311	22.85	8	34	0.61	5	12	0.72	172	333	22.74	
2008-09	172	333	22.74	12	46	1.53	2	14	14.66	182	365	9.61	
2009-10	182	365	9.61	12	54	0.83	4	8	0.92	222	562	9.52	
2010-11	222	562	9.52	10	24	1.46	25	73	3.31	207	513	7.67	
2011-12	207	513	7.67	9	23	2.18	8	46	2.39	208	490	7.46	
2012-13	208	490	7.46	9	68	225.82	10	34	18.99	207	524	214.29	
2013-14	207	524	214.29	7	60	5.80	0	1	0	214	583	220.09	

सरकार पुराने परिच्छेदों के निपटान हेतु विभाग तथा प्रधान महालेखाकार कार्यालय के मध्य तदर्थ समिति की बैठकों की व्यवस्था करती है। जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 2004-05 के प्रारम्भ में 419 परिच्छेदों सहित 208 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति 2013-14 के अंत तक 583 परिच्छेदों सहित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या बढ़कर 214 हो गई।

यह इस तथ्य का द्योतक है कि विभाग द्वारा पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं परिच्छेदों की संख्या में वृद्धि हुई।

1.7.2 स्वीकार किए गए मामलों में वसूली

विगत दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकार किए गए तथा वसूल की गई राशि की स्थिति तालिका 1.14 में दर्शायी गई है:

तालिका 1.14

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित किए गए परिच्छेदों की संख्या	परिच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	स्वीकार किए गए परिच्छेदों की संख्या	स्वीकार किए गए परिच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	वर्ष 2013-14 के दौरान वसूल की गई राशि	₹ लाख
						31 मार्च 2014 को स्वीकृत मामलों की वसूली की संचित स्थिति
2003-04	2	27.40	2	14.94	--	5.60
2004-05	1	27.32	1	22.36	--	8.48
2005-06	1	28.89	1	24.36	--	14.38
2006-07	2	91.16	2	80.31	--	52.19
2007-08	2	85.83	2	75.39	--	31.72
2008-09	2	94.95	2	90.04	25.02	26.07
2009-10	2	151.92	2	133.63	8.00	36.56
2010-11	2	103.53	2	90.11	5.90	37.06
2011-12	2	108.48	2	94.88	8.98	36.17
2012-13	1	22,582.00 ²	1	996.00	132.31	132.31
योग	17	23,301.48	17	1622.02	180.21	380.54

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि विगत दस वर्षों के दौरान स्वीकार्य मामलों में भी वसूली की प्रगति बहुत धीमी थी। स्वीकार्य मामलों में वसूली सम्बंधित पक्षों से वसूली योग्य बकाये के रूप में की जानी थी। विभाग/ सरकार द्वारा स्वीकार्य मामलों के अनुसरण के लिए कोई तंत्र नहीं बनाया गया था। इसके अतिरिक्त स्वीकृत लेखापरीक्षा प्रेक्षकों सहित बकाया मामले आयुक्त आबकारी तथा कराधान विभाग के कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। उपयुक्त तंत्र के अभाव में विभाग स्वीकृत मामलों में वसूली का अनुश्रवण नहीं कर सका।

² यह राशि 'यात्री एवं माल कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से सम्बंधित है।

विभाग को स्वीकृत मामलों में अंतर्ग्रस्त देयों की तुरंत वसूली का अनुसरण तथा अनुश्रवण करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।

1.7.3 विभागों/ सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार द्वारा संचालित की गई प्रारूप निष्पादन समीक्षाएं सम्बंधित विभाग/ सरकार को उनकी सूचना हेतु, उनके उत्तर उपलब्ध करवाए जाने के अनुरोध के साथ, अग्रेषित की जाती हैं। इन समीक्षाओं पर अंतिम सम्मेलन में भी चर्चा की जाती है और निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए समीक्षाओं को अंतिम रूप देते समय विभाग/ सरकार के विचार सम्मिलित किये जाते हैं।

प्राप्ति शीर्ष “0042-यात्री एवं माल कर” के अंतर्गत आबकारी एवं कराधान विभाग पर “यात्री एवं माल कर का उद्ग्रहण तथा संग्रहण” के शीर्षक से एक निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई थी और 2012-13 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाई गई थी। लेखापरीक्षा ने पांच सिफारिशें की थी जो विभाग द्वारा स्वीकार की गई थी और विभाग ने बताया था कि उनके कार्यान्वयन हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

1.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) के प्रभार के अंतर्गत एक आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष होता है। इस कक्ष को अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधानों के साथ समय-समय पर विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित कार्य योजना तथा परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार निर्धारण के मामलों की नमूना जांच करनी थी।

परिवहन और आबकारी एवं कराधान विभागों में वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु निर्धारित की गई इकाइयों, लेखापरीक्षित इकाइयों तथा गैर-लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या निम्नांकित तालिका 1.15 में दी गई है:

तालिका 1.15

विभाग का नाम	कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाई	लेखापरीक्षा हेतु निर्धारित इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी
आबकारी एवं कराधान	13	13	01	12
परिवहन विभाग	70	15	10	05

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल 83 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु 28 इकाइयों का चयन किया था और उसमें से मात्र 11 इकाइयों (39 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की गई थी।

आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी का कारण स्टॉफ की कमी बताया गया।

1.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा प्रेक्षकों की पूर्व प्रवृत्तियों तथा अन्य प्राचलों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम इकाइयों में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को जोखिम विश्लेषण के आधार पर जिसमें अन्य बातों के

साथ-साथ सरकारी राजस्व तथा कर प्रशासन के गंभीर मामले सम्मिलित होते हैं जैसा कि बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्व आय के सांख्यिकी विश्लेषण, कर प्रशासन के कारक, लेखापरीक्षा व्याप्ति तथा विगत पांच वर्षों के दौरान इसका प्रभाव इत्यादि, तैयार किया जाता है।

वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा योग्य 393 इकाइयां थी, जिनमें से 185 इकाइयां योजनागत थी तथा इनकी लेखापरीक्षा की गई थी।

उपरोक्त, उल्लिखित अनुपालना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त इन प्राप्तिओं के कर प्रशासन की क्षमता को जांचने के लिए “बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत बकाया” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी की गई।

1.10 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2013-14 के दौरान बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, माल एवं यात्री, वन प्राप्ति तथा खनन कार्यालयों की 185 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 754 मामलों में कुल ₹212.21 करोड़ का अवनिर्धारण/ अल्पोद्ग्रहण/ राजस्व हानि उद्घाटित हुई। वर्ष के दौरान सम्बंधित विभागों ने 620 मामलों में ₹27.98 करोड़ से अंतर्ग्रस्त अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिन्हें वर्ष 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था। विभागों ने 2013-14 के दौरान विगत वर्ष की लेखापरीक्षा आपत्तियों से सम्बंधित 447 मामलों में ₹9.32 करोड़ का संग्रहण किया।

1.11 इस प्रतिवेदन की आवृत्ति

इस प्रतिवेदन में ₹72.17 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से अंतर्ग्रस्त 27 परिच्छेद और “बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत बकाये” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित है।

विभागों/ सरकार ने ₹11.75 करोड़ से अंतर्निहित 23 लेखापरीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें से 16 मामलों में ₹3.50 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)। इनकी अनुवर्ती अध्यायों- II से VI में चर्चा की गई है।

अध्याय - II

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्य वर्धित कर

अध्याय-II

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्य वर्धित कर

2.1 कर प्रशासन

सरकारी स्तर पर बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर कानून तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का संचालन प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा किया जाता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग का अध्यक्ष होता है जिसको एक अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, एक संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, आठ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, 14 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा 69 आबकारी एवं कराधान अधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। उनको सम्बंधित कर कानूनों तथा नियमों का संचालन करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों तथा अन्य सम्बंधित कर्मचारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2013-14 में मूल्य वर्धित कर/बिक्री कर निर्धारणों तथा अन्य अभिलेखों से सम्बंधित नौ इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच से 259 मामलों में ₹54.50 करोड़ से अंतर्विष्ट कर अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुईं जो कि निम्नवत् श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं जैसाकि तालिका 2.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.1

क्रमांक	श्रेणी	₹ करोड़	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	‘बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत बकाया’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	2.81
2.	कर अवनिर्धारण	34	16.86
3.	दोषपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों सी तथा एफ की स्वीकृति	28	1.19
4.	निवेश कर क्रेडिट का अनियमित/ गलत/ अधिक अनुमोदन	90	6.65
5.	कर की दर का गलत अनुप्रयोग	29	18.32
6.	अन्य अनियमितताएं	77	8.67
योग		259	54.50

वर्ष के दौरान विभाग ने ₹5.71 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों के 120 मामलों स्वीकार किये जो आरम्भिक वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किये गए थे। वर्ष 2013-14 के दौरान 77 मामलों में ₹70.98 लाख की राशि वसूल की गई।

₹2.81 करोड़ के धन मूल्य की ‘बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत बकाया’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹17.47 करोड़ से अंतर्विष्ट कुछ निदर्शी मामलों की चर्चा अनुवर्ती परिच्छेदों में की जाती है।

2.3 'बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत बकाया' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य विशेषताएं

- अप्रैल 2008 से मार्च 2013 तक की अवधि में शेष बकाया ₹113.29 करोड़ से ₹235.33 करोड़ (52 प्रतिशत) बढ़े।

(परिच्छेद 2.3.5)

- बकाया में ₹10.98 करोड़ की अतिरिक्त मांग का लेखा नहीं दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप विभागीय पुस्तकों में बकाया का अल्प लेखांकन हुआ। इसके अतिरिक्त वपिस किए गये मामलों के निर्धारण न होने के कारण ₹12.92 करोड़ की बकाया राशि की कटौती न्यायोचित नहीं थी।

(परिच्छेद 2.3.6.1)

- कर की अतिरिक्त मांग के विलंबित भुगतान पर ₹38.33 लाख की राशि के ब्याज की 104 मामलों में न कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मांग की गई और न ही चूककर्ताओं द्वारा भुगतान किया गया।

(परिच्छेद 2.3.11)

- ₹130.85 करोड़ के बकाया गैर प्राप्ति के लेखा पर बकाया की वसूली के लिए उपलब्ध उपायों के गैर समापन/ प्रतिभूति के अपवर्तन तथा जमानत की अनुचित संस्वीकृति/ व्यापारियों से जमानत की गैर वसूली के कारण वसूल नहीं किये जा सके थे।

(परिच्छेद 2.3.14.1 से 2.3.14.3)

2.3.1 परिचय

बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के संग्रहण के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग उत्तरदायी है। हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 तथा अन्य अधिनियमों के साथ-साथ नियम जो राज्य में 1 अप्रैल 2005 से उद्ग्रहण, बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर के निर्धारण तथा संग्रहण के अंतर्गत संचालन के लिए बनाए गए थे। हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 का अस्तित्व 31 मार्च 2005 तक था। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 तथा इसके अंतर्गत बनने वाले नियम अंतर्राज्य बिक्रियों के लिए प्रचालन में हैं। हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी कर मांग सूचना में दिये गए निश्चित समय (न तो 15 दिन से कम और न ही 30 दिन से अधिक) में उसके देय कर को चुकाने के लिए उत्तरदायी है। कर मांग सूचना में वर्णित तिथि के भीतर करदाता की तरफ से कर चुकाने में विफल होने के मामले में जो राशि भुगतान नहीं की गई थी, की विभाग वसूली कर सकता है जैसे की वह भू-राजस्व का बकाया थी। हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व, अधिनियम 1954 की धारा 28 के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाया के रूप में सरकारी देयताओं को वसूल करने की शक्तियां विभाग को प्रत्यायोजित¹ की गई हैं।

¹ दिसम्बर 1990 तथा जनवरी 1993 के मध्य समाहर्ताओं तथा सहायक समाहर्ताओं की शक्ति प्रत्यायोजित की गई

सरकारी देयताओं की वसूली को प्रभावी करने के उद्देश्यों के लिए बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर अधिनियम तथा हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के कुछ प्रावधान **परिशिष्ट-I** में दिये गए हैं।

2.3.2 संगठनात्मक ढांचा

सरकारी स्तर पर प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त विभागाध्यक्ष होता है जो विभिन्न राजकोषीय परिमाणों के पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकृत होता है। उसे दो अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, एक संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, छः उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, 14 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, 69 आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों तथा अन्य सम्बंधित कर्मचारियों द्वारा विभाग में अधिनियमों/ नियमों के संचालन में सहयोग दिया जाता है।

2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्न सुनिश्चित करने के लिए संचालित की गई थी:

- एकत्रित बकाया की परिसीमा तथा निहित कारण;
- कि क्या बकाया की वसूली के लिए अधिनियम/ नियमों तथा निहित अनुदेशों के प्रावधानों का अनुसरण किया गया था;
- कि क्या बकाया की शीघ्र वसूली के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र अस्तित्व में है।

2.3.4 लेखापरीक्षा एवं पद्धति का विषय क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा ने 2008-09 से 2012-13 की अवधि को आवृत किया जो आबकारी एवं कराधान आयुक्त और 16 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में से 8 क्षेत्रीय कार्यालयों² में उपलब्ध बिक्री कर बकाया/ मूल्य वर्धित कर से सम्बंधित अभिलेखों के आधार पर जुलाई 2013 से मार्च 2014 के मध्य संचालित की गई थी। इन इकाइयों का चयन अन्योन्यक्रिया आंकड़ा निष्कर्षण एवं संवीक्षा की यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीकी का प्रयोग कर किया गया था।

एक प्रारम्भिक सम्मेलन प्रधान सचिव, (आबकारी एवं कराधान), हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ दिसम्बर 2013 में हुआ था जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित करने के उद्देश्यों, विषय क्षेत्र तथा पद्धति की चर्चा की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रारूप प्रतिवेदन विभाग तथा सरकार को सितम्बर 2014 में अग्रेषित किया गया था तथा प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) एवं आयुक्त के साथ सितम्बर 2014 में अंतिम सम्मेलन हुआ था। लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों के प्रति सरकार तथा विभाग के उत्तरों को तत्सम्बंधी परिच्छेदों में सम्मिलित किया गया है।

2.3.5 बकाया का प्रवाह/ संवीक्षा

प्रत्येक वर्ष के योग तथा बकाया की तुलनात्मक संवीक्षा **तालिका 2.2** में प्रस्तुत की जाती है।

² सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन.-बददी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, सिरमौर स्थित नाहन, ऊना तथा उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता) उत्तरी क्षेत्र तथा दक्षिणी क्षेत्र

तालिका 2.2

								₹ करोड़
वर्ष	बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर प्राप्ति	बकाया का अर्थ शेष	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान वसूली योग्य बकाया	वर्ष के दौरान वसूल किया गया	वर्षात पर बकाया शेष	पांच वर्षों से अधिक के लिए शेष	कालम 6 से कालम 5 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2008-09	1246.31	113.29	32.87	146.16	25.78	120.38	53.77	17.64
2009-10	1487.40	120.38	172.44	292.82	201.32	91.52	उपलब्ध नहीं	68.75
2010-11	2101.10	91.52	181.97	273.49	110.76	162.73	तदैव	40.50
2011-12	2476.78	162.73	197.18	359.91	148.53	211.38	61.34	41.27
2012-13	2728.22	211.38	178.30	389.68	154.35	235.33	124.74	39.61

स्रोत: विभागीय आंकड़े

उपरोक्त तालिका मार्च 2013 तक वसूली के लिए लम्बित ₹235.33 करोड़ के बकाया दर्शाती है जो अप्रैल 2008 के बकाया की तुलना में लगभग दोगुना था। ₹124.74 करोड़ (53 प्रतिशत) का बकाया पांच वर्षों से अधिक के लिए शेष था। वर्ष के दौरान वसूली के लिए देय कुल बकाया के प्रति बकाया की वसूली प्रतिशतता 17.64 तथा 68.75 प्रतिशत के मध्य थी। जुलाई 2014 में विभाग द्वारा आपूरित सूचना (यद्यपि बकाया पर आयुवार सूचना जुलाई 2013 में मांगी गई थी) मार्च 2013 तक ₹222.07 करोड़ का बकाया दर्शाती है जो कि आरम्भ में वर्णित सूचना की तुलना में लगभग ₹13.26 करोड़ कम था।

विभाग ने इंगित (अगस्त 2014) किए जाने पर 31 मार्च 2013 तक ₹237.98 करोड़ के बकाया की सूचना दी जो कि प्रारम्भ में दिये गए आंकड़ों से भिन्न है। यह दर्शाता है कि विभाग ने बकाया के उचित अभिलेखों का अनुश्रवण नहीं किया था।

2.3.6 बकाया का अनुश्रवण

2.3.6.1 बकाया का अल्प लेखाकरण

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यापारी कर मांग अधिसूचना में निर्धारित, न तो 15 दिनों से कम और न ही 30 दिनों से अधिक, समय के भीतर उसके देय कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। कर मांग सूचना में निर्धारित समय में भुगतान नहीं की गई मांग बकाया को बनाती है। यदि एक व्यापारी निर्धारण प्राधिकारी के आदेशों से असंतुष्ट महसूस करता है, वह अपीलीय प्राधिकारी के पास संशोधन के लिए याचिका दायर कर सकता है।

आठ नमूना जांच की गई इकाइयों में लेखापरीक्षा ने पाया कि मांग एवं संग्रहण पंजिका-सह-निपटान पंजिका में शेष राशि का 237 मामलों के सम्बंध में 2008-09 तथा 2012-13 के मध्य की अवधि से सम्बंधित कुल बकाया में लेखा नहीं किया गया था। चूकों के परिणामस्वरूप ₹10.98 करोड़ के बकाया को कम आंका गया जैसा कि **परिशिष्ट-II** में वर्णित है। इसके अतिरिक्त, छः³ कार्यालयों के अभिलेखों नमूना जांच ने दर्शाया कि वर्ष 1990-91 से 2011-12 के लिए जनवरी 1995 तथा दिसम्बर 2012 के मध्य 13 मामलों में निर्धारणों को अंतिम रूप दिया गया था तथा ₹12.92 करोड़

³ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन.-बददी, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, ऊना तथा उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता) दक्षिण क्षेत्र

की एक अतिरिक्त मांग निर्मित की गई थी। निर्धारण प्राधिकारी के आदेशों से असंतुष्ट व्यापारियों ने उस अपीलीय प्राधिकारी को अपील करना श्रेयस्कर समझा जिसने आदेशों की तिथि से तीन सप्ताह तथा तीन महीनों के मध्य एक समय सीमा के भीतर पुनर्निर्धारण के लिए अप्रैल 2008 तथा अगस्त 2013 के मध्य इन मामलों को अपीलीय प्राधिकारियों को प्रत्यावर्तित किया किन्तु इन मामलों को लेखापरीक्षा की तिथि तक सम्बंधित निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पुनर्निर्धारित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, वास्तविक सरकारी देयों के निर्धारण में हुए विलम्ब के कारण ₹18.00 लाख के बकाया को अवास्तविक रूप में दर्शाया गया तथा ₹12.74 करोड़ के बकाया की कटौती हुई थी।

इसे इंगित किये जाने पर सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त हमीरपुर ने बताया कि एक⁴ मामले का पुनर्निर्धारण किया गया था (जून 2014) तथा ₹2.33 लाख की अतिरिक्त मांग निर्मित की गई थी।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा सम्बंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को सभी मामलों के पुनर्निर्धारण के लिए निर्देश दिये जा चुके थे तथा वास्तविक सरकारी देयताओं को चूककर्ताओं से वसूल किया जाए।

छः मामलों में ₹24.55 लाख की राशि के बकाया की कुल बकाया के आधिक्य में गणना की गई थी जो लेखापरीक्षा की तिथि तक गैर निरूपित रहे जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक (परिशिष्ट-III) बकाया की अतियुक्ति हुई।

यह दर्शाता है कि विभाग ने परिकलन तथा उच्च प्राधिकारियों को भेजे जाने वाले बकाया के प्रतिवेदन पर उचित नियंत्रण का प्रयोग नहीं किया था।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/ उप आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को बकाया के उचित अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए अनिवार्य निर्देश दिये जाएंगे तथा तत्सम्बंधी विवरण विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे।

2.3.6.2 विभागाध्यक्ष स्तर पर डाटाबेस का अनुरक्षण न करना

सम्बंधित निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा सृजित बकाया के उचित अनुश्रवण हेतु वर्ष के आरंभ में बकाया राशि, योग, वर्ष के दौरान वसूली और वर्ष के अंत में बकाया राशि के जिला-वार/ दल-वार विवरण को दर्शाने वाला एक अद्यतन केन्द्रीकृत डाटाबेस शीर्षस्थ स्तर पर अनुरक्षित रखना अपेक्षित है।

अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि आबकारी एवं कराधान आयुक्त के कार्यालय में बकाया के समेकित डाटाबेस के अनुरक्षण का ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया गया था।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि बकाया के सम्बंध में डाटाबेस का भविष्य में अनुरक्षण किया जाएगा।

⁴ मैसर्स आदित्य स्टील इण्डस्ट्रीज, भूम्ल

2.3.6.3 मांग तथा संग्रहण पंजिका का अनुरक्षण न करना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली के नियम 42 में मूल्य वर्धित कर प्रपत्र -XVII में एक मांग तथा संग्रहण पंजिका के अनुरक्षण का प्रावधान है। मांग तथा संग्रहण पंजिका के अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने फरवरी 2005 में बकाया की फाइलों के अनुरक्षण के सम्बंध में क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश जारी किये थे। अन्य बातों के साथ-साथ करदाता का पते सहित नाम, जमानत, जमानत की राशि, कर निर्धारण का वर्ष एवं तिथि, करदाता के स्थान पर उपस्थित होने वाले व्यक्ति का नाम, देय शेष राशि तथा वसूली का विवरण फाईल में अभिलिखित होना चाहिए।

चयनित आठ इकाइयों में अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि मांग तथा संग्रहण पंजिकाओं का निर्धारित प्रारूप में अनुरक्षण नहीं किया गया था। बकाया फाईलें भी आबकारी एवं कराधान आयुक्त के अनुदेशानुसार अनुरक्षित नहीं की गई थी। यहां तक कि बकाया का केन्द्रीकृत डाटाबेस क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित नहीं किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट-IV** में दिया गया है।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि इस सम्बंध में क्षेत्रीय कार्यालयों को अनिवार्य निर्देश दिये जाएंगे।

2.3.7 हस्तांतरित मामलों का लेखाकरण न होना

चयनित आठ इकाइयों में से चार इकाइयों में अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2013 तथा जनवरी 2014 के मध्य) ने अनुश्रवण के सम्बंध में विभाग में समन्वय की कमी को दर्शाया जिसकी चर्चा निम्नवत् है:

2.3.7.1 उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पालमपुर (उड़नदस्ता) उत्तरी क्षेत्र में 1998-99 तथा 2006-07 के मध्य की अवधि से सम्बंधित छः व्यापारियों के मामले में ₹3.79 लाख का बकाया वसूली के लिए सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कांगडा स्थित धर्मशाला को हस्तांतरित किया गया था (अप्रैल 2011) तथा बकाया अभिलेख से अपवर्जित किया गया था। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने सर्किल कार्यालयों में काम के दबाव तथा कर्मचारियों की कमी के कारण बकाया/अतिरिक्त मांग की वसूली करने में अपनी अक्षमता दर्शायी (अगस्त 2011)। अतः बकाया उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त के अभिलेखों से अपवर्जित रहे तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त की पुस्तकों में लेखांकित भी नहीं किये गए। इसके अतिरिक्त, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त को सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त के अगस्त 2011 के उत्तर का पता नहीं था। परिणामस्वरूप, किसी भी कार्यालय ने बकाया की वसूली प्रक्रिया का अनुशीलन नहीं किया।

2.3.7.2 कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर में यह पाया गया (अगस्त 2013) कि ₹40 लाख के बकाया से अंतर्विष्ट छः चूककर्ताओं के मामले बकाया भू-राजस्व के रूप में घोषित किये जाने के लिए पांवटा कार्यालय से प्राप्त हुए (नवम्बर 2005 तथा एक मामले में तिथि बकाया भू-राजस्व पंजिका में नहीं दी गई है)। इन मामलों को नवम्बर 2005 तथा जनवरी 2007 के मध्य और सूचना प्राप्त करने के लिए कार्यालय को वापिस लौटाया गया। आगे यह पाया गया कि लेखापरीक्षा की तिथि तक इन मामलों को उस कार्यालय को नहीं लौटाया था।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि मामले की जांच करने की आवश्यकता है। तथापि, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों से मामले पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तथा तदनुसार परिणाम की सूचना दी जाएगी।

2.3.8 बकाया अभिलेखों को अद्यतन न करना

तीन इकाइयों में अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) ने निम्नवत् अनियमितताएं दर्शाईं:

i. कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला में लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2013) कि पांच मामलों में ₹2.00 लाख का बकाया, बकाया पंजिका में शेष दर्शाया गया था। नमूना जांच में आगे पाया गया कि ये कर निर्धारण/ अतिरिक्त मांग निपटान पंजिका⁵ में दर्ज नहीं किये गये थे।

ii. कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला में बकाया पंजिका के साथ मांग तथा संग्रहण पंजिका-सह निपटान पंजिका के अनुसार शेष मांगों की नमूना जांच में पाया गया कि 165 मामलों में ₹50.00 लाख के बकाया निपटान पंजिका/ बकाया पंजिका के अनुसार शेष थे जिनका लेखाकरण नहीं किया गया था। इसे इंगित किये जाने पर (दिसम्बर 2013) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ने बताया कि ₹45.00 लाख की राशि विभिन्न चालानों द्वारा वसूल की जा चुकी थी किन्तु बकाया पंजिका/ अभिलेखों में दर्ज नहीं की गई थी।

iii. इसी तरह सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर स्थित नाहन तथा उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़नदस्ता) पालमपुर में, यद्यपि, ₹7.50 लाख की राशि दिसम्बर 2009 तथा जनवरी 2013 के मध्य नौ व्यापारियों से वसूल की गई थी, लेकिन इसे बकाया पंजिका में लेखांकित नहीं किया गया था।

यह दर्शाता है कि बकाया से सम्बंधित अभिलेखों को नियमित रूप से अद्यतन नहीं किया गया था।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि सम्बंधित इकाइयों को विभागाध्यक्ष की सूचना के अंतर्गत बकाया अभिलेखों को अद्यतन करने के निर्देश दिये जाएंगे।

2.3.9 बकाया के अभिलेखों का अनुश्रवण न करना

आठ चयनित इकाइयों में लेखापरीक्षा ने अभिलेखों की नमूना जांच में विसंगतियां पाई (जुलाई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) जिसकी चर्चा निम्नवत् है:

2.3.9.1 बकाया विवरणियों का अनुश्रवण न करना

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अग्रेषित किये गए बकाया की मासिक विवरणी द्वारा विभागाध्यक्ष बकाया का अनुश्रवण कर रहा है।

⁵ मांग तथा संग्रहण पंजिका के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यह एक सामान्य शब्द है।

आठ चयनित इकाइयों में अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) में पाया गया कि:

- (i) दो⁶ क्षेत्रीय कार्यालयों में मासिक बकाया विवरणी तैयार नहीं की गई थी।
- (ii) कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला में अप्रैल 2008 के मास के लिए बकाया विवरणी की नमूना जांच में पाया गया (दिसम्बर 2013) कि ₹5.24 करोड़ का बकाया चूककर्ताओं से वसूली के रूप में विभागाध्यक्ष को प्रतिवेदित करना था। तथापि, विभागाध्यक्ष (सितम्बर 2013) तथा लेखापरीक्षा (अक्तूबर 2013) को ₹4.50 करोड़ (₹74.00 लाख कम) के रूप में सूचना दी गई थी। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने दिनांक 25 जून 2014 को दिये अपने उत्तर में ₹74.00 लाख कम बकाया प्रतिवेदन के कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये थे।
- (iii) कार्यालय उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़नदस्ता), परवाणु स्थित दक्षिण क्षेत्र में लेखापरीक्षा ने पाया (सितम्बर 2013) कि जून 2008 तक बकाया का अथशेष ₹2,71,66,299 था जिसका ₹8700 उसी मास के दौरान वसूल किया दर्शाया गया था। अंतशेष की गणना ₹2,71,57,599 के बजाए ₹1,72,07,476 के रूप में की गई थी। विभाग द्वारा गलती को निरूपित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹99.50 लाख के बकाया को कम दर्शाया गया था।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि मामले की जांच की जाएगी तथा चूककर्ता इकाइयों के विरुद्ध तदनुसार उचित कार्रवाई आरम्भ की जाएगी।

2.3.10 बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूल किये जाने वाले मामलों की घोषणा न करना

बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के आधार पर मांगे, जो सूचना में निर्धारित समय के भीतर वसूल किये बिना रही, बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूलने योग्य बनेंगी। विभागीय प्राधिकारियों को चूककर्ताओं से सरकारी देयों की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए 1990 तथा 1993 के दौरान हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत सहायक समाहर्ता/ समाहर्ता की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। बकाया भू-राजस्व के रूप में बकाया की वसूली के लिए अधिनियमों में विभाग द्वारा समय सीमा की न तो घोषणा की गई और न ही इसे निश्चित किया गया।

लेखापरीक्षा ने पांच कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/ उप आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁷ के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी मामला अनुशीलन के लिए घोषित नहीं किया गया था, यद्यपि चूककर्ताओं की संख्या 2008-09 में 796 से 2013-14 में 1069 तक बढ़ गई थी। विगत पांच वर्षों की अवधि के दौरान वसूली योग्य सरकारी देयताएं ₹14.73 करोड़ से ₹52.81 करोड़ बढ़ गईं। अतः सरकारी देयताओं को वसूलने के लिए सम्बंधित कर्मचारियों ने प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग नहीं किया था जिससे प्रत्यायोजन के अभिप्रेत परिणाम प्राप्त नहीं हो सके थे।

⁶ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना (04/2008 से 03/2013 की अवधि) तथा उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, उड़नदस्ता, दक्षिणी क्षेत्र (04/2011 से 03/2013 की अवधि)

⁷ बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता) दक्षिणी क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र

2.3.10.1 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत बकाया की वसूली की घोषणा/आरम्भ करने में विलम्ब

बकाया की वसूली के लिए हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत चूककर्ताओं के विरुद्ध समयबद्ध कार्रवाई फलदायी साबित होगी। हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम की धारा 74 में प्रावधान है कि बकाया भू-राजस्व की वसूली अधिनियम में प्रावधान की गई किसी एक अथवा अधिक प्रक्रियाओं द्वारा की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने दो कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁸ के अभिलेखों की नमूना जांच की (अगस्त 2013 तथा मार्च 2014) तथा पाया कि 31 व्यापारियों के विरुद्ध ₹36.02 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित करते हुए वर्ष 1977-78 से 2010-11 के लिए कर निर्धारण को अंतिम रूप दिया (मार्च 1991 तथा अप्रैल 2012)। अतिरिक्त मांग की वसूली करने में विफल रहने पर समाहर्ता-सह-सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने मार्च 1993 तथा अप्रैल 2013 के मध्य तकरीबन सभी मामलों में कर निर्धारण के बाद 1 से 14 वर्षों के मध्य के विलम्ब सहित बकाया भू-राजस्व के रूप में बकाया के वसूल किये जाने की घोषणा की थी तथा एक मामले में विलम्ब 20 वर्ष का था।

कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सिरमौर में यह देखा गया था कि 15 चूककर्ताओं के मामले में ₹3.68 करोड़ की अतिरिक्त मांग अगस्त 2010 तथा सितम्बर 2011 के मध्य बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूलने के लिए घोषित की गई थी तथा हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम में किये गए प्रावधान के अंतर्गत चूककर्ताओं से देयताओं की वसूली के लिए आगे कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी तथा देयताएं वसूल नहीं की गई थी।

इसे इंगित किये जाने पर सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया कि वैधानिक जटिलताओं के कारण कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की जा सकी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व नियमावली के अंतर्गत चूककर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी यद्यपि पर्याप्त समय बीत चुका था।

2.3.10.2 भू-राजस्व मामलों के बकाया की पंजिका का अनुचित अनुरक्षण

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली कार्रवाइयों के संचालन के उद्देश्य के लिए चूककर्ता की विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं एक पंजिका जिसे भू-राजस्व मामलों की पंजिका कहा जाता है, में अनुरक्षित किया जाता है।

सिरमौर तथा ऊना के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना जांच की गई (सितम्बर 2013 तथा जनवरी 2014 के मध्य) तथा पाया गया कि विभिन्न विवरण जैसे कि जमानत देने वालों के नाम, प्रतिभूति की राशि, अचल सम्पत्ति, बकाया के मामलों की प्राप्ति, चूककर्ताओं से विभिन्न गणनाओं जैसे कर, शास्ति एवं ब्याज पर वसूली योग्य राशि बकाया भू-राजस्व पंजिका में दर्ज नहीं की गई थी। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालय ऊना में वर्ष 1991-92 से 2006-07 के लिए बकाया भू-राजस्व पंजिका के अनुसार 24

⁸ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन.-बददी तथा सिरमौर

चूककर्ताओं के मामले में ₹5.18 करोड़ का बकाया शेष था जिसकी 31 मार्च 2013 तक बकाया के रूप में गणना नहीं की गई थी। ये बकाया फाइलें लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि विभागाध्यक्ष की सूचना के अधीन बकाया अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए सम्बंधित इकाइयों को निर्देश दिये जाएंगे।

2.3.10.3 योग न करने/ब्याज के अल्प योग/त्रुटिपूर्ण परिकलन के कारण बकाया भू-राजस्व की अल्पकालिक घोषणा

तीन⁹ कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अनुरक्षित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (जुलाई 2013 तथा दिसम्बर 2013) कि 1977-78 से 2006-07 की अवधि के लिए मार्च 1991 तथा जून 2011 के मध्य निर्धारित ₹22.07 करोड़ का कर तथा शास्ति का भुगतान 24 चूककर्ताओं द्वारा नहीं किया गया था। मार्च 2007 तथा दिसम्बर 2012 के मध्य समाहर्ता-सह-सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने इन बकायों को बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूलने की घोषणा कर निर्धारण की तिथि के 2 से 245 महीनों के मध्य के विलम्ब सहित की थी। विभाग ने ब्याज राशि (₹1.97 करोड़) अथवा परिकलित त्रुटि (₹0.49 करोड़) को अपवर्जित करते हुए ₹24.04 करोड़ की वास्तविक घोषणा योग्य राशि के प्रति बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूली के लिए ₹21.58 करोड़ की राशि घोषित की थी। इसके परिणामस्वरूप बकाया भू-राजस्व मामलों में ₹2.46 करोड़ के सरकारी राजस्व की अल्पकालिक घोषणा की गई।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को सभी मामलों की पुनः जांच तथा वास्तविक राशि को बकाया भू-राजस्व पंजिका में परिकलित करने और चूककर्ताओं से वसूली को प्रभावित करने के निर्देश दिये गए थे।

2.3.10.4 उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त के मध्य समन्वय की कमी

उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता) दक्षिणी क्षेत्र में ₹9.48 लाख का बकाया कर निर्धारण वर्ष 2002-03 के लिए मैसर्स गणेश राइस एण्ड जनरल मिल्स, काला अम्ब, सिरमौर से वसूलने योग्य था (मार्च 2013) जिसे उड़न दस्ते द्वारा अगस्त तथा अक्टूबर 2002 के मध्य निरूपित करने के दौरान उद्ग्रहीत किया गया था जिसके प्रति व्यापारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्पेशल लीव पेटिशन दाखिल की थी। न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव पेटिशन को जनवरी 2011 में रद्द कर दिया गया था किन्तु उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त को इस सम्बंध में जानकारी नहीं थी। आगे यह पाया गया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर ने, तथापि, वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 से सम्बंधित ₹10.01 लाख की अतिरिक्त मांग का सृजन किया तथा बकाया भू-राजस्व के रूप में घोषित किया (अगस्त 2010) किन्तु उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता) के कार्यालय से सम्बंधित मांग बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूली के लिए अपवर्जित रही। अतः उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त तथा सहायक आबकारी एवं कराधान

⁹ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त कांगड़ा, बी.बी.एन.-बददी तथा सिरमौर

आयुक्त के बीच समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप ₹9.48 लाख का बकाया, बकाया भू-राजस्व मामले में शामिल नहीं हो पाया।

2.3.10.5 कुर्क की गई सम्पत्ति का निपटान न किया जाना

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम की धारा 81 में बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूल की जाने वाली सरकारी देयताओं की वसूली के लिए परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा धारण करने तथा कुर्की का प्रावधान है।

छ: कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹⁰ के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) ने दर्शाया कि 20 चूककर्ता करदाताओं ने 1984-85 से 2008-09 वर्षों के लिए निर्धारित (अगस्त 1990 तथा मई 2012) ₹27.98 करोड़ की मांग का भुगतान नहीं किया। मार्च 2002 तथा जुलाई 2013 के मध्य सम्पत्ति कुर्क और जून 1995 तथा जून 2013 के मध्य बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूल किये जाने के लिए इन बकायों की घोषणा की गई थी, किन्तु सरकारी देयताओं की वसूलियों को प्रभावित करने के लिए कुर्क सम्पत्ति के विक्रय हेतु कोई प्रयास नहीं किये गए थे।

2.3.10.6 राजस्व वसूली अधिनियम के अंतर्गत वसूली प्रक्रिया की पहल न करना

राजस्व वसूली अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि यदि एक बकाया भू-राजस्व, एक चूककर्ता द्वारा उस एक जिले के अतिरिक्त जिसमें बकाया प्रोद्भूत अथवा राशि भुगतान योग्य है, में सम्पत्ति रखते अथवा होते हुए भुगतान योग्य है, समाहर्ता उस जिले के समाहर्ता को एक प्रमाण पत्र जिसमें चूककर्ता का नाम तथा ऐसे अन्य विवरण जो पहचान तथा उसके द्वारा भुगतान योग्य राशि एवं कारण जिसके लिए यह देय है के लिए अनिवार्य हो बताते हुए भेजेगा।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2013 तथा मार्च 2014) में पाया गया था कि 12 चूककर्ताओं जिनकी सम्पत्तियां अन्य जिलों के राजस्व अधिकार क्षेत्र में अवस्थित थी कर निर्धारण वर्ष 1987-88 से 2008-09 से सम्बंधित कर निर्धारित (जून 1996 से मार्च 2012) ₹6.60 करोड़ की अतिरिक्त मांग का भुगतान करने में विफल रहे थे। यह राशि अगस्त 2010 तथा सितम्बर 2011 के मध्य बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूली के लिए घोषित की गई थी। राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए किसी भी तरह का मामला जिला समाहर्ता को अग्रेषित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप राजस्व वसूली अधिनियम के अंतर्गत वसूली प्रक्रिया की कोई पहल नहीं की गई थी।

अतः अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत विभिन्न कार्यों की पूर्णता के लिए समय सीमा के निर्धारित न किये जाने के परिणामस्वरूप चूककर्ताओं के विरुद्ध वसूली प्रक्रिया शुरू करने तथा सरकारी देयताओं के निर्धारण में विलम्ब हुआ।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि मामले की जांच की जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सम्बंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने कुर्क सम्पत्ति की बिक्री के लिए कदम उठाने के निर्देश दिये थे।

¹⁰ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन.-बददी: पांच मामले, बिलासपुर: चार मामले, हमीरपुर: दो मामले, कांगड़ा: दो मामले, सिरमौर स्थित नाहन: तीन मामले तथा ऊना: चार मामले

2.3.11 अतिरिक्त मांग के विलंबित भुगतान पर ब्याज का उद्ग्रहण न करना

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 17 क (2) तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 19 (2) में प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी से देय कर अथवा शास्ति की राशि मांग की सूचना में निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं की जाती अथवा यदि कोई अवधि निर्धारित नहीं है तो तीस दिन के भीतर व्यापारी सूचना में निर्धारित अवधि अथवा तीस दिन की अवधि समाप्त हो जाती है, उस पर ऐसी राशि पर निर्धारित तिथि से तुरंत बाद वाली तिथि को प्रतिमाह एक प्रतिशत की दर पर एक माह के लिए तथा उसके बाद जब तक चूक जारी रहती है डेढ़ प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

आठ चयनित इकाइयों में से सात¹¹ इकाइयों में अनुरक्षित अभिलेखों की अगस्त 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य हुई नमूना जांच ने दर्शाया कि जुलाई 2008 तथा मार्च 2013 के मध्य वर्ष 1998-99 से 2012-13 के लिए उगाहे 104 व्यापारियों के सम्बंध में ₹2.94 करोड़ की अतिरिक्त मांग सामान्य तीस दिन की अवधि से ऊपर 1 से 46 महीनों के मध्य के विलम्ब सहित व्यापारियों द्वारा भुगतान की जानी थी। देरी से किए गये भुगतान पर ₹2.94 करोड़ के बकाया पर ₹38.33 लाख की राशि का ब्याज भी वसूली योग्य था जिसका न तो कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण किया गया और न ही चूककर्ताओं द्वारा जमा किया गया। इसके परिणामस्वरूप बकाया के विलम्बित भुगतान पर प्रोद्भूत लगभग ₹38.33 लाख के ब्याज की वसूली नहीं हुई तथा इसी स्तर तक सरकारी राजस्व का अल्प कर अवनिर्धारण हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹² ने बताया कि ₹14.76 लाख की राशि पांच व्यापारियों से वसूल (अक्टूबर 2013 तथा अप्रैल 2014 के मध्य) तथा निर्धारित की गई थी।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षक को स्वीकार किया तथा बताया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को सभी मामलों के ऐसे चूककर्ताओं को खोजने तथा बकाया एवं ब्याज की वसूली के निर्देश दिए थे।

2.3.12 अपीलीय मामलों को संरक्षण न देना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 45 में प्रावधान है कि एक व्यापारी यदि निर्धारण प्राधिकारी के आदेशों से असंतुष्ट है तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दायर करेगा। विभाग ऐसे मामलों को संरक्षण देने के लिए बाध्य है।

पंखों एवं इनके कलपूजों का विनिर्माण एवं बिक्री कर की सामान्य दर पर अर्थात् 12.5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है।

सिरमौर स्थित नाहन के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई से सितम्बर 2014) ने दर्शाया कि पंखों के कलपूजों के विनिर्माण एवं बिक्री से जुड़े

¹¹ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन. - बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर स्थित नाहन, ऊना तथा उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़नदस्ता) दक्षिणी क्षेत्र

¹² बिलासपुर एक व्यापारी ₹13.88 लाख तथा सिरमौर स्थित नाहन चार व्यापारी ₹0.88 लाख

दो व्यापारियों¹³ का कर निर्धारण किया गया था (जून 2011) तथा वर्ष 2005-06 के लिए ₹15 लाख की अतिरिक्त मांग उठाई गई थी। निर्धारण प्राधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होकर व्यापारियों ने कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध अतिरिक्त आयुक्त-सह अपीलीय प्राधिकारी, दक्षिणी क्षेत्र (जुलाई 2011) को अपील दायर की थी।

विभाग को संरक्षण प्रदान करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कोई भी कार्यालय से उपस्थित नहीं हुआ। निर्धारण प्राधिकारी ने बिना किन्हीं विशेष आदेशों के निर्धारण प्राधिकारी के पास मामला वापिस भेज दिया (अक्टूबर 2011)। मामलों का 12.50 प्रतिशत के बजाए 4 प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्रहण के बाद पुनर्निर्धारण किया गया था (सितम्बर 2011) तथा पुस्तकों में बकाया ₹15.00 लाख की सीमा तक कम कर दिया गया था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारी का एक इसी तरह के मामले¹⁴ में आदेश का अनुसूची-क के अंतर्गत आवृत न होने वाली मदों वाले गीजर कलपूर्जों के विनिर्माण एवं बिक्री पर चार प्रतिशत की बजाए 12.50 प्रतिशत की दर पर निर्धारण किया था जिनका अपीलीय प्राधिकारी द्वारा वर्धन किया गया था (नवम्बर 2013)।

अतः अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष मामलों को संरक्षण देने में विफल रहने के परिणामस्वरूप बकाया की कटौती के साथ-साथ ₹27.44 लाख की राजस्व हानि तथा वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के कर निर्धारण के प्रति ₹40.46 लाख का ब्याज जिनका निर्धारण आगे 12.50 प्रतिशत की बजाए चार प्रतिशत की दर पर किया गया था का उद्ग्रहण नहीं किया गया था। देय कर को समय पर न जमा करवाना भी शास्ति उद्ग्रहण योग्य था।

2.3.12.1 हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 23 जुलाई 1999 की अधिसूचना द्वारा कनवरटीड टिम्बर सहित टिम्बर को कच्चेमाल से अपवर्जित किया था।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ऊना में लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2013 से फरवरी 2014) कि एक वन्य संविदाकार¹⁵ ने खैरवुड की बिक्री की थी तथा कच्चे माल के रूप में निर्माणकारी इकाई को विक्रय के प्रति कर की एक प्रतिशत रियायती दर के दावे के लिए प्रपत्र एस टी XXV-C प्रस्तुत किया था। निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 1999-2000 से 2001-02 के लिए मामले का पुनर्निर्धारण किया (जनवरी 2012) तथा ₹14.95 लाख की अतिरिक्त मांग का सृजन किया। निर्धारण प्राधिकारी से असंतुष्ट व्यापारी ने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को संशोधन के लिए अपील दायर की थी (मार्च 2012) जिसका निर्णय मई 2013 में लिया गया था। व्यापारी का मामला निर्धारण प्राधिकारी को यह कहते हुये प्रत्यार्पित किया था कि कथ्था के निर्माण के लिए खैरवुड कच्चा माल था तथा अपीलकर्ता का कच्चेमाल के रूप में इसकी बिक्री कथ्था निर्माण इकाई को करने का दावा सही था। जहां सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर में लेखापरीक्षा ने इसी तरह के एक मामले¹⁶ में पाया कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने खैरवुड की बिक्री पर कर की रियायती दर के लिए अनुमोदन नहीं दिया था (जुलाई 2007)। इसके परिणामस्वरूप ₹14.95 लाख के बकाया की वसूली नहीं हुई।

¹³ मैसर्स टी0एल0टी0 इलेक्ट्रीकल तथा श्री प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज मोगीनंद, काला अम्ब, सिरमौर

¹⁴ मैसर्स आर0डी0एस0 इन्टरप्राइजिज, काला अम्ब, सिरमौर

¹⁵ मैसर्स जयदेव, वन संविदाकार, ऊना: 1999-2000 ₹0.92 लाख, 2000-01 ₹2.00 लाख तथा 2001-02 ₹12.03 लाख

¹⁶ मैसर्स सुभाष कुमार, वन संविदाकार, बिलासपुर

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षक को स्वीकार किया तथा बताया कि मामले की जांच किये जाने की आवश्यकता थी।

2.3.13 स्वीकृत दावे का गैर अनुशीलन

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की नमूना जांच ने दर्शाया कि एक व्यापारी¹⁷ के वर्ष 1992-93 से 1997-98 के लिए कर निर्धारण जनवरी 1998 तथा फरवरी 2001 के मध्य किये गए थे तथा ₹1.65 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। इन आदेशों से असंतुष्ट व्यापारी ने अप्रैल 2007 में अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर की थी। अपील पर निर्णय लिया गया था (जून 2007) तथा निर्धारण प्राधिकारी के पास नवीन आदेशों हेतु प्रत्यार्पित किया किन्तु व्यापारी पुनः कर निर्धारण के लिए उपस्थित नहीं हुआ। मामले का पुनः (जुलाई 2009) कर निर्धारण ₹4.16 करोड़ की अतिरिक्त मांग सहित किया गया था। इसी दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय से (अप्रैल 2005) सम्बद्ध विभागीय परिसमापक ने ₹28.00 लाख के लिए दावा स्वीकार किया था। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने आबकारी एवं कराधान आयुक्त को सम्बंधित अधिकारी के साथ मामला उठाने के लिए लिखा (दिसम्बर 2012 तथा अक्टूबर 2013)। आबकारी एवं कराधान आयुक्त से स्वीकृत दावे की प्रास्थिति से सम्बंधित सूचना मांगे जाने पर यह सूचित किया गया (अगस्त 2014) कि सूचना संग्रहीत की जा रही थी।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षक को स्वीकार किया तथा बताया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त को सम्बंधित अधिकारियों के साथ मामला उठाने तथा शेष राशि की वसूली के लिए अनुदेश जारी किये गये थे।

2.3.14 प्रतिभूति/ जमानत से सम्बंधित प्रावधानों की मंत्रणा न करना

2.3.14.1 व्यापारियों से प्रतिभूति/जमानत प्राप्त न करना

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 11 तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान है कि आयुक्त अथवा उसे सहयोग देने के लिये नियुक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रतिभूति प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर नियमावली के नियम 5 तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 4 में अपेक्षित है कि निर्धारण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए व्यापारी को व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ दो ऋण शोधनक्षम जमानतें प्रस्तुत करेगा। यह कुछ हद तक सरकारी राजस्व के भुगतान में चूक के मामले में संरक्षण प्रदान करता है। एक निश्चित मूल्य के लिए जमानती बंदपत्र प्रस्तुत एवं स्वीकार किया जाना चाहिए ताकि एक व्यापारी के चूककर्ता हो जाने के मामले में एक निश्चित राशि की वसूली की जा सके।

लेखापरीक्षा ने जुलाई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य पांच¹⁸ कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि 84 करदाताओं से वर्ष 1978-79 से 2011-12 के लिए ₹36.55 करोड़ की अतिरिक्त मांग जो अगस्त 1990 तथा मार्च 2013 के

¹⁷ मैसर्स विलेज पेपर मिल्स प्रा0लि0, मैहतपुर

¹⁸ बी.बी.एन. - बद्दी 17 मामले: ₹18.50 करोड़, बिलासपुर-पांच मामले: ₹0.23 करोड़, हमीरपुर-17 मामले: ₹0.82 करोड़, कांगड़ा-21 मामले: ₹1.42 करोड़ तथा ऊना-24 मामले: ₹15.58 करोड़

मध्य निर्धारित की गई थी, वसूली योग्य थी। प्रतिभूति जैसा उपरोक्त रूप में प्रावधान है, प्राप्त नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त, तीन कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹⁹ में यद्यपि नौ मामलों में वर्ष 1997-98 से 2010-11 के कर निर्धारण के लिए अप्रैल 2006 तथा जून 2012 के मध्य ₹2.30 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी किन्तु उपरोक्त प्रावधान के अनुसार कोई प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई थी।

2.3.14.2 जमानती बंद पत्र की अनुचित संस्वीकृति

कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला में चार व्यापारियों के कर वर्ष 1999-2000 से 2009-10 हेतु कर निर्धारणों को मार्च 2006 तथा जून 2011 के मध्य अंतिम रूप दिया गया था तथा ₹15.88 लाख की एक अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी। व्यापारियों ने किसी भी राशि अथवा नगण्य राशियों के लिए आठ जमानतें प्रस्तुत की थी। क्योंकि इन जमानती बंद पत्रों में किसी निश्चित मूल्य का जिक्र नहीं था, जमानतें किसी काम की नहीं थी।

दो कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁰ में दो करदाताओं ने वर्ष 1987-88 से 2003-04 के लिए जून 1996 तथा मार्च 2008 के मध्य निर्धारित ₹12.72 लाख की समेकित अतिरिक्त मांगों का भुगतान नहीं किया गया था। व्यापारियों द्वारा ₹1.25 लाख की प्रतिभूतियां प्रस्तुत की गई थी किन्तु सम्बंधित आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों द्वारा सम्पर्क करने पर करदाताओं ने जमानती बंदपत्रों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था।

2.3.14.3 प्रतिभूति का अपवर्तन न करना/ जमानती से वसूली न करना

(i) लेखापरीक्षा ने जुलाई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य पांच कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²¹ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि कर निर्धारण वर्ष 1984-85 से 2013-14 से सम्बंधित ₹24.32 करोड़ की अतिरिक्त मांग जो जून 2000 तथा मई 2013 के मध्य निर्धारित की गई थी, 36 करदाताओं से वसूली योग्य थी। इन करदाताओं ने ₹9.57 लाख (मूलधन) की प्रतिभूति प्रस्तुत की थी किन्तु इसका विभाग द्वारा अपवर्तन नहीं किया गया था।

(ii) कार्यालय उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़नदस्ता), दक्षिणी क्षेत्र, में एक व्यापारी²² के प्रति ₹5.62 लाख का बकाया (जो अक्टूबर 2006 में निरूपण के दौरान उड़न दस्ते द्वारा उद्ग्रहीत किया गया था) शेष था। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़नदस्ता) ने (मई 2009) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सिरमौर को व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति के अपवर्तन के लिए लिखा। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने करदाता के प्रति फरवरी 2013 में उसके द्वारा सृजित ₹3.46 लाख की अतिरिक्त वसूली के लिए प्रतिभूति अपवर्तित की थी (मार्च 2013) तथा वसूली प्रमाण पत्र निरस्त किया (फरवरी 2013)।

¹⁹ बिलासपुर, कांगड़ा स्थित धर्मशाला तथा सिरमौर स्थित नाहन

²⁰ कांगड़ा स्थित धर्मशाला: ₹1.00 लाख तथा सिरमौर स्थित नाहन: ₹0.25 लाख

²¹ बी.बी.एन.-बददी सात मामले: ₹20.39 करोड़, बिलासपुर-सात मामले: ₹1.25 करोड़, हमीरपुर-एक मामला: ₹0.16 करोड़, सिरमौर स्थित नाहन-14 मामले: ₹1.99 करोड़ तथा ऊना-6 मामले: ₹0.53 करोड़

²² मैसर्स लिंटेक लाइटिंग कम्पनी, काला अम्ब

अतः प्रतिभूति के प्रति कम्पनी का ₹5.62 लाख का बकाया समायोजित नहीं किया जा सका। इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2013) उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने बताया कि मामला स्टाफ की कमी के कारण चालू नहीं रखा जा सका था तथा अब सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) छः कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²³ में 119 करदाताओं के प्रति कर निर्धारण वर्ष 1984-85 से 2012-13 के लिये सृजित (मार्च 1991 तथा मई 2013 के मध्य) ₹67.34 करोड़ की अतिरिक्त मांगे वसूली योग्य थी। करदाताओं ने ₹1.52 करोड़ तक की समेकित राशि के लिए 229 जमानतें प्रस्तुत की थी किन्तु इसके प्रति फरवरी 2001 तथा मार्च 2013 के मध्य ₹2.10 लाख की एक मात्र राशि सात जमानतियों²⁴ से वसूल की जा सकती थी।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि मामले की जांच की जाएगी तथा तदनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

2.3.15 वैध उत्तराधिकारियों से देयताओं की अवसूली

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 28-क तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के नियम 42 में वैधानिक उत्तराधिकारियों द्वारा उसकी मृत्यु उपरांत उस के वैधानिक प्रतिनिधि अथवा किसी व्यक्ति द्वारा कर भुगतान करने के दायित्व का प्रावधान है।

आठ कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/ उप आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान दो कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁵ में यह पाया गया था कि दो व्यापारियों ने कर निर्धारण वर्ष 1977-78 से 2004-05 के लिए मार्च 1991 तथा जनवरी 2008 के मध्य निर्धारित ₹11.22 लाख की मांग का भुगतान नहीं किया था। विभाग वैध उत्तराधिकारियों से मांग वसूल नहीं कर सका क्योंकि व्यापारियों की मृत्यु हो चुकी थी।

2.3.16 समय सीमा का निर्धारण न किया जाना

आबकारी एवं कराधान विभाग के अंतर्गत बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर पर लागू कुछ प्रावधान अधिनियम तथा नियम निम्नवत् हैं:

- हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 (4) तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 21(5) में प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी एक अवधि के सम्बंध में विवरण प्रस्तुत करता है और जारी सूचना की शर्तों की अनुपालना करने में विफल हो जाता है तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद पांच वर्षों के भीतर व्यापारी से देय कर की राशि स्वविवेक से निर्धारित करेगा।
- हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर अधिनियमों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में सरकारी देयताओं जैसे कि वैध उत्तराधिकारियों से वसूली, प्रतिभूति इत्यादि के

²³ बी.बी.एन.-बददी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर स्थित नाहन तथा ऊना

²⁴ सिरमौर स्थित नाहन-5 मामले ₹1.90 लाख तथा ऊना- 2 मामले ₹0.20 लाख

²⁵ कांगड़ा स्थित धर्मशाला: मैसर्ज के0के0 इन्डस्ट्रीज धर्मशाला: ₹5.18 लाख सिरमौर स्थित नाहन मैसर्ज संता सिंह भुपिन्दर सिंह, बदरी नगर : ₹6.04 लाख

अपवर्तन द्वारा वित्तीय संस्थान के माध्यम से करदाताओं की जमानतों की वसूली के विभिन्न उपायों का प्रावधान है।

- हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत सरकारी देयताओं की वसूली किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं जैसे कि चूककर्ता पर रिट मांग सेवा, कैद एवं कारावास, चल सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री, परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा जब्ती अथवा धारण तथा चूककर्ता की चल सम्पत्ति के प्रति कार्रवाइयां, को अपनाकर प्रभावित की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर अधिनियमों के अंतर्गत कर निर्धारण/ संवीक्षा हेतु अधिसूचना जारी करने, बकाया की वसूली के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं की पूर्णता तथा हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम/ नियमों के अंतर्गत वसूली प्रक्रियाओं को पूर्ण तथा प्रारम्भ करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। विभागाध्यक्ष ने ऐसी कोई समय सीमा भी निर्धारित नहीं की थी।

2.3.17 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

एक संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध इसकी कार्यप्रणाली के अनुश्रवण के लिए एक महत्वपूर्ण स्कंध है। यह प्रबंधन को, जहां कहीं आवश्यक हो, यह सुनिश्चित करने कि प्रणालियां तार्किक रूप से कार्य कर रही हैं तथा बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है, के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने में मददगार है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त के कार्यालय में वित्त विभाग के अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा गठित की गई है जिससे विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करना अपेक्षित है।

आठ क्षेत्रीय कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत आवृत्त अवधि के दौरान बकाया से सम्बंधित अभिलेखों की जांच नहीं की थी।

सरकार ने अंतिम सम्मेलन (सितम्बर 2014) में प्रेक्षण को स्वीकार किया तथा बताया कि स्टॉफ की कमी के कारण इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की जा सकी थी।

2.3.18 निष्कर्ष

हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर/ हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर / हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व/ राजस्व वसूली अधिनियम के अंतर्गत दिये गए बकाया के विस्तृत डाटाबेस तैयार करने की प्रणाली, इसके नियमित अनुश्रवण तथा अपनाए गए विभिन्न उपायों में कमियां थी। बकाया भू-राजस्व के अंतर्गत बकाया के मामलों का उचित अनुशीलन नहीं हुआ था, व्यापारियों की सम्पत्तियां कुर्क नहीं की गई थी अथवा देयताओं की समय पर वसूली के लिये कुर्क सम्पत्तियों की नीलामी नहीं की गई थी। बकाया की वसूली की विभिन्न प्रक्रियाओं की समाप्ति के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध ने संवीक्षा की अवधि के दौरान बकाया मामलों की लेखापरीक्षा नहीं की थी।

2.3.19 सिफारिशें

सरकार को निम्नवत पर विचार करना चाहिए:

- (i) बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर के बकाया के डाटाबेस के सृजन एवं अद्यतन के लिए एक प्रभावशाली प्रणाली का सृजन, इसका नियमित अनुशीलन, अपील मामलों का त्वरित निपटान;
- (ii) (i) बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर अधिनियम (ii) हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम तथा (iii) राजस्व वसूली अधिनियम के अंतर्गत वसूली प्रक्रिया की पूर्णता के लिए समय सीमा निर्धारण; और
- (iii) कर निर्धारण में त्रुटियों की समय पर पहचान एवं सुधार, बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर राजस्व का उद्ग्रहण एवं संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध को सबल बनाना।

अन्य लेखापरीक्षा प्रेक्षण

2.4 कुल बिक्री का गलत निर्धारण

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 2(v) (iv) के अनुसार बिक्री में रोकड़ के लिए किसी उद्देश्यार्थ किसी माल के प्रयोग के लिए अधिकार हस्तांतरण, स्थगित भुगतान अथवा अन्य मूल्यवान प्रतिफल समाविष्ट हैं। उपरोक्त अधिनियम की धारा 19 में आगे प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी निर्धारित तिथि को देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह एक महीने की अवधि के लिए देय कर एक प्रतिशत की दर पर तथा उसके बाद जब तक चूक जारी रहती है प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की दर पर ब्याज के भुगतान करने का दायी हो जाता है।

लेखापरीक्षा ने जुलाई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य सात कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁶ के कर निर्धारण अभिलेखों में पाया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने जुलाई 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य वर्ष 2005-06 से 2010-11 के लिए 11 व्यापारियों के कर निर्धारण को अंतिम रूप दिया था तथा ₹223.73 करोड़ के प्रति ₹182.36 करोड़ पर सकल बिक्री अथवा कर योग्य बिक्री का निर्धारण किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने किसी भी सकल प्राप्तियों/ प्रमाणित प्राप्तियों की तुलना में कर निर्धारकों द्वारा कुल बिक्री का न्यून निर्धारण अथवा निम्नतर निर्धारण की ओर पर संज्ञान नहीं लिया था। अतः ₹41.37 करोड़ की सकल कुल बिक्री/ कर योग्य कुल बिक्री के अल्प कर निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹4.25 करोड़²⁷ के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹3.74 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

लेखापरीक्षा ने जनवरी तथा मई 2014 के मध्य मामला विभाग तथा सरकार को प्रतिवेदित किया था। विभाग ने बताया कि पांच मामलों में ₹18.82 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी जिसमें से तीन मामलों में ₹4.35 लाख वसूल किये गए थे। शेष मामले सम्बंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के विचाराधीन थे (दिसम्बर 2014)।

2.4.2 लेखापरीक्षा ने दो कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁸ के दो विक्रेताओं के व्यवसायिक खातों में पाया (नवम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) कि उन्होंने 2005-06 से 2009-10 की कर अवधि के लिए माल/ मशीनरी के किराया प्रभारों के आधार पर ₹4.45 करोड़ प्राप्त किये थे। तथापि, व्यापारियों ने अपनी विवरणियों में माल/ किराया प्रभारों की राशि शामिल नहीं की थी और इसलिए इस पर कर भुगतान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य इन व्यापारियों के कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय गलती की पहचान नहीं की थी यद्यपि ऐसी प्राप्तियां व्यापारिक खातों में उपलब्ध थी। इसके परिणामस्वरूप ₹17.81 लाख के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹18.00 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

लेखापरीक्षा ने जनवरी तथा मई 2014 के मध्य मामला विभाग तथा सरकार को प्रतिवेदित किया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

²⁶ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त- बी.बी.एन.-बददी, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर स्थित नाहन तथा सोलन

²⁷ बी.बी.एन.-बददी: चार व्यापारी: ₹34.60 लाख, हमीरपुर: एक व्यापारी: ₹23.01 लाख, कुल्लू: एक व्यापारी: ₹1.91 लाख, मण्डी: एक व्यापारी: ₹0.15 लाख, शिमला: एक व्यापारी: ₹6.57 करोड़, सिरमौर स्थित नाहन: एक व्यापारी: ₹29.70 लाख तथा सोलन: दो व्यापारी: ₹52.48 लाख ब्याज सहित

²⁸ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त-हमीरपुर: एक व्यापारी: ₹4.41 लाख तथा मण्डी: एक व्यापारी: ₹31.40 लाख

2.5 कर की गलत दर लागू करना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार धारा 6 के अंतर्गत अनुसूची-क के अनुसार एक व्यापारी द्वारा की गई बिक्रियों पर कर उद्ग्राह्य है। अनुसूची-क में यह भी प्रावधान है कि उसमें उल्लिखित वस्तुओं के संदर्भ में बिक्री की प्रत्येक अवस्था पर निर्धारित दरों पर कर उद्ग्रहण किया जाएगा। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19 में यह भी प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो वह एक मास तक देय कर पर एक प्रतिशत की दर से तथा इसके बाद चूक जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर कर की अदायगी करने का दायी होगा।

लेखापरीक्षा ने जून तथा अक्टूबर 2013 के मध्य तीन कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁹ के अभिलेखों में पाया कि 11 व्यापारियों ने वर्ष 2006-07 तथा 2012-13 के दौरान ₹91.37 करोड़ के मूल्य की अन्तर्राज्य बिक्रियां की थी जो 12.50 अथवा 13.75 प्रतिशत की दर पर कर योग्य थी। कर निर्धारण प्राधिकारियों ने फरवरी 2012 तथा जनवरी 2013 के मध्य कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय 12.50 अथवा 13.75 प्रतिशत की सही दरों की बजाए चार अथवा पांच प्रतिशत की दर पर बिक्री निर्धारण किया था। इन चूकों के परिणामस्वरूप ₹7.00 करोड़ के कर की अल्प उगाही हुई, इसके अतिरिक्त ₹4.96 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

इसे इंगित किये जाने पर सरकार ने अगस्त तथा नवम्बर 2013 के मध्य सूचित किया कि चार मामलों में ₹1.01 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित एवं वसूल की गई तथा शेष मामले सम्बंधित कर निर्धारण प्राधिकारियों के विचाराधीन थे (दिसम्बर 2014)।

2.6 श्रम प्रभारों/ सामग्री की लागत का गलत अनुमोदन

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के नियम 69 (2) में प्रावधान है कि जहां श्रम प्रभार संविदाकारों के कार्यों के लेखा से निर्धारण योग्य नहीं हैं अथवा संविदा की प्रकृति के प्रतिफल में अतार्किक रूप से उच्च समझे जाते हैं तो पूर्वोक्त नियमों की तालिका के कॉलम (2) में निर्धारित संविदा के प्रकार के लिए कॉलम (3) में निर्धारित सीमाओं के अनुसार कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा श्रम प्रभारों के लिए कटौतियों का अनुमोदन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की उप धारा 2(v) के अनुसार बिक्री में संविदा कार्यों के निष्पादन में शामिल वस्तुओं में सम्पत्ति का हस्तांतरण अंतर्विष्ट है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त के दिसम्बर 2008 के अनुदेशों के अनुसार यदि संविदादाता द्वारा सामग्री की पूर्ति आंशिक अथवा पूर्ण रूप से की जाती है तथा उसके मूल्य को संविदाकारों की अदायगी के प्रति संतुलित किया जाता है तो कर के निर्धारणार्थ इस प्रकार आपूरित की गई सामग्री के मूल्य की सकल बिक्री से कटौती नहीं की जाएगी जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दो मामलों³⁰ में ठीक भी ठहराया गया है।

²⁹ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला (एक व्यापारी: ₹2.04 लाख), सिरमौर स्थित नाहन (पांच व्यापारी: ₹33.10 लाख) तथा सोलन (पांच व्यापारी: ₹11.61 करोड़)

³⁰ एन0एम0 गोयल एण्ड कम्पनी बनाम बिक्री कर अधिकारी राजनंद गांव तथा दूसरा (1988) 72 एस0टी0सी0 एस0सी0 368 तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लि0 बनाम आंध्रप्रदेश राज्य (1998) 109 एस0टी0सी0 एस0सी0 425

लेखापरीक्षा ने चार कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³¹ के कर निर्धारण अभिलेखों में पाया (अगस्त 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) कि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने 2005-06 से 2011-12 की अवधि के लिए अगस्त 2011 तथा मार्च 2013 के मध्य आठ व्यापारियों के कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय स्वीकार्य ₹23.83 करोड़ की कटौती के बजाए व्यापारी द्वारा दावा किये गए श्रम प्रभारों के आधार पर सकल कुल बिक्री से ₹40.70 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सम्बंधित कर निर्धारण प्राधिकारियों ने न तो व्यापारियों से श्रम लेखा प्राप्त किया और न ही व्यापारियों ने इसे प्रस्तुत किया था। अतः श्रम प्रभारों के आधार पर ₹16.88 करोड़ के आधिक्य अनुमोदन के परिणामस्वरूप ₹2.05 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹2.39 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(ii) जुलाई 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य तीन कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³² के कर निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल तथा दिसम्बर 2012 के मध्य कर निर्धारण प्राधिकारियों ने 2005-06 से 2010-11 वर्षों के लिए तीन संविदाकारों के कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय कार्यों के निष्पादन के लिए विभागों द्वारा आपूरित सामग्री के आधार पर सकल कुल बिक्री से उन्हें ₹1.34 करोड़ की कटौती करने की अनुमति दी। इस तरह से अनुमत्य कटौती अनियमित थी क्योंकि विभागों द्वारा संविदाकारों को सामग्री की आपूर्ति बिक्री के समकक्ष थी। इसके परिणामस्वरूप ₹6.65 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹7.48 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

इसे इंगित किये जाने पर (जुलाई 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य), सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने बताया सम्बंधित व्यापारियों को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने अक्टूबर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य मामला विभाग तथा सरकार को प्रतिवेदित किया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

2.7 कर की रियायती दर का गलत अनुमोदन

आबकारी तथा कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक जुलाई 1999 तथा जून 2009 की अधिसूचनाओं के द्वारा उन व्यापारियों को जो हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां चला रहे थे तथा वे इकाइयां हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी तथा कराधान विभाग के पास पंजीकृत थीं को अंतर्राज्यीय बिक्री/ व्यापार के लिए विनिर्मित वस्तुओं की कर योग्य बिक्री पर एक प्रतिशत पर केन्द्रीय बिक्री कर की रियायती दर अनुमत थी। रियायती दर प्राप्त करने के लिए अन्य शर्तों के साथ एक शर्त यह भी थी कि औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में स्थित इकाई में कुल श्रम शक्ति का 80 प्रतिशत हिमाचल के मूल निवासियों में से नियोजित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मार्च 2005 की अधिसूचना द्वारा औद्योगिक रूप से विकासशील क्षेत्रों के लिए हिमाचल के मूल निवासियों की श्रम शक्ति प्रतिशतता 70 प्रतिशत है।

³¹ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन.-बददी (दो व्यापारी: ₹19.00 लाख), कुल्लू (दो व्यापारी: ₹177.83 लाख), मण्डी तीन व्यापारी: ₹5.93 लाख तथा शिमला (एक व्यापारी: ₹2.02 लाख)

³² सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला: एक संविदाकार: ₹2.88 लाख, सिरमौर स्थित नाहन: एक संविदाकार: ₹2.82 लाख तथा ऊना: एक संविदाकार: ₹8.43 लाख

लेखापरीक्षा ने दो कार्यालय सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों³³ के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि (दिसम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) कि 2005-06 से 2009-10 के वर्षों के लिए सात विभिन्न विनिर्माण इकाइयों के कर निर्धारणों को कर निर्धारण प्राधिकारियों ने (जून 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) अंतिम रूप दिया तथा ₹108.02 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री पर एक प्रतिशत की रियायती दर लागू की। तथापि, इन इकाइयों ने औद्योगिक रूप से विकासशील तथा पिछड़े इलाकों में स्थित अपनी औद्योगिक इकाइयों में अनिवार्य 70 तथा 80 प्रतिशत के प्रति 51 से 69 तथा 70 से 78 प्रतिशत के मध्य मूल हिमाचल वासियों को रोजगार दिया था। इस प्रकार पूर्वोक्त शर्त को पूरी किए बिना इन इकाइयों को दो से चार प्रतिशत की लागू होने वाली दरों के बजाय एक प्रतिशत की रियायती दर की अनुमति अनियमित थी, जिसके फलस्वरूप ₹1.45 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹1.20 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

लेखापरीक्षा ने मार्च तथा मई 2014 के मध्य मामला विभाग तथा सरकार को प्रतिवेदित किया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

2.8 अवैध, डुप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों को स्वीकार करने के कारण कर अपवंचन

अवैध, डुप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण/ दुरुपयोग-प्रपत्र-‘सी’ तथा ‘एफ’

2.8.1 प्रपत्र-‘सी’

प्रपत्र ‘सी’ एक क्रेता व्यापारी द्वारा दो प्रतियों में जारी किया जाता है। ‘मूल’ चिन्हित की गई प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने विवरण के साथ सलंगन की जाती है तथा ‘डुप्लीकेट’ प्रति क्रेता व्यापारी द्वारा अपने अभिलेख में रख ली जाती है। न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित³⁴ किया गया है कि कर की रियायती दर का दावा करने के लिए प्रपत्र ‘सी’ की मूल प्रति कर के भुगतान से बचने की जालसाजी तथा ठगी करने के लिए प्रपत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6-क के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर (आर एण्ड टी) नियमावली, 1957 के नियम 12 (5) में प्रावधान है कि एक पंजीकृत व्यापारी को कर में छूट शाखा स्थानांतरण/ बिक्री प्रेषण की स्थिति में दी जाती है कि यदि ये घोषणा प्रपत्र-‘एफ’ द्वारा समर्थित हों। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बिक्री कर (आर एण्ड टी) नियमावली के नियम 12 (3) के अनुसार एक प्रपत्र ‘एफ’ को केवल एक कैलेंडर मास के लेनदेनों को आवृत करना है। इसके अतिरिक्त जब तक चूक जारी रहती है कर का भुगतान नहीं की गई राशि पर भी ब्याज निर्धारित दरों पर उद्ग्रहण योग्य है।

पांच कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³⁵ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अगस्त 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) में पाया कि 2006-07 से 2010-11 की कर अवधियों

³³ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त- बी.बी.एन.-बददी: चार व्यापारी: ₹0.86 करोड़ तथा ऊना: तीन व्यापारी: ₹1.78 करोड़

³⁴ आयुक्त बिक्री कर बनाम मैसर्स प्रभु दयाल प्रेम नारायण (1988) 71 एस टी सी (एस सी) तथा दिल्ली ऑटोमोबाइल प्रा0लि0 बनाम आयुक्त बिक्री कर (1997) 104 एस टी सी 75 (एस सी)

³⁵ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त- बी.बी.एन. - बददी (चार व्यापारी: ₹44.80 लाख), कुल्लू (एक व्यापारी: ₹1.90 लाख), मण्डी (एक व्यापारी: ₹1.36 लाख), सोलन (एक व्यापारी: ₹17.08 लाख) तथा ऊना (एक व्यापारी: ₹1.94 लाख)

के लिए मार्च 2011 तथा जून 2013 के मध्य आठ व्यापारियों के कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय कर निर्धारण प्राधिकारियों ने लेनेदेने के समर्थन में प्रस्तुत घोषणा प्रपत्रों जो या तो डुप्लीकेट/ अपूर्ण/ त्रुटिपूर्ण प्रतियां थी या **परिशिष्ट-V** में वर्णित 'सी' प्रपत्रों का दुरुपयोग था, के सत्यापन के बिना ₹4.23 करोड़ के मूल्य की अंतर्राज्यीय बिक्री पर अनियमित रियायती कर की अनुमति दे दी। ये प्रपत्र सम्बंधित कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा कर निर्धारण के समय नकार दिये जाने थे लेकिन ऐसा नहीं किया गया जिससे ₹35.61 लाख के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹31.47 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

2.8.2 प्रपत्र-‘एफ’

दिसम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य दो कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³⁶ के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2006-07 से 2007-08 कर निर्धारण वर्षों के लिए मार्च 2012 तथा मई 2013 के मध्य दो व्यापारियों के कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर निर्धारण प्राधिकारियों ने घोषणा प्रपत्र ‘एफ’ जो डुप्लीकेट प्रति अथवा एक कैलेंडर मास से अधिक के लेनेदेने को आवृत करते थे, के प्रति ₹1.19 करोड़ की स्टॉक राशि के हस्तांतरण पर ₹18.38 लाख के कर की छूट की अनुमति दे दी। प्रपत्र कर निर्धारण के समय नकार दिये जाने थे किन्तु सम्बंधित कर निर्धारण प्राधिकारियों ने इन प्रपत्रों की उचित तरीके से संवीक्षा नहीं की थी तथा छूट दे दी। इसके परिणामस्वरूप ₹8.69 लाख के कर का अनुद्ग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹9.69 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहाय था (**परिशिष्ट-VI**)।

लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2013 तथा मई 2014 के मध्य मामला विभाग तथा सरकार को प्रतिवेदित किया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

2.9 निवेश कर क्रेडिट की अनुमति

2.9.1 निवेश कर क्रेडिट की अनियमित अनुमति

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 11 (3) के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यापारी से क्रेता व्यापारी द्वारा राज्य में खरीदी गई कर योग्य वस्तुओं पर अदा किए गए निवेश कर की राशि की सीमा तक निवेश कर क्रेडिट अनुमत किया जाएगा। मई 2007 की अधिसूचना के अनुसार, एक व्यापारी से टैक्स अवधि के दौरान उसके द्वारा विक्रय की गई वस्तुओं के खरीद मूल्य पर निवेशकर क्रेडिट राशि स्वीकार्य होगी। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 19 में प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो वह एक मास की अवधि तक देय कर पर एक प्रतिशत की दर पर और उसके उपरांत चूक जारी रहने तक प्रति मास डेढ़ प्रतिशत की दर पर ब्याज की अदायगी करने हेतु दायी हो जाता है।

छ: कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³⁷ की जून 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य की गई अभिलेखों की संवीक्षा में पाया कि 2007-08 तथा 2011-12 की अवधियों में 50 व्यापारियों की वार्षिक विवरणियों का निर्धारण करते समय कर निर्धारण प्राधिकारियों ने विभिन्न

³⁶ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन.-बददी (दो व्यापारी: ₹12.42 लाख) तथा ऊना (एक व्यापारी: ₹5.96 लाख)

³⁷ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन.-बददी (एक व्यापारी: ₹2.34 लाख), हमीरपुर (12 व्यापारी: ₹33.96 लाख), मण्डी (10 व्यापारी: ₹125.25 लाख), शिमला (5 व्यापारी: ₹25.24 लाख), सोलन (11 व्यापारी: ₹40.16 लाख), तथा ऊना (11 व्यापारी: ₹27.53 लाख)

विधियां अपनाने हुए निवेश कर क्रेडिट अनुमत किया। तथापि, कुल खरीदों के प्रति स्थानीय खरीदों के अनुपात के आधार पर उन वर्षों के दौरान जिन पर कोई निवेश कर क्रेडिट अनुमत नहीं था, राज्य में पंजीकृत व्यापारियों से की गई खरीदों में से कर अवधियों के दौरान इन व्यापारियों के कुल अंत स्टॉक ₹29.56 करोड़ था। निर्धारण प्राधिकारियों ने अंत स्टॉक पर ₹1.56 करोड़ का निवेश कर क्रेडिट अनुमत करते समय उस सीमा तक कर निर्धारकों की कर देयता को भी आस्थगित कर दिया था, जो कि अन्यथा निर्धारण की तिथि को कर अवधियों के संदर्भ में वसूल किया जाना अपेक्षित था। इसके फलस्वरूप ₹1.57 करोड़ की राशि के निवेश कर क्रेडिट की अनियमित स्वीकृति हुई, इसके अतिरिक्त ₹98.06 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

2.9.2 शाखा हस्तांतरण/ प्रेषित माल पर निवेश कर क्रेडिट की गलत अनुमति

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 11 (4) (क) में प्रावधान है कि उपधारा (3) में यद्यपि कुछ भी निहित है निवेश कर क्रेडिट की केवल उस सीमा तक अनुमति दी जाएगी। जिसके द्वारा राज्य में अदा की गई निवेश कर की राशि बिक्री के तौर पर अंतर्राज्यीय व्यापार की तुलना में राज्य से बाहर भेजी गई वस्तुओं की खरीद पर चार प्रतिशत बढ़ी है।

जून 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, बी.बी.एन.-बददी तथा सोलन के कर निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने 2010-11 की कर अवधि के लिये तीन व्यापारियों के कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय स्टॉक हस्तांतरण पर निवेश कर क्रेडिट का निषेध नहीं किया था जैसाकि पूर्वोक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है। इसके परिणामस्वरूप ₹25.53 लाख के राजस्व का अवनिर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹13.27 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

अन्य मामले में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त शिमला के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त तथा अक्टूबर 2013 के मध्य) में पाया कि एक व्यापारी ने 2007-08 से 2009-10 की कर अवधि के लिए ₹9.31 लाख के निवेश कर क्रेडिट का दावा किया था जबकि उसने अपने साथी व्यापारी से वस्तुएं अधिकतम खुदरा मूल्य पर विशेषाधिकारी के रूप में बिक्री के लिए प्रेषित माल के आधार पर प्राप्त की थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे पाया गया कि प्रथम स्तर पर मूल्य वर्धित कर वसूल किया गया था तथा निवेश कर क्रेडिट के दावे का हक उनके करार के आधार पर प्रथम पार्टी के पास निहित था। कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यापारी के कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय इसका निषेध नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹5.06 लाख तक निवेश कर क्रेडिट का गलत अनुमोदन हुआ, इसके अतिरिक्त ₹4.25 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने ₹0.34 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की, तथापि, वसूली अभी की जानी है (दिसम्बर 2014)।

2.9.3 कर बीजकों के बिना निवेश कर क्रेडिट अनुमत करना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 11(7)(के) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली के नियम 20 तथा 25 में यह प्रावधान है कि पंजीकृत व्यापारी के पास कर बीजक उपलब्ध न हो तो वहां निवेश कर क्रेडिट अनुमत नहीं किया जाएगा। कर निर्धारण प्राधिकारी लेनदेन की प्रति-जांच करेगा तथा लेनदेन की वास्तविकता के संदर्भ में संतुष्ट हो जाने पर इस संदर्भ में आदेश जारी करके दावा अनुमत करेगा।

जून तथा जुलाई 2013 के मध्य कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि एक मामले में कर निर्धारण प्राधिकारी ने ₹2.32 करोड़ की स्थानीय खरीद पर 2007-08 की कर अवधि के लिए ₹9.27 लाख का निवेश कर क्रेडिट व्यापारी को बिना कर बीजकों के अनुमत किया (मार्च 2011)। कर निर्धारण प्राधिकारी ने विवरणियों की उचित जांच नहीं की थी जिनमें खरीद बिना कर बीजकों के दर्शायी गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹9.27 लाख का निवेश कर क्रेडिट अनियमित रूप से अनुमत था तथा ₹9.82 लाख का ब्याज उद्ग्रहीत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, ₹18.53 लाख की शास्ति भी उद्ग्रहण योग्य थी।

2.9.4 गलत परिकलन पर निवेश कर क्रेडिट की आधिक्य अनुमति

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 जिसमें अन्य विषयों में संशोधन किये गए हैं की धारा 16(8) में प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी ने अपनी बिक्री, खरीद अथवा वस्तुओं के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे या गलत लेखों का अनुरक्षण कर लिया है अथवा अपनी बिक्री या खरीद के किन्हीं विवरणों को छिपाया है अथवा इस अधिनियम अथवा किसी लेखा, विवरणी या सूचना जो किसी वास्तविक विवरण में झूठी या गलत है, के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है तो आयुक्त अथवा धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उसे सहयोग देने के लिए नियुक्त कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यापारी को सुनवाई का एक तार्किक अवसर उपलब्ध करवाने के बाद उसे कर, एक राशि जो निर्धारित कर की राशि के दोगुना के बराबर होगी, से युक्त शास्ति के माध्यम से भुगतान का निदेश दें जिसका उसे निर्धारण करना है अथवा निर्धारण के लिए उत्तरदायी है।

चार कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³⁸ की जून 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया कि 14 व्यापारियों ने 2007-08 तथा 2010-11 की कर अवधि के लिए अपनी विवरणियों में कर के गलत परिकलन द्वारा ₹6.75 लाख के निवेश कर क्रेडिट आधिक्य का दावा किया था। कर निर्धारण प्राधिकारियों ने इन विवरणियों का निर्धारण (मई 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य) करते समय इस पहलु को नहीं देखा तथा व्यापारियों द्वारा किये गए दावे के अनुसार निवेश कर क्रेडिट अनुमत कर दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹6.74 लाख की राजस्व हानि हुई तथा ₹3.63 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहीत नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, कर की राशि के दोगुना के बराबर की शास्ति की राशि भी उद्ग्रहण योग्य थी।

उपरोक्त चूकों को विभाग तथा सरकार को अगस्त 2013 तथा मई 2014 के मध्य प्रतिवेदित कर दिया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

³⁸ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन.-बददी (एक व्यापारी: ₹1.53 लाख), मण्डी (दो व्यापारी: ₹3.03 लाख), शिमला (नौ व्यापारी: ₹4.08 लाख) तथा सोलन (दो व्यापारी: ₹1.73 लाख)

અધ્યાય- III
રાજ્ય આબકારી

अध्याय-III

राज्य आबकारी

3.1 कर प्रशासन

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) सरकारी स्तर पर प्रशासनिक अध्यक्ष है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त विभाग का अध्यक्ष होता है। विभाग को तीन अंचलों¹ में विभाजित किया गया है, जिनकी अध्यक्षता अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (दक्षिण अंचल), उत्तरी अंचल एवं केन्द्रीय अंचल के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त सम्बंधित जिलों के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के नियंत्रणाधीन 22 आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों की तैनाती आबकारी शुल्कों एवं सम्बंधित करों के उद्ग्रहण / संग्रहण का अनुश्रवण तथा नियमन करने के लिए की जाती है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2013-14 में आबकारी शुल्क, लाइसेंस फीस प्राप्तियों आदि से सम्बंधित सात इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच से ₹12.13 करोड़ से निहित 55 मामलों में आबकारी शुल्क/ लाइसेंस फीस/ ब्याज/ शास्ति एवं अन्य अनियमितताओं की अवसूली/अल्पवसूली उद्घाटित हुई जो निम्नवत् तालिका 3.1 के अन्तर्गत आती हैं।

तालिका 3.1

			₹ करोड़
क्रमांक	वर्ग	मामलों की संख्या	राशि
1	आबकारी शुल्क की अवसूली / अल्प वसूली	06	0.87
2	लाइसेंस फीस/ ब्याज/ शास्ति की अवसूली/ अल्प वसूली	36	9.61
3	अन्य अनियमितताएं	13	1.65
योग		55	12.13

वर्ष के दौरान विभाग ने 37 मामलों में ₹1.44 करोड़ का अवनिर्धारण एवं अन्य कमियां स्वीकार की जिन्हें विगत वर्षों में इंगित किया गया था जिनमें से वर्ष 2013-14 के दौरान 30 मामलों में ₹61.01 लाख की राशि वसूल की गई थी।

₹4.28 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कुछ निदर्शी मामलों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

¹ दक्षिण अंचल (शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर तथा स्पिति क्षेत्र), उत्तर अंचल (चम्बा, कांगड़ा तथा ऊना) तथा केन्द्रीय अंचल (बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल क्षेत्र तथा मण्डी)

3.3 न्यूनतम गारंटीड कोटा के कम उठाने पर अतिरिक्त फीस का उद्ग्रहण न करना

आबकारी घोषणा 2012-13 के परिच्छेद 4.3 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक लाइसेंसधारी को प्रत्येक विक्रेता के लिए निर्धारित न्यूनतम गारंटीड कोटा उठाना अपेक्षित होगा। ऐसा न करने पर उसे न्यूनतम गारंटीड कोटे पर आधारित लाइसेंस फीस की अदायगी भी करनी होगी। इसके अतिरिक्त न्यूनतम गारंटीड कोटा के 80 प्रतिशत से कम की शराब की मात्रा को उठाने पर लाइसेंसधारी द्वारा शेष मात्रा पर ₹20 प्रति प्रूफ लीटर की अतिरिक्त फीस की अदायगी की जाएगी। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त/ आबकारी एवं कराधान अधिकारी प्रत्येक मास न्यूनतम गारंटीड कोटे की स्थिति की समीक्षा करेगा और यदि लाइसेंसधारी 15 मार्च तक न्यूनतम गारंटीड कोटे का 80 प्रतिशत उठाने में असमर्थ है, तो वह अतिरिक्त लाइसेंस फीस की वसूली प्रारम्भ करेगा।

मई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य सात सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों के एम-2 रजिस्ट्रों² की नमूना जांच में पाया कि 931 विक्रेताओं में से 237 विक्रेताओं³ के लाइसेंसधारियों ने 38,07,188.43 प्रूफ लीटर के न्यूनतम गारंटीड कोटे के प्रति 25,53,458.34 प्रूफ लीटर शराब उठाई थी, जो 2012-13 के दौरान विभाग के द्वारा निर्धारित किये गए न्यूनतम गारंटीड कोटे 80 प्रतिशत (30,45,750.74 प्रूफ लीटर) से कम थी। इसके फलस्वरूप 4,92,292.40 प्रूफ लीटर कम उठाई जिसके लिए ₹98.46 लाख यद्यपि देय थे, किन्तु सम्बंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा नहीं मांगे गए थे। यह त्रुटि आबकारी एवं कराधान आयुक्त जिसे विवरणियों के साथ 'वार्षिक उठाई गई तथा उपयोग की गई विवरणीयों' प्रस्तुत की गई थी, के ध्यान में भी नहीं आई।

इसे इंगित करने पर (मई 2013 तथा मार्च 2014) आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने जुलाई 2014 में सूचित किया कि 91 विक्रेताओं के लाइसेंसधारियों से पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁴ द्वारा ₹98.46 लाख में से ₹23.58 लाख की राशि वसूल की गई थी तथा शेष राशि को वसूल करने के प्रयास किये जा रहे थे।

सरकार को मामला मई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनसे उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

3.4 एल-13 बिक्री केन्द्र न खोलने के कारण निर्धारित फीस की वसूली न करना

वर्ष 2012-13 के लिए आबकारी घोषणा के परिच्छेद 6.10 में प्रावधान है कि देसी शराब के संभरकों को निर्धारित लाइसेंस फीस की अदायगी करके प्रत्येक जिला में उन्हें आवंटित किये गए एल-13 बिक्री केन्द्र (थोक बिक्री केन्द्र) खोलने अपेक्षित थे। नियमों में आगे प्रावधान है कि वर्ष 2012-13 के लिए एल-13 की वार्षिक लाइसेंस फीस ₹2,00,000 निर्धारित की गई थी।

नवम्बर 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁵ के एल-13 विक्रेताओं के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि देसी शराब निर्माण में लगे छः लाइसेंसधारियों ने

² मास के दौरान बिक्री के लिए भारत में बनाई गई विदेशी शराब तथा देशी शराब सहित विदेशी स्पिरिट की मात्रा, देय अथवा वसूल की गई अतिरिक्त लाइसेंस फीस दर्शाता एक रजिस्टर

³ बी.बी.एन. स्थित बददी: पांच विक्रेता, कुल्लू: एक विक्रेता, मण्डी: 33 विक्रेता, शिमला: 128 विक्रेता, सिरमौर स्थित नाहन: एक विक्रेता, सोलन: 20 विक्रेता तथा ऊना: 49 विक्रेता

⁴ बी.बी.एन. स्थित बददी: तीन बिक्री केन्द्र: ₹4.79 लाख, कुल्लू: एक बिक्री केन्द्र: ₹0.92 लाख, शिमला: 65 बिक्री केन्द्र: ₹17.18 लाख, सिरमौर स्थित नाहन: एक बिक्री केन्द्र: ₹0.53 लाख तथा सोलन: 2 बिक्री केन्द्र: ₹0.16 लाख

⁵ बी.बी.एन. स्थित बददी: दो लाइसेंसधारी, मण्डी: एक लाइसेंसधारी तथा सिरमौर स्थित नाहन: तीन लाइसेंसधारी

उनको आवंटित छ: जिलों में एल-13 बिक्री केन्द्र नहीं खोले थे। अतः वर्ष 2012-13 के दौरान ग्यारह बिक्री केन्द्र न खोलने के कारण लाइसेंसधारियों से ₹22.00 लाख की नियत फीस की वसूली की जानी थी। इसकी विभाग द्वारा न तो मांग की गई और न ही संभरकों द्वारा इसे जमा करवाया गया, जिसके फलस्वरूप ₹22.00 लाख की नियत फीस की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित करने (नवम्बर 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य) पर आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने जुलाई 2014 में सूचित किया कि ₹22.00 लाख में से ₹6.00 लाख की राशि बद्दी तथा सिरमौर के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा दो लाइसेंसधारियों से वसूल की गई थी तथा शेष राशि को वसूल करने के प्रयास किये जा रहे थे। वसूली का आगामी प्रतिवेदन तथा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

सरकार को मामला दिसम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनसे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

3.5 बंधपत्र के प्रावधानों को लागू न करना

हिमाचल प्रदेश बंधक मालगोदाम नियमावली, 1987 के नियम 21 से 23 में प्रावधान है कि एक मालगोदाम से शराब बंधपत्र के अंतर्गत अथवा राज्य में अथवा राज्य के बाहर शुल्क की अदायगी करके उठाई जा सकती है। यदि बंधपत्र के अंतर्गत शराब जारी की जाती है तो लाइसेंसधारी एक विशेष स्थान अथवा गंतव्य पर स्पिरिट का वितरण करने के लिए फार्म एल-37 में एक बंधपत्र निष्पादित करेगा तथा बंधपत्र को विमुक्त करने से पूर्व ऐसा करने का एक प्रमाण फार्म एल-38 में प्रस्तुत करेगा। विभाग द्वारा नवम्बर 1965 में जारी की गई अधिसूचना में प्रावधान है कि यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जब तक चूक के संदर्भ में संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता, तो समाहर्ता प्रबंधक को प्रेषित माल के संदर्भ में उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र में उल्लिखित राशि जमा करवाने के लिए कहेगा।

नवम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य तीन कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁶ के एल-38 रजिस्ट्रों⁷ की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि फार्म एल-37 में एक बंधपत्र का निष्पादन करने पर एक आसवनी तथा दो मद्यनिर्माणशालाओं⁸ के पक्ष में भारत में बनाई गई विदेशी शराब की 2,025 प्रूफ लीटर के प्राधिकृत निर्यात की दो संस्वीकृतियां, बीयर की 77,256 बल्क लीटर की 18 संस्वीकृतियां तथा एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की 40,000 बल्क लीटर की दो संस्वीकृतियां प्रदान की गईं। लाइसेंसधारी को विनिर्दिष्ट समय सीमा में विनिर्दिष्ट गंतव्य पर भारत में बनाई गई विदेशी शराब/ बीयर/ एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के पहुंचने पर एल-38 फार्म में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने थे, जो जून 2012 तथा मई 2013 में कालातीत हो चुकी थी। उपार्जन प्रमाण पत्र प्राप्त करने से सम्बंधित समय सीमा यद्यपि समाप्त हो चुकी थी, फिर भी एल-38 फार्म में प्रमाण पत्र प्रतीक्षित थे तथा मार्च 2014 तक बंधपत्र के प्रावधान लागू नहीं किए गए थे। इसके फलस्वरूप ₹17.22 लाख की राशि के आबकारी शुल्क की वसूली नहीं हो पाई।

विभाग तथा सरकार को मामले की सूचना दिसम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य दी गई थी;

⁶ बी.बी.एन. स्थित बद्दी, सिरमौर स्थित नाहन तथा ऊना

⁷ एल-38 विशेष समय सीमा के भीतर विशेष गंतव्य पर भारत में निर्मित विदेशी शराब / बीयर के आगम के साक्ष्य का रजिस्टर है

⁸ मैसर्ज यूनाइटेड स्पिरिट लि., बद्दी, कार्लबर्ग मद्यनिर्माणशाला, टोकियोन, नाहन तथा रेंजर ब्रुअरीज लि., मेहतपुर

विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को आबकारी शुल्क की वसूली के निर्देश दिये गए थे (दिसम्बर 2014)।

3.6 लाइसेंस फीस की अल्प वसूली

आबकारी घोषणा 2012-13 के परिच्छेद 4.4 (क) में प्रावधान है कि पूरे वर्ष हेतु प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए निर्धारित शराब के न्यूनतम गारंटीड कोटे पर आधारित एक विशेष बिक्री केन्द्र की वार्षिक लाइसेंस फीस पूर्व निर्धारित की जाएगी। इस तरह से निर्धारित की गई लाइसेंस फीस का उद्ग्रहण बारह मासिक किशतों में प्रत्येक मास के अंतिम दिन किया जाना अपेक्षित है तथा मार्च मास की अंतिम किशत की पूर्ण रूप से अदायगी 15 मार्च तक की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त परिच्छेद 4.5 (ग) में प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी देय तिथियों को लाइसेंस फीस सहित ब्याज की राशि की अदायगी करने में विफल रहता है तो जिले का सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या अन्य कोई प्राधिकृत अधिकारी साधारणतः अनुवर्ती मास के पहले दिन या 16 मार्च जैसा भी मामला हो, बिक्री केन्द्र को सील करेगा।

नवम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य दो कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के एम-2 रजिस्ट्रों की नमूना जांच ने दर्शाया कि वर्ष 2012-13 के लिए 128 बिक्री केन्द्रों में से 24 बिक्री केन्द्रों⁹ के लाइसेंसधारियों से लाइसेंस फीस के रूप में ₹9.35 करोड़ की वसूली योग्य राशि के प्रति मात्र ₹7.60 करोड़ की राशि की वसूली की गई थी। सम्बंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने लाइसेंस फीस की शेष राशि की वसूली करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके फलस्वरूप ₹1.75 करोड़ की राशि की लाइसेंस फीस की अल्प वसूली हुई।

इसे इंगित किये जाने पर (नवम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य), आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने सूचित किया (जुलाई 2014) कि सिरमौर स्थित नाहन तथा ऊना के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के सम्बंध में ₹1.75 करोड़ में से ₹1.59 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

सरकार को मामला दिसम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

3.7 लाइसेंस फीस की विलंबित अदायगी पर ब्याज का उद्ग्रहण न करना

आबकारी घोषणा 2012-13 के परिच्छेद 4.4 (घ) में प्रावधान है कि प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए निर्धारित शराब के न्यूनतम गारंटीड कोटे पर आधारित लाइसेंस फीस की पूर्ण मासिक किशतों की प्रत्येक मास के अंतिम दिन तक अदायगी की जानी अपेक्षित है तथा मार्च मास की अंतिम किशत की पूर्ण रूप से अदायगी दिनांक 15 मार्च तक की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त परिच्छेद 4.5 (क) में प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी निर्धारित तिथियों को लाइसेंस फीस की राशि की अदायगी करने में विफल रहता है तो एक मास तक 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से तथा उसके बाद 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का उद्ग्रहण किया जाएगा।

मई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य छः कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के एम-2 रजिस्ट्रों की नमूना जांच ने दर्शाया कि वर्ष 2011-13 के लिए विलंबित (अप्रैल 2011 तथा

⁹ सिरमौर स्थित नाहन: चार बिक्री केन्द्र तथा ऊना: 20 बिक्री केन्द्र

मई 2013 के मध्य) ₹38.03 करोड़ की लाइसेंस फीस 877 बिक्री केन्द्रों में से 147 बिक्री केन्द्रों¹⁰ के लाइसेंसधारियों ने जमा करवाई थी। यह विलंब चार से 276 दिनों का था। अतः वे विलंबित अदायगियों पर ₹67.32 लाख का ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। तथापि, सम्बंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने उक्त का उद्ग्रहण नहीं किया। इसके फलस्वरूप ₹67.32 लाख की राशि के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा में मामलों को इंगित किये जाने के पश्चात (मई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य), सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कुल्लू ने बताया कि बिक्री केन्द्र के लाइसेंसधारियों को देय राशि जमा करवाने के निर्देश दिये जा रहे थे जबकि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने सूचित किया कि मामलों की संवीक्षा के पश्चात अधिनियमों/ नियमावलियों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाएगी। शेष सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किये थे।

सरकार को मामला मई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

3.8 बोतलीकरण लाइसेंस फीस की अल्प वसूली

हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के नियम 9.5 में प्रतिपादित है कि लाइसेंसधारियों द्वारा बोतलीकृत देसी शराब/ भारत में बनाई गई विदेशी शराब की 750 मिली लीटर की इकाइयों पर लाइसेंसधारी निर्धारित दरों पर लाइसेंस फीस की अदायगी करेगा। ये फीस लाइसेंसधारी द्वारा त्रैमासिक रूप से प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के सात दिनों के भीतर अदा की जाएगी। आबकारी घोषणा 2012-13 के परिच्छेद 5.1 (26) (iii) - (ii) तथा (iii) में प्रावधान है कि हिमाचल प्रदेश में आसवनी एवं बोतलीकरण संयंत्रों का लाइसेंसधारी हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर स्थित आसवनियों एवं बोतलीकरण संयंत्रों की भारत में बनी विदेशी शराब के ब्रांडों के बोतलीकरण पर फ्रेंचाइजी फीस का भी भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य दो कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹¹ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि बोतलीकरण लाइसेंस फीस के लिए ₹20.18 लाख की वसूली योग्य राशि के प्रति 2012-13 के दौरान दो लाइसेंसधारियों से मात्र ₹11.27 लाख की राशि ही वसूल की गई थी। विभाग द्वारा शेष बोतलीकरण लाइसेंस फीस की वसूली के लिए कदम नहीं उठाए गए थे। इसके फलस्वरूप ₹8.91 लाख की बोतलीकरण लाइसेंस फीस की अल्प वसूली हुई।

विभाग तथा सरकार को मामला दिसम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

¹⁰ सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, बिलासपुर: 17 बिक्री केन्द्र, कुल्लू: 20 बिक्री केन्द्र, मण्डी: आठ बिक्री केन्द्र, शिमला: 10 बिक्री केन्द्र, सिरमौर स्थित नाहन: 26 बिक्री केन्द्र तथा ऊना: 66 बिक्री केन्द्र

¹¹ मण्डी तथा सिरमौर स्थित नाहन

3.9 आसवनी / बंधक माल गोदामों में तैनात आबकारी स्थापना स्टाफ के वेतन की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश में भी लागू पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के नियम 9.13 तथा 9.16 के अनुसार लाइसेंसधारी अपनी आसवनी के नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने तथा कार्य पर आबकारी विभाग द्वारा निगरानी रखने के लिए सरकारी आबकारी स्थापना स्टाफ की तैनाती करने के लिए सहमत होगा। यदि आबकारी आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो लाइसेंसधारी आसवनी में तैनात सरकारी आबकारी स्थापना स्टाफ के वेतन के संदर्भ में मांगी गई राशि सरकारी खजाने में जमा कराएगा, किन्तु वह ऐसे स्थापना स्टाफ के किसी सदस्य को सीधी अदायगी नहीं करेगा।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य दो मद्यनिर्माणशालाओं तथा चार आसवनियों सहित तीन कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹² के अभिलेखों की प्रति जांच की तथा पाया कि लाइसेंसधारियों से आसवनियों/ मद्यनिर्माणशालाओं/ बंधक मालगोदामों में तैनात आबकारी स्थापना स्टाफ की 2010-11 तथा 2012-13 के मध्य की अवधि के लिए वेतन की ₹38.77 लाख की राशि की देयताओं की अदायगी नहीं की गई थी, बावजूद इसके कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी होने के नाते सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को इन तैनातियों का पता था। उन्होंने इन मांगों को उठाने तथा सरकारी देयताओं का संग्रहण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस प्रकार लाइसेंसधारियों से आबकारी स्थापना के सम्बंध में वेतन की मांग न करने से सरकार ने अपने को ₹38.77 लाख¹³ की वसूली योग्य देयताओं से वंचित रखा।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (अप्रैल 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने जुलाई 2014 में सूचित किया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को राशि शीघ्रता से वसूल करने के निर्देश दिये जा चुके थे।

सरकार को मामला जून 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य प्रतिवेदित कर दिया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

¹² हमीरपुर, सिरमौर स्थित नाहन तथा ऊना

¹³ हमीरपुर (₹16.17 लाख), सिरमौर (₹14.11 लाख) तथा ऊना (₹8.49 लाख)

अध्याय-IV
स्टाम्प शुल्क

अध्याय-IV

स्टाम्प शुल्क

4.1 कर प्रशासन

स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस से प्राप्तियों को हिमाचल प्रदेश में लागू होने वाले भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 तथा इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है और इन्हे सरकार के स्तर पर प्रधान सचिव (राजस्व) द्वारा प्रशासित किया जाता है। पंजीयन महानिरीक्षक राजस्व विभाग का अध्यक्ष है जिसे पंजीकरण कार्य के अधीक्षण तथा प्रशासन के संचालन का अधिकार प्राप्त है। उसे 12 उपायुक्तों तथा क्रमशः पंजीयक व उप-पंजीयक के रूप में कार्य करने वाले 117 तहसीलदारों/ नायब तहसीलदारों द्वारा सहयोग प्राप्त होता है।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2013-14 में राजस्व विभाग की 51 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच से 100 मामलों में ₹6.15 करोड़ की राशि के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस आदि का अनुद्ग्रहण / अल्पोद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई, जो निम्नवत् तालिका 4.1 में दी गई श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:

तालिका 4.1

क्रमांक	श्रेणियां	₹ करोड़	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण तथा आवास ऋण पर अनियमित छूट	66	5.60
2.	स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण / अल्पोद्ग्रहण	29	0.51
3.	अन्य अनियमितताएं	05	0.04
योग		100	6.15

वर्ष के दौरान विभाग ने 94 मामलों में ₹3.50 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की थी जिन्हें विगत वर्षों में इंगित किया गया था जिसमें से वर्ष 2013-14 के दौरान 68 मामलों में ₹18.56 लाख की राशि उगाही गई थी।

₹5.08 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कुछ निदर्शी मामलों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

4.3 पटवारियों द्वारा गलत मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया जाना

महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा जुलाई 1997, जून 1998 में जारी किये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य की गणना पूर्ववर्ती 12 मासों के दौरान किये गए नामान्तरणों के आधार पर किया जाना है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन फीस के उद्ग्रहण हेतु भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण भूमि के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है तथा इसकी गणना हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 के परिशिष्ट-XXI में दी गई प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। पंजीयन अधिकारी द्वारा विक्रय विलेखों में दर्शाए गए प्रतिफल का सम्बंधित पटवारी द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन प्रतिवेदनों के साथ सत्यापन करना भी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त अक्टूबर 2004 में महानिरीक्षक पंजीयन ने स्पष्ट किया कि औसत मूल्य प्रतिफल राशि अथवा बाजार मूल्य जो भी अधिक हो, पर आधारित होना चाहिए।

4.3.1 लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2013 तथा नवम्बर 2013 के मध्य 27 उप-पंजीयकों¹ के बिक्री विलेखों के प्रलेखों की नमूना जांच की और पाया कि पटवारियों द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन प्रतिवेदन गलत थे। पटवारियों ने मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करते समय पूर्ववर्ती 12 मासों के दौरान किये गए नामान्तरणों में उल्लिखित उच्च मूल्य की बजाए भूमि का गलत/कम मूल्य लिया था। परिणामतः 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान 271 प्रलेखों को कम दरों पर ₹32.33 करोड़ पर पंजीकृत किया गया था जबकि इन सम्पत्तियों का वास्तविक बाजार मूल्य सही दरों के अनुसार ₹58.34 करोड़ था। इन प्रलेखों का पंजीकरण करते समय पंजीयन अधिकारियों ने गलती को नहीं पकड़ा था। इसके फलस्वरूप ₹1.30 करोड़ के स्टाम्प शुल्क तथा ₹10.39 लाख की पंजीकरण फीस की अल्प उगाही हुई।

इन्हें अप्रैल 2013 तथा नवम्बर 2013 के मध्य इंगित करने पर महानिरीक्षक पंजीयन ने मार्च तथा जुलाई 2014 के मध्य सूचित किया कि ₹46.57 लाख में से 13 उप-पंजीयकों² के संदर्भ में ₹9.62 लाख की राशि की वसूली की जा चुकी थी तथा शेष राशि वसूल करने के प्रयास किये जा रहे थे। शेष उप-पंजीयकों ने बताया कि मामलों की पुनः जांच की जाएगी (दिसम्बर 2014)।

4.3.2 सम्पत्तियों के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2013 तथा दिसम्बर 2013 के मध्य आठ उप-पंजीयकों³ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि 2011 तथा 2012 के मध्य पंजीकृत 50 प्रलेखों में संपत्तियों की घोषित प्रतिफल राशि ₹51.83 करोड़ थी जो सम्बंधित पटवारियों द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाये गए ₹82.15 करोड़ के बाजार मूल्य से बहुत कम थी। इन प्रलेखों को पंजीकृत करते समय, पंजीकरण अधिकारियों से पंजीयन फीस तथा स्टाम्प शुल्क के उद्ग्रहण हेतु ₹82.15 करोड़ के उच्च मूल्य की सम्पत्तियां प्रतिफलित करने की अपेक्षा की गई थी लेकिन उन्होंने ₹51.83

¹ अम्ब, बददी, बडोह, बंगाणा, बैजनाथ, देहरा, धीरा, गलोड़, जोगिन्द्रनगर, कण्डाघाट, करसोग, कसौली, मण्डी, मनाली, मुल्तान, नादौन, नोहराधार, नूरपुर, पछाद, पांवटा साहिब, राजगढ़, सैंज, शाहपुर, शिलाई, सुजानपुर, शिमला (ग्रामीण) तथा ठियोग

² अम्ब: 17 मामले: ₹1.61 लाख, बंगाणा: 12 मामले: ₹1.40 लाख, देहरा: आठ मामले: ₹1.57 लाख, धीरा: छ: मामले: ₹36,165, गलोड़: तीन मामले: ₹13,120, जोगिन्द्रनगर: छ: मामले: ₹45,095, करसोग: तीन मामले: ₹16,870, मनाली: छ: मामले: ₹61,870, नोहराधार: दो मामले: ₹31,290, सैंज: पांच मामले: ₹1.98 लाख, शिलाई: तीन मामले: ₹13,135, सुजानपुर: छ: मामले: ₹72,455 तथा ठियोग: एक मामला: ₹16,000

³ आनी, बददी, धर्मशाला, कसौली, नूरपुर, पांवटा साहिब, राजगढ़ तथा रामपुर

करोड़ की प्रतिफल राशि पर ही सम्पत्ति पंजीकृत की। इसके फलस्वरूप ₹135.95 लाख का स्टाम्प शुल्क तथा ₹0.57 लाख की पंजीयन फीस की अल्प उगाही हुई।

अप्रैल 2013 तथा दिसम्बर 2013 के मध्य इन्हें इंगित किये जाने पर, महानिरीक्षक पंजीयन ने अगस्त 2014 में सूचित किया कि ₹3.24 लाख में से उप-पंजीयक आनी के संदर्भ में ₹0.10 लाख की राशि वसूल की जा चुकी थी तथा शेष उप-पंजीयकों को राशि की वसूली के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिये गए थे।

सरकार को मामला मई 2013 तथा जनवरी 2014 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था। उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

4.4 आसन्न महॉल का निम्न दरों पर प्रलेख पंजीयन

जुलाई 1997, जून 1998 तथा अक्टूबर 2004 में महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य की गणना पूर्ववर्ती 12 मासों के दौरान नामान्तरणों के किए गये आधार पर की जानी है। यदि पूर्ववर्ती बारह मासों के लिए क्षेत्र में कोई विक्रय नहीं है तो बाजार मूल्य की गणना आसन्न राजस्व गांव में पंजीकृत विक्रय विलेखों के आधार पर की जानी है।

4.4.1 लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2013 में उप-पंजीयक पांवटा साहिब के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि आसन्न मेलियन महॉल के मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर 2011 तथा 2012 के दौरान जगतपुर महाल में अवस्थित भूमि के विक्रय के लिए ₹10.39 करोड़ के प्रतिफल पर सात विलेख पंजीकृत किये थे क्योंकि मूल्यांकन प्रतिवेदन में पटवारी द्वारा अभिलिखित की गई टिप्पणियों के अनुसार इस महॉल में पूर्ववर्ती 12 मासों के लिए उपलब्ध भूमि का कोई मूल्यांकन नहीं था। लेखापरीक्षा ने आगे नामान्तरण रजिस्टर में पाया कि एक नामान्तरण (संख्या 579 दिनांक 19.02.2011) किया गया था तथा जगतपुर महॉल के नामान्तरण रजिस्टर में अभिलिखित किया गया था। अतः जगतपुर महॉल में पूर्ववर्ती 12 मासों के दौरान किये गए नामान्तरण के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य की गणना की जानी है तथा ये प्रलेख ₹10.39 करोड़ के बजाए ₹50.44 करोड़ के लिए पंजीकृत किये गये। उप-पंजीयक ने प्रलेखों को पंजीकृत करते समय पटवारी के मूल्यांकन प्रतिवेदन में अभिलिखित तथ्य को सही माना जिसके फलस्वरूप ₹0.11 लाख की पंजीकरण फीस से समाविष्ट ₹200.01 लाख के स्टाम्प शुल्क की अल्प उगाही हुई।

इसे अप्रैल 2013 में इंगित किये जाने पर उप-पंजीयक पांवटा साहिब ने बताया कि पटवारी हल्का के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही थी तथा धारा 47-क के तहत सभी मामले मूल्यांकन हेतु समाहर्ता को भेजे जा रहे थे।

4.4.2 लेखापरीक्षा ने अगस्त 2013 में उप-पंजीयक पच्छाद के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि अप्रैल 2012 में डूरांग महॉल में ₹28.46 लाख के प्रतिफल पर विलेख संख्या 68/2012 पंजीकृत की गई थी। यद्यपि अभिलेख में डूरांग महाल का मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध था किन्तु भूमि के बाजार मूल्य की समीक्षा आसन्न हब्बी महॉल के मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर की गई थी जो कि डूरांग महॉल की दरों की तुलना में निम्नतर था। सम्बद्ध महॉल डूरांग की दरों के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य ₹2.60 करोड़ था। उप-पंजीयक ने प्रलेख को पंजीकृत करते समय इस पहलू को अनदेखा कर दिया जिसके फलस्वरूप ₹4.63 लाख की पंजीकरण फीस से समाविष्ट ₹16.21 लाख के स्टाम्प शुल्क की अल्प उगाही हुई।

4.5 पट्टा विलेख पर स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प उगाही

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1 के अनुच्छेद 35 में प्रावधान है कि जहां जुर्माना अथवा प्रीमियम अथवा प्राप्त किराये के अतिरिक्त अग्रिम धन के लिए पट्टा दिया जाता है, वहां हस्तांतरण (संख्या 23) पर लागू होने वाला शुल्क ही प्रभार्य है। भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1970 के अनुसार जहां पट्टावधि 30 वर्ष से अधिक है लेकिन 100 वर्ष से अधिक नहीं है, वहां पर तीन प्रतिशत की दर पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग की दिनांक 18 मार्च 2002 की अधिसूचना के अनुसार दो प्रतिशत की दर पर पंजीकरण फीस, बशर्ते अधिकतम राशि ₹25,000 हो, भी प्रभार्य है। राजस्व विभाग ने दिनांक 12 जनवरी 2012 की अधिसूचना द्वारा स्टाम्प शुल्क की दरों को पुनः तीन से पांच प्रतिशत तथा पंजीकरण फीस को सम्पत्ति के बाजार मूल्य के दो प्रतिशत अथवा प्रतिफल राशि जैसा भी मामला हो, जो भी उच्च हो, के रूप में संशोधित किया। उद्योग विभाग ने राज्य में सम्बंधित जिलों के औद्योगिक क्षेत्र में पड़ने वाले प्लाटो के प्रीमियम की दरें (प्रति वर्ग मीटर) निर्धारित (जून 2009 तथा अप्रैल 2011) की थी।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2013 तथा सितम्बर 2013 के मध्य चार उप-पंजीयकों⁴ के पट्टा विलेखों के प्रलेखों की नमूना जांच में पाया कि 24 मामलों में चार जिलों के औद्योगिक क्षेत्र में पड़ने वाली 49,332.03 वर्ग मीटर माप की भूमि को 45 से 95 वर्षों की अवधि के लिए 2011 तथा 2012 के दौरान पार्टियों को आवंटित/पट्टे पर दिया गया। उप-पंजीयकों ने प्रलेखों को पंजीकृत करते हुए औद्योगिक विभाग द्वारा, उन वर्षों के लिए जिन में मामले पट्टे पर दिये गये थे, निर्धारित की गई प्रीमियम की उपलब्ध प्रतिफल राशि पर स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस उदग्रहित नहीं की थी। परिणामस्वरूप, 2011 तथा 2012 के दौरान प्रचालित 24 पट्टा विलेख ₹12.26 करोड़ के बजाए ₹8.76 करोड़ के प्रीमियम के प्रतिफल पर पंजीकृत किये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹14.90 लाख का स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प उगाही हुई।

इसे अप्रैल 2013 तथा सितम्बर 2013 के मध्य इंगित किये जाने पर, उप-पंजीयकों ने सूचना दी (मई 2013 तथा सितम्बर 2013 के मध्य) कि मामलों का पुनरीक्षण किया जाएगा तथा तदनुसार की गई कार्रवाई से लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

सरकार को मामला जून तथा अक्टूबर 2013 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

⁴ उप पंजीयक बद्दी, कसौली, श्री नैना देवी तथा पांवटा साहिब

अध्याय- V
वाहन, माल व यात्री कर

अध्याय-V

वाहन, माल व यात्री कर

5.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग से प्राप्तियों को केन्द्र तथा राज्य मोटर वाहन अधिनियमों के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है तथा ये निदेशक परिवहन के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होती हैं। माल व यात्री कर से प्राप्तियों को हिमाचल प्रदेश यात्री व माल करान अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है जिनका संचालन राज्य के आबकारी एवं करान आयुक्त द्वारा किया जाता है।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2013-14 में राष्ट्रीय परमिट स्कीम के अंतर्गत सांकेतिक कर, विशेष पथ कर, पंजीकरण फीस, परमिट फीस, चालक लाइसेंस फीस, परिचालक लाइसेंस फीस, शास्तियों एवं समेकित फीस से सम्बंधित 45 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 258 मामलों में ₹128.26 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कर का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई, जो तालिका 5.1 में निम्नवत श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:

तालिका 5.1

			₹ करोड़
क्रमांक	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
1.	अवसूली/ अल्पवसूली - सांकेतिक कर व समेकित फीस - विशेष पथ कर - यात्री व माल कर	88 81 28	5.87 114.06 3.17
2.	अपवंचन - सांकेतिक कर - यात्री व माल कर	13 16	2.26 2.49
3.	अन्य अनियमितताएं - वाहन कर - यात्री व माल कर	26 06	0.87 0.14
योग		258	128.86

विभाग ने वर्ष के दौरान 281 मामलों में ₹10.22 करोड़ का अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जो पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित की गई थी जिसमें से 2013-14 के दौरान 191 मामलों में ₹2.07 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

₹41.53 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कुछ उदाहरणार्थ मामलों की विवेचना निम्नवत् परिच्छेदों में की गई है:

5.3 'विशेष पथ कर का निर्धारण और संग्रहण'

विशेष पथ कर वह कर है जो जनवरी 2000 में यात्री कर के स्थान पर लागू किया गया था और हिमाचल प्रदेश में चल रही समस्त स्टेज कैरिजों पर उद्ग्राह्य था। हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3-क के अनुसार विशेष पथ कर समस्त स्टेज कैरिज परिवहन वाहनों पर मासिक रूप से उद्ग्राह्य है और समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर प्रत्येक मास की 15 तारीख को अग्रिम रूप में भुगतान योग्य है। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग की 31 जुलाई 2002 से लागू दिनांक 26 जुलाई 2006 की अधिसूचना के अनुसार यदि किसी वाहन का मालिक निर्धारित अवधि के अंतर्गत विशेष पथ कर का भुगतान नहीं करता है तो मालिक को देय कर के 25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर शास्ति का भुगतान करना होगा।

'विशेष पथ कर का निर्धारण और संग्रहण' 2008-09 से 2012-13 की अवधि को आवृत्त करती, लेखापरीक्षा जून 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य सभी 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों¹ के कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से की गई थी। लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत् है:

5.3.2 विशेष पथ कर के निर्धारण और संग्रहण की अनुश्रवण प्रणाली

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियमावली 1974 के नियम 18 में प्रावधान है कि राज्य के सभी पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग प्राधिकरण प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के माह के अंतर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण को फार्म-VIII में रिटर्न जमा करवाएंगे जिसमें पंजीकृत स्टेज कैरिजों की संख्या, जारी किए गए रूट परमिटों की संख्या, बस सेवा की श्रेणी तथा दिए गए मासिक विशेष पथ कर के निर्धारण आदि का विवरण होगा ताकि उनसे विशेष पथ कर तथा अन्य राशियों के उद्ग्रहण, प्रभार एवं संग्रहण के लिए प्रभावशाली नियंत्रण व देख-रेख हेतु शीर्षस्थ स्तर पर वाहनों के केन्द्रीकृत आंकड़े अनुरक्षित किए जाएं। इसके अतिरिक्त विशेष पथ कर के उचित निर्धारण तथा संग्रहण हेतु शीर्षस्थ स्तर पर एक अनुश्रवण प्रणाली बनाई जानी है।

लेखापरीक्षा ने राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2013 और मार्च 2014 के मध्य) की और पाया कि निदेशालय स्तर पर इस प्रकार के कोई केन्द्रीकृत आंकड़े अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे। इस प्रकार के आंकड़ों के न होने से प्रत्येक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के स्टेज कैरिजों के सम्बंध में पंजीकृत स्टेज कैरिजों की संख्या, जारी किए गए परमिट और महीना वार/ वर्ष वार देय तथा वसूल किया गया राजस्व सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

आगे अभिलेखों की जून 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य 'वाहन' साफ्टवेयर द्वारा उत्सर्जित आंकड़ों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 'वाहन' साफ्टवेयर में विशेष पथ कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण और शास्ति के लिए मोड्यूल सम्मिलित नहीं था। शीर्षस्थ स्तर पर विशेष पथ कर पंजीकाओं, रूट परमिटों की पंजीकाओं के अनुरक्षण और राजस्व के निर्धारण तथा नियमित समय अंतराल पर फील्ड इकाइयों (क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों) द्वारा वाहन मालिकों से राजस्व के संग्रहण पर रिटर्नों की प्रस्तुती की दृष्टि से कोई अनुश्रवण प्रणाली नहीं बनाई गई थी।

¹ बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर स्थित नाहन, सोलन तथा ऊना

5.3.3 अन्य राज्यों की स्टेज कैरिजों से विशेष पथ कर का गलत निर्धारण

धारा 3 क की उप-धारा 4 के अनुसार यदि हिमाचल प्रदेश राज्य से भिन्न किसी राज्य में पंजीकृत परिवहन वाहन प्रवेश करता है और किसी भी सार्वजनिक सड़क पर चलाया जाता है अथवा राज्य में प्रयोग किये जाने के लिए रखा जाता है तो ऐसे प्रवेश पर निर्धारित रूप में विशेष पथ कर प्रभार्य होगा। अन्य राज्यों के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी रूट परमिटों, जोकि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों जिसके अधिकार क्षेत्र में वाहन उपयोग में लाया जा रहा है, द्वारा यथावत प्रतिहस्ताक्षरित हों, के आधार पर हिमाचल प्रदेश में तय की गई संपूर्ण दूरी पर अन्य राज्यों² के स्टेज कैरिजों के सम्बंध में विशेष पथ कर भी लागू और प्रभार्य होगा।

लेखापरीक्षा ने 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए पांच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों³ के कार्यालय में अनुरक्षित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित रूट परमिटों/ विशेष पथ कर पंजिकाओं के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2013 और मार्च 2014 के मध्य) की और पाया कि सम्बंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित परमिटों की संख्या तथा हिमाचल प्रदेश में चल रहे वाहनों के अभिलेख उचित रूप से अनुरक्षित नहीं किए जा रहे थे। जारी परमिटों अथवा सम्बंधित राज्यों द्वारा निष्पादित परस्पर अनुबंधों और अन्य राज्यों के राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा भुगतान किये गए कर की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि 145 मामलों में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर चल रहे अन्य राज्य के कैरिजों द्वारा तय की गई दूरी के अनुसार विशेष पथ कर का निर्धारण सही प्रकार से नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अन्य राज्यों के स्टेज कैरिज मालिकों से ₹10.05 करोड़⁴ के विशेष पथ कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

5.3.4 गलत दर अथवा मील-दूरी को लागू करने के कारण विशेष पथ कर का अल्प निर्धारण

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1999 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में प्रयुक्त अथवा प्रयोग के लिए रखे गए समस्त परिवहन वाहनों पर विशेष पथ कर उद्ग्रहण तथा प्रभार्य होगा और प्रत्येक मास की 15 तारीख को अग्रिम रूप में भुगतान योग्य होगा। यदि वाहन मालिक निर्धारित अवधि में देय विशेष पथ कर का भुगतान नहीं करता है तो कराधान प्राधिकरण सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद मालिक को देय कर की 25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर शास्ति का भुगतान करने के लिए निदेश देगा। जनवरी 2006 की अधिसूचना के अनुसार विशेष पथ कर की दरें⁵ मार्गों की श्रेणी जिन पर वाहन चल रहे थे जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें और बस सेवाओं के वर्ग पर आधारित थी। तथापि जब वाहन अंतरराज्यीय मार्गों पर चलते हैं तब विशेष पथ कर की उच्च दरें लागू योग्य हैं।

² हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड

³ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

⁴ बिलासपुर: ₹103.20 लाख, कांगड़ा: ₹56.01 लाख, सिरमौर: ₹17.94 लाख, सोलन: ₹500.75 लाख तथा ऊना: ₹326.63 लाख

⁵ पहाड़ी क्षेत्र की सड़कों के लिए ₹6.04, ₹5.03, ₹4.03 तथा मैदानी क्षेत्र की सड़क के लिए ₹3.89, ₹3.23, ₹2.59 साधारण बस के लिए प्रति सीट प्रति किलो मीटर

हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें

चार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों⁶ की 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम इकाइयों द्वारा उपलब्ध करवाए गए मार्ग परमितों और विशेष पथ कर निर्धारण विवरणी की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2013 और मार्च 2014 के मध्य) में पाया गया कि सम्बंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने यह जांचने के लिए कि लागू दरें मार्ग के वर्गीकरण के अनुसार थी अथवा तय की गई दूरी मार्ग परमितों में अनुमोदन के अनुसार थी, 15 मामलों की विशेष पथ कर विवरणियों की उचित प्रकार से संवीक्षा नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹67.50 लाख⁷ के विशेष पथ कर का कम निर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त निर्धारित दरों पर ₹16.87 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

निजी स्टेज कैरिजें

छः क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और मार्ग परमितों की जून 2013 और मार्च 2014 के मध्य विशेष पथ कर पंजिकाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 66 मामलों में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने राज्य में चल रहे निजी स्टेज कैरिजों के लिए निर्धारित दरों, मील-दूरी तथा मार्गों के वर्गीकरण की जांच नहीं की थी। 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए कर का निर्धारण तथा भुगतान अंतरराज्यीय मार्गों के लिए निर्धारित दरों (जो अधिक है) के स्थान पर अंतरराज्यीय मार्गों के लिए निर्धारित दरों पर किया गया था। इसके कारण ₹62.11 लाख⁸ के राजस्व की अल्प वसूली हुई, इसके अतिरिक्त ₹15.53 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

5.3.5 डीलक्स, सेमी डीलक्स और वातानुकूलित बसों के विशेष पथ कर का अवनिर्धारण

हिमाचल प्रदेश सरकार (परिवहन विभाग) ने जनवरी 2006 की अधिसूचना द्वारा बस सेवा की लगजरी क्लास के रूप में सेमी-डीलक्स, डीलक्स अथवा वातानुकूलित बसों के लिए विशेष पथ कर की उच्च दरें निर्धारित की थी।

सात कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों में हिमाचल पथ परिवहन निगम की सेमी-डीलक्स, डीलक्स तथा वातानुकूलित बस सेवा के विशेष पथ कर निर्धारणों के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2013 और मार्च 2014 के मध्य) में पाया गया कि 12 मार्गों पर 24 स्टेज कैरिज चल रही थी। विशेष पथ कर लागू योग्य उच्च दरों के स्थान पर सामान्य वर्ग की बस सेवा पर लागू दरों के आधार पर लगाया गया था। सम्बंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने न तो निरंतर अनियमितताओं को ठीक करने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध करवाई गई निर्धारण विवरणियों को जांचा और न ही सम्बंधित हिमाचल पथ परिवहन निगम इकाइयों के प्रति कोई मासिक मांग उठाई थी। अतः, विशेष पथ कर के गलत लागू करने के परिणामस्वरूप ₹65.47 लाख⁹ के विशेष पथ कर का अवनिर्धारण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹16.37 लाख की शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

⁶ कुल्लू, शिमला, सोलन तथा ऊना

⁷ कुल्लू: ₹8.12 लाख, शिमला: ₹21.13 लाख, सोलन: ₹29.89 लाख तथा ऊना: ₹8.36 लाख

⁸ बिलासपुर: ₹7.33 लाख, हमीरपुर: ₹5.40 लाख, कुल्लू: ₹4.47 लाख, शिमला: ₹1.15 लाख, सोलन: ₹23.06 लाख तथा ऊना: ₹20.70 लाख

⁹ बिलासपुर: ₹13.70 लाख, चम्बा: ₹5.99 लाख, हमीरपुर: ₹4.40 लाख, कांगड़ा: ₹13.02 लाख, कुल्लू: ₹12.08 लाख, मण्डी: ₹10.17 लाख तथा सिरमौर: ₹6.11 लाख

5.3.6 विशेष पथ कर का गैर-निर्धारण

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 14(2) में सम्मिलित प्रावधानों के अनुसार जब पंजीकृत मालिक अथवा व्यक्ति जिसके पास अनुसूची-I अथवा III में विनिर्दिष्ट मोटर वाहन का अधिकार अथवा नियंत्रण है, कराधान प्राधिकरण को लिखित में पूर्व सूचना दे चुका है कि एक विशेष अवधि के लिए मोटर वाहन किसी भी सार्वजनिक स्थल में प्रयोग नहीं किया जाएगा और सम्बंधित पंजीकरण प्राधिकरण के पास मार्ग परमिट के साथ ऐसे मोटर वाहन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र जमा करवाता है तथा उसकी पावती प्राप्त करता है, तब उस अवधि के लिए उसे विशेष पथ कर के भुगतान से छूट दी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने जुलाई 2013 और मार्च 2014 के मध्य चार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जांच की और पाया कि 2008-09 और 2012-13 की अवधि के लिए सम्बंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम के स्टेज कैरिजों को 10 मार्गों के लिए परमिट जारी/ नवीकृत किए गए थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि इन मार्ग परमितों के विशेष पथ कर का निर्धारण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹1.02 करोड़¹⁰ की राशि का विशेष पथ कर अप्रभार्य था, इसके अतिरिक्त ₹25.28 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

5.3.7 निजी स्टेज कैरिजों से विशेष पथ कर की अवसूली

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3-क के अनुसार विशेष पथ कर सभी स्टेज कैरिज परिवहन वाहनों पर मासिक रूप से उद्ग्राह्य है और समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर प्रत्येक मास की 15 तारीख को अग्रिम रूप में भुगतान योग्य है।

जून 2013 और मार्च 2014 के मध्य सात क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों की विशेष पथ कर पंजीकाओं के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 310 नमूना जांचित मामलों में से 91 मामलों में ₹95.58 लाख की राशि का विशेष पथ कर निजी स्टेज कैरिजों के मालिकों से वसूली योग्य था। विभाग ने न तो विशेष पथ कर की मांग की थी और न ही इसका वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹95.58 लाख¹¹ के विशेष पथ कर की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त कर के गैर-भुगतान के लिए निर्धारित दर पर ₹23.89 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

जून 2013 और मार्च 2014 के मध्य इसे इंगित किए जाने पर निदेशक (परिवहन), शिमला ने जून और अगस्त 2014 में सूचित किया कि ₹51.18 लाख में से शिमला तथा सोलन के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा ₹15.17 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी और शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे थे। शेष क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने बताया कि सम्बंधित स्टेज कैरिजों को विशेष पथ कर जमा करवाने के लिए सूचनाएं जारी की जा रही थी (दिसम्बर 2014)।

¹⁰ मण्डी: ₹28.55 लाख, शिमला: ₹37.33 लाख, सोलन: ₹22.75 लाख तथा ऊना: ₹13.76 लाख

¹¹ बिलासपुर: आठ मामले: ₹11.16 लाख, कांगड़ा स्थित धर्मशाला: 11 मामले: ₹4.36 लाख, कुल्लू: 23 मामले: ₹10.60 लाख, शिमला: 22 मामले: ₹9.12 लाख, सिरमौर स्थित नाहन: चार मामले: ₹3.33 लाख, सोलन: 15 मामले: ₹42.06 लाख तथा ऊना: आठ मामले: ₹14.95 लाख

5.3.8 हिमाचल पथ परिवहन निगम से विशेष पथ कर के बकायों की अवसूली

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 12 में प्रावधान है कि जब एक व्यक्ति कर की किस्त का भुगतान ऐसे भुगतान के लिए निश्चित अवधि की समाप्ति से एक मास के अंतर्गत नहीं करता है तो कराधान प्राधिकारी उस व्यक्ति से देय बकायों की राशि को इंगित करते हुए अपने हस्ताक्षरों के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र समाहर्ता को अग्रेषित करेगा और समाहर्ता ऐसे प्रमाण पत्र की प्राप्ति पर उसमें इंगित की गई राशि को उस व्यक्ति से उसी प्रकार वसूल करने के लिए प्रवृत्त होगा जैसे यह भू-राजस्व का बकाया है। मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1988 की धारा 81 की उप-धारा 4 (क) (i) में आगे प्रावधान है कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अथवा राज्य परिवहन प्राधिकरण परमिट के नवीकरण हेतु एक आवेदन को ऐसे वाहन पर देय कर के भुगतान के बिना वाहन चलाने के आधार पर खारिज कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने जून 2013 और मार्च 2014 के मध्य 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों¹² के अभिलेखों की नमूना जांच की और पाया कि 2012-13 की अवधि के लिए ₹21.08 करोड़¹³ का कुल विशेष पथ कर की न तो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा मांग की गई थी और न ही यह हिमाचल पथ परिवहन निगम इकाइयों द्वारा मार्च 2014 तक जमा करवाया गया था, जिस पर ₹5.27 करोड़ की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

विशेष पथ कर का बकाया ₹70.91 करोड़ वर्ष 2008-09 से 2011-12 को पहले ही लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया जा चुका था और पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों¹⁴ में मुद्रित किया जा चुका था जिस पर विभाग द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम इकाइयों के वाहनों को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। जबकि हिमाचल पथ परिवहन निगम इकाइयों के वाहनों के मार्ग परमिटों को कर की संपुष्टि जांचे बिना समय-समय पर नवीकृत किया गया था जो उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था।

5.3.8.2 बंद पड़े निजी स्टेज कैरिजों का बकाया

जुलाई 2013 और मार्च 2014 के मध्य सात क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों¹⁵ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना की संवीक्षा में पाया गया कि 159 वाहन मालिकों ने उनके वाहनों का सड़क पर चलना बंद होने अथवा सम्बंधित पंजीकरण प्राधिकरण के पास मार्ग परमिट के साथ उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करवाने से पहले जनवरी 2000 से सितंबर 2012 की अवधि के लिए ₹1.39 करोड़ की शास्ति से अंतर्ग्रस्त ₹6.96 करोड़¹⁶ के विशेष पथ कर की राशि जमा नहीं करवाई थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 159 मामलों में से 152 मामले समाहर्ता को भू-राजस्व बकाया के अंतर्गत वसूली के लिए अग्रेषित किए गए थे जबकि ₹22.80 लाख के मूल्य के सात मामले मार्च

¹² बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर, सोलन तथा ऊना

¹³ बिलासपुर: ₹1.07 करोड़, चम्बा: ₹1.18 करोड़, हमीरपुर: ₹1.01 करोड़, कांगड़ा स्थित धर्मशाला: ₹5.06 करोड़, कुल्लू: ₹2.05 करोड़, मण्डी: ₹3.15 करोड़, शिमला: ₹4.95 करोड़, सिरमौर: ₹0.77 करोड़, सोलन: ₹1.02 करोड़ तथा ऊना: ₹0.82 करोड़

¹⁴ वर्ष 2008-09 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन: परिच्छेद 4.3.5, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009-10: परिच्छेद 4.6.15.1, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010-11: परिच्छेद 4.11, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011-12: परिच्छेद 5.8 तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2012-13: परिच्छेद 5.4.1

¹⁵ बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर तथा सोलन

¹⁶ बिलासपुर: ₹2.85 लाख, कांगड़ा: ₹108.99 लाख, कुल्लू: ₹86.12 लाख, मण्डी: ₹40.24 लाख, शिमला: ₹308.00 लाख, सिरमौर: ₹92.24 लाख तथा सोलन: ₹57.22 लाख

किए गए थे। यद्यपि 14 वर्षों की अवधि पहले ही बीत चुकी थी लेकिन वसूली अभी तक प्रतीक्षित थी।

वाहनों का कोई केन्द्रीकृत डाटा निदेशालय स्तर पर अनुरक्षित नहीं किया गया था। अन्य राज्यों के स्टेज कैरिज मालिकों से ₹10.05 करोड़ के विशेष पथ कर की अल्प वसूली हुई थी। मील-दूरी की गलत दर लागू करने के कारण हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों तथा निजी स्टेज कैरिजों के सम्बंध में ₹1.30 करोड़ की कुल राशि के विशेष पथ कर का अल्प निर्धारण हुआ था। 2012-13 की अवधि के लिए ₹21.08 करोड़¹⁷ की कुल राशि के विशेष पथ कर की न तो 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा मांग की गई थी और न ही यह मार्च 2014 तक हिमाचल पथ परिवहन निगम की इकाइयों द्वारा जमा करवाया गया था, जिस पर ₹5.27 करोड़ की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

उपरोक्त बिन्दु सरकार/ विभाग को सूचित किये गये थे (जुलाई 2014); सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है।

5.4 करों की अवसूली

5.4.1 सांकेतिक कर

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अंतर्गत वाहन मालिकों द्वारा सांकेतिक कर का भुगतान त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप में निर्धारित तरीके से अग्रिम में किया जाना है। परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जून 2007 और 15 मार्च 2012 के अनुसार निर्माण उपकरण वाहनों तथा क्रेन वाले वाहनों (अधिकतम निर्धारित भार पर आधारित) के मामले में सांकेतिक कर जून 2007 से ₹8,000 (हल्के वाहनों), ₹11,000 (मध्यम वाहनों) तथा ₹14,000 (भारी वाहनों) वार्षिक की दर पर उद्ग्राह्य था। प्रावधान के अनुसार यदि वाहन मालिक निर्धारित अवधि के अंदर देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसे सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात कर के अतिरिक्त देय कर की 25 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ति का भुगतान करने का निदेश देगा।

लेखापरीक्षा में मई 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य 20 पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों¹⁸ आठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों¹⁹ तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण, शिमला के सांकेतिक कर रजिस्ट्रों एवं 'वाहन' साफ्टवेयर में अनुरक्षित डाटा की नमूना जांच की गई तथा पाया गया कि नमूना जांच किये गये 11,920 वाहनों के अभिलेखों में से 4,196 वाहनों के सम्बंध में 2011-12 तथा 2012-13 वर्षों हेतु ₹2.59 करोड़ के सांकेतिक कर की राशि को वाहन मालिकों द्वारा जमा नहीं कराया गया था। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे प्रतीत होता कि चूककर्ताओं से कर वसूल करने के लिए कराधान प्राधिकारियों द्वारा कोई प्रयास किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹2.59 के सांकेतिक कर की वसूली नहीं हुई।

¹⁷ बिलासपुर: ₹1.07 करोड़, चम्बा: ₹1.18 करोड़, हमीरपुर: ₹1.01 करोड़, कांगड़ा स्थित धर्मशाला: ₹5.06 करोड़, कुल्लू: ₹2.05 करोड़, मण्डी: ₹3.15 करोड़, शिमला: ₹4.95 करोड़, सिरमौर: ₹0.77 करोड़, सोलन: ₹1.02 करोड़ तथा ऊना: ₹0.82 करोड़

¹⁸ आनी, बैजनाथ, चम्बा, धर्मशाला, घुमारवीं, ज्वाली, कण्डाघाट, करसोग, काजा, नादौन, नाहन, नालागढ़, नूरपुर, पांवटा साहिब, पूह, शिमला (शहरी), सोलन, सुंदरनगर, टियोग तथा ऊना

¹⁹ बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, नाहन, तथा ऊना

इसे इंगित किये जाने पर (मई 2013 और फरवरी 2014 के मध्य) निदेशक (परिवहन) ने जून 2013 तथा अगस्त 2014 के मध्य सूचित किया कि चार पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों तथा पांच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने 410 वाहनों²⁰ के सम्बंध में ₹107.69 लाख में से ₹26.74 लाख के सांकेतिक कर की वसूली कर ली थी तथा शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। शेष कराधान प्राधिकारियों ने सूचित किया (जुलाई 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) कि चूककर्ताओं को कर जमा कराने के लिए या तो नोटिस जारी किये जाएंगे अथवा अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

सरकार को मामला जून 2013 तथा अप्रैल 2014 के मध्य सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

5.4.2 प्रवेश कर की अवसूली/ अल्पवसूली

स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर हिमाचल प्रदेश कर अधिनियम, 2010 की धारा 4(1) के अंतर्गत जारी की गई अक्टूबर 2010 की आबकारी एवं कराधान विभाग की अधिसूचना के अनुसार, राज्य में उपयोग हेतु राज्य से बाहर किसी भी स्थान से खरीदे गये तथा हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत पंजीकरण योग्य मोटर वाहनों के बीजक मूल्य पर पांच प्रतिशत की दर से प्रवेश कर को जमा कराना होगा। इसके अतिरिक्त प्रावधान है कि कोई भी पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी ऐसे मोटर वाहन का तब तक पंजीकरण नहीं करेगा जब तक कि पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता व्यक्ति निर्धारण प्राधिकारी से इस धारा के अंतर्गत देय कर को जमा कराने का प्रमाण प्रस्तुत न कर दे।

लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी ज्वाली तथा दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों²¹ के पास अनुरक्षित वाहनों की पंजीकरण फाइलों से पाया गया कि मई 2011 से मार्च 2013 के मध्य 11 वाहनों के सम्बंध में निर्धारित दर पर ₹7.63 लाख की राशि के प्रवेश कर को वाहन मालिकों द्वारा आबकारी एवं कराधान विभाग के पास जमा करवाया जाना अपेक्षित था, जिसमें से चार वाहन मालिकों द्वारा मात्र ₹0.67 लाख ही जमा करवाए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹6.96 लाख के प्रवेश की अवसूली/ अल्पवसूली हुई।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने (नवम्बर 2013 मार्च 2014 के मध्य) के पश्चात निदेशक (परिवहन) ने अगस्त 2014 में सूचित किया था कि पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी, ज्वाली तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नाहन ने आठ वाहनों के सम्बंध में ₹3.26 लाख के प्रवेश कर की वसूली कर ली थी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सोलन ने सूचित किया था कि चूककर्ताओं को प्रवेश कर जमा करवाने के लिए सूचनाएं जारी कर दी गई थी।

सरकार को मामला दिसम्बर 2013 और मई 2014 के मध्य सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

²⁰ पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी बैजनाथ: 33 वाहनों: ₹1.21 लाख, धर्मशाला: 32 वाहनों: ₹3.16 लाख, घुमारवीं: 39 वाहनों: ₹3.04 लाख, कण्डाघाट: 10 वाहनों: ₹0.60 लाख, नालागढ़: 93 वाहनों: ₹4.32 लाख, पूह: तीन वाहनों: ₹4,500, राज्य परिवहन प्राधिकरण शिमला: 30 वाहनों: ₹2.06 लाख, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चम्बा: 15 वाहनों: ₹88,950, धर्मशाला: 35 वाहनों: ₹2.56 लाख, कुल्लू: 30 वाहनों: ₹1.41 लाख, मण्डी: 50 वाहनों: ₹5.10 लाख तथा ऊना: 40 वाहनों: ₹2.34 लाख

²¹ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नाहन तथा सोलन

5.5 प्रयोक्ता प्रभागों को जमा न करवाना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 03 सितम्बर 2005 की अधिसूचना द्वारा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के कार्यालयों में समस्त परिवहन सम्बंधी गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु निदेशालय परिवहन स्तर पर और प्रत्येक जिला स्तर पर ई-शासन समितियों के गठन को अनुमोदित किया था। ये ई-शासन समितियां सितम्बर 2005 से सम्बंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। समितियां सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोक्ता प्रभागों का संग्रहण करती हैं तथा इन प्रभागों का 25 प्रतिशत सरकारी खाते में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने मई 2013 तथा सितम्बर 2013 के मध्य सात पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों²² के 'सेवा प्रभार संग्रहण रजिस्ट्रों' से पाया कि ई-शासन समितियों ने 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान प्रयोक्ता प्रभागों के रूप में ₹69.02 लाख एकत्रित किये। तथापि, प्रयोक्ता प्रभागों के रूप में एकत्रित प्राप्तियों का 25 प्रतिशत जो ₹17.26 लाख²³ बनता था, को सरकारी खाते में जमा नहीं कराया गया था, जैसाकि अपेक्षित था। इस प्रकार ₹17.26 लाख सरकारी खाते से बाहर रहे थे, जिससे उस सीमा तक के राजस्व की न्यूनोक्ति भी हुई। तथापि, प्रयोक्ता प्रभागों के 25 प्रतिशत की आवधिक भुगतान की अनुसूची तथा विलम्बित भुगतानों, आदि के मामले में उद्गृहीत किये जाने वाले ब्याज/ शास्ति का सरकार द्वारा निर्धारण नहीं किया गया था।

इसे इंगित किये जाने (मई 2013 तथा सितम्बर 2013 के मध्य) पर निदेशक (परिवहन) ने अगस्त 2014 में सूचित किया था कि चार पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा ₹10.17 लाख की राशि जमा करवा दी गई थी। शेष कराधान प्राधिकारियों ने बताया कि यद्यपि प्रयोक्ता प्रभागों की राशि आगे सरकारी कोष में जमा करवाए जाने के लिए सम्बंधित उपायुक्त के कार्यालय में जमा करवा दी गई थी और लेखापरीक्षा को चालान पृथक रूप से भेजा जाएगा।

विभाग तथा सरकार को मामला जून 2013 तथा अक्टूबर 2013 के मध्य सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

5.6 आबकारी एवं कराधान प्राधिकारियों के पास माल व यात्री वाहनों का पंजीकरण न करवाना

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम 1955 की धारा-8 तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली में प्रावधान है कि स्टेज/ संविदा कैरिज तथा माल कैरिज मालिकों से उनके वाहनों का पंजीकरण सम्बद्ध आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के पास कराया जाना तथा निर्धारित दरों पर यात्री कर व माल कर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। दिसम्बर 1984 में जारी प्रशासनिक निर्देश यह अनुबद्ध करते हैं कि आबकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत समस्त वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगा और इस उद्देश्य हेतु पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के साथ निकट समन्वय रखेगा। हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी की गई आबकारी एवं कराधान विभाग की अधिसूचना दिनांक 5 मई 2004 के अनुसार, शैक्षणिक संस्थान बस के मामले में यात्री कर की एकमुश्त राशि जैसाकि इस उप-नियम के खंड

²² कण्डाघाट, नादौन, नालागढ़, पांवटा साहिब, पूह, शिमला (शहरी) तथा सोलन

²³ कण्डाघाट: ₹0.83 लाख, नादौन: ₹1.57 लाख, नालागढ़: ₹4.66 लाख, पांवटा साहिब: ₹4.90 लाख, पूह: ₹0.44 लाख, शिमला (शहरी): ₹1.62 लाख तथा सोलन: ₹3.24 लाख

(क) के उप-खंडों (i), (ii) तथा (iii) में विनिर्दिष्ट है, तिमाही जिससे यह सम्बंधित है, के आरम्भ होने से 30 दिनों के अंदर बराबर त्रैमासिक किश्तों में भुगतान योग्य होगी। यात्री कर की वसूली वाहन की सीटों की क्षमता²⁴ के आधार पर की जानी है। पंजीकरण कराने में विफलता के लिए शास्ति जो इस प्रकार निर्धारित की गई कर की राशि के पांच गुणा से अधिक न हो तथा न्यूनतम ₹500 हो, भी उद्ग्राह्य होगी।

लेखापरीक्षा ने जुलाई 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य 12 पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों तथा छः क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पंजीकरण के अभिलेखों के साथ छः कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁵ तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर के अभिलेखों की प्रति जांच की तथा यह पाया कि नमूना जांच किये गये 6,825 वाणिज्यिक वाहनों (माल/ यात्री/ शैक्षणिक संस्थान वाहन) जो 2010-11 तथा 2012-13 के मध्य सम्बद्ध पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास पंजीकृत किये गये थे, में से 3,581 वाहन छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर²⁶ के पास पंजीकृत नहीं पाये गये जैसाकि हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित था। लेखापरीक्षा ने इसके आगे पाया कि सम्बंधित पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के मध्य आबकारी एवं कराधान प्राधिकारियों के पास सभी वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई समन्वयन नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि हेतु ₹2.29 करोड़ की राशि का यात्री व माल कर इन वाहन मालिकों से वसूल नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त ₹17.91 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी जैसाकि तालिका 5.2 में विवरण दिया गया है।

तालिका 5.2

क्रमांक	वाहन का प्रकार	अवधि	आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत न पाये गये वाहनों की कुल संख्या/नमूना जांच किये गये वाहन	वसूली योग्य राशि			
				यात्री कर	माल कर	वसूली योग्य कुल राशि	न्यूनतम शास्ति ₹500/- प्रति वाहन
1	यात्री वाहन (मैक्सी कैब/ टैक्सी)	2010-11 और 2012-13	742 / 1,660	28.65	--	28.65	3.71
2	यात्री वाहन (शैक्षणिक संस्थान बसें)	2010-11 और 2012-13	449 / 725	121.42	--	121.42	2.25
3	माल वाहन (भारी माल वाहन/ मध्यम माल वाहन/ हल्के माल वाहन/ ट्रैक्टर)	2010-11 और 2012-13	2,390 / 4,440	--	79.17	79.17	11.95
योग			3,581 / 6,825	150.07	79.17	229.24	17.91

इसे इंगित किये जाने (जुलाई 2013 और फरवरी 2014 के मध्य) पर आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने अप्रैल 2014 में सूचित किया था कि ₹94.39 लाख में से ₹12.68 लाख की राशि (यात्री कर: ₹3.82 लाख तथा माल कर: ₹8.42 लाख) तीन जिलों²⁷ में 162 वाहन मालिकों से

²⁴ मिनि बस 30 तक बैठने की क्षमता, बड़ी बस 30 से अधिक बैठने की क्षमता

²⁵ चम्बा, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, नूरपुर तथा ऊना

²⁶ चम्बा (525-₹22.05 लाख), कुल्लू (384-₹11.73 लाख, हमीरपुर (1288-₹92.27 लाख), मण्डी (504-₹37.25 लाख), नूरपुर (407-₹51.66 लाख), ऊना (438-₹13.38 लाख), किन्नौर (35- ₹1.10 लाख)

²⁷ आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर: 14 वाहन: ₹0.44 लाख, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मण्डी: 112 वाहन: ₹7.66 लाख तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त नूरपुर: 36 वाहन: ₹4.58 लाख

वसूल कर ली गई थी और शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। शेष सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने कोई उत्तर उपलब्ध नहीं करवाया था।

सरकार को मामला अगस्त 2013 और अप्रैल 2014 के मध्य सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

5.7 माल व यात्री कर की अवसूली

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत वाहन मालिकों से निर्धारित दरों पर मासिक अथवा त्रैमासिक रूप से कर आदि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। तथापि, यदि वाहन मालिक देय कर के भुगतान में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसको देय कर के साथ शास्ति जो इस प्रकार निर्धारित की गई कर की राशि के पांच गुणा से अधिक न हो तथा न्यूनतम ₹500 हो, जमा करवाने के लिए निर्देशित कर सकता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 9-ख (2) तथा हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1957 के नियम 22 में आगे प्रावधान है कि कराधान प्राधिकारी वाहन मालिकों को कर जमा करवाने के लिए मांग अधिसूचना जारी कर सकता है।

लेखापरीक्षा में छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁸ तथा आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर के कार्यालयों में अनुरक्षित किये गये मांग एवं संग्रहण रजिस्ट्रों की जुलाई 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य नमूना जांच की गई और पाया गया कि 2,953 नमूना जांचित वाहनों में से 647 के सम्बंध में 2009-10 से 2012-13 की अवधि के लिए ₹66.78 लाख का यात्री व माल कर इन वाहन मालिकों से वसूल नहीं किया गया था। वाहन मालिकों द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र पंजीकरण प्राधिकारियों के पास जमा नहीं करवाए गये थे और कर से छूट स्वीकृत करने के लिए इसके समर्थन में प्रविष्टियां भी अभिलेख में प्राप्त नहीं हुई थी। निर्धारण प्राधिकारियों ने वाहन मालिकों को मांग सूचनाएं जारी नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹66.78 लाख के कर की वसूली नहीं हुई, इसके अतिरिक्त इन वाहनों पर ₹3.23 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी, जैसाकि तालिका 5.3 में विवरण दिया गया है:

तालिका 5.3

क्रमांक	वाहन का प्रकार	अवधि	वाहनों की कुल संख्या जिनके लिए कर का भुगतान नहीं किया गया/नमूना जांच किये गये वाहन	वसूली योग्य राशि				₹ लाख
				यात्री कर	माल कर	वसूली योग्य कुल राशि	न्यूनतम शास्ति ₹500/- प्रति वाहन	
1	यात्री वाहन (मैक्सी कैब/ टैक्सी)	2010-11 और 2012-13	186 / 1,040	21.56	--	21.56	0.93	
2	यात्री वाहन (शैक्षणिक संस्थान बसें)	2010-11 और 2012-13	51 / 175	9.63	--	9.63	0.25	
3	माल वाहन (भारी माल वाहन/ मध्यम माल वाहन/ हल्के माल वाहन/ ट्रैक्टर)	2010-11 और 2012-13	410 / 1,738	--	35.59	35.59	2.05	
योग			647 / 2,953	31.19	35.59	66.78	3.23	

²⁸ चम्बा, हमीरपुर, कुल्लू, मण्डी, नूरपुर तथा ऊना

इसे इंगित किये जाने (जुलाई 2013 और फरवरी 2014 के मध्य) पर आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने अप्रैल 2014 में सूचित किया था कि ₹26.96 लाख में से ₹6.21 लाख की राशि (यात्री कर: ₹2.59 लाख, माल कर: ₹3.62 लाख) तीन कार्यालय सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁹ /आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर में 69 वाहन मालिकों से वसूल कर ली गई थी और शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे थे। शेष सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने कोई उत्तर उपलब्ध नहीं करवाया था।

सरकार को मामला अगस्त 2013 और अप्रैल 2014 के मध्य सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

5.8 वाहनों के पंजीकरण के पश्चात कर की अवसूली

5.8.1 कर का भुगतान न करना

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली, 1957 की धारा 19 (क) एवं (ख) में प्रावधान है कि प्रत्येक जिले के आबकारी एवं कराधान कार्यालय में यात्री तथा माल कर प्रपत्र-23 में दैनिक संग्रहण रजिस्टर तथा यात्री तथा माल कर प्रपत्र-24 में मांग तथा संग्रहण रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाएगा जिसमें अधिनियम के अंतर्गत कर, अधिकर अथवा शास्ति अथवा अन्य देय राशि के प्रमाण में प्राप्त प्रत्येक चालान का विवरण जो मोटर वाहन मालिकों द्वारा दिये गये हैं, को दर्ज किया जाएगा। अधिनियम के नियम 20 में प्रावधान है कि चालान चार प्रतियों में भरे जाएंगे, एक प्रति कोषागार द्वारा रखी जाएगी, एक प्रति कोषागार द्वारा निर्धारण प्राधिकारी को भेजी जाएगी तथा अन्य दो प्रतियां वाहन मालिकों को किये गये भुगतान के प्रमाण के रूप में वापिस की जाएगी जिस में से एक प्रति मासिक विवरण के साथ संलग्न की जाएगी तथा दूसरी प्रति वाहन मालिक द्वारा अपने अभिलेख हेतु रखी जाएगी।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हमीरपुर के कार्यालय में अनुरक्षित दैनिक संग्रहण रजिस्टर की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 2010-11 और 2012-13 के मध्य आबकारी एवं कराधान विभाग के पास 101 वाहन मालिकों ने अपने वाहन पंजीकृत करवाए थे और पंजीकरण के समय कर की मात्र एक किस्त का भुगतान किया था। तत्पश्चात न तो विभाग द्वारा मांग सूचनाएं जारी की गई थी, न ही वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था। विभाग की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹13.72 लाख के कर की अवसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने (अगस्त 2013) के पश्चात आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने सितम्बर 2014 में सूचित किया कि 27 वाहन मालिकों से ₹3.50 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी और शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे थे। वसूली पर आगे सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

²⁹ आबकारी एवं कराधान अधिकारी किन्नौर: 26 वाहन: ₹1.45 लाख, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त हमीरपुर: छ: वाहन: ₹0.94 लाख, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त मण्डी: 34 वाहन: ₹3.68 लाख तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त नूरपुर: 3 वाहन: ₹0.14 लाख

5.8.2 निर्माण कम्पनियों से माल कर की अवसूली

लेखापरीक्षा ने सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, चम्बा तथा हमीरपुर के कार्यालय में अनुरक्षित पंजीकरण रजिस्टर तथा मांग एवं संग्रहण रजिस्टर की नमूना जांच की (अगस्त 2013) और पाया कि दो निर्माण कम्पनियां निर्माण कार्य में प्रवृत्त थी और उनके पास हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत आबकारी एवं कराधान प्राधिकारियों के पास मार्च 2007 और दिसम्बर 2010 के मध्य पंजीकृत 54 माल वाहन³⁰ थे। अभिलेखों के अनुसार 46 वाहनों के सम्बंध में माल कर का भुगतान अक्टूबर 2010 तक प्राप्त किया गया था जबकि 8 वाहनों के सम्बंध में उनके पंजीकरण के समय से माल कर का भुगतान किया नहीं गया था। उसके बाद (नवम्बर 2010 और उससे आगे) न तो इन कम्पनियों द्वारा माल कर का भुगतान किया गया था, न ही निर्धारण प्राधिकारी ने कर का कोई निर्धारण किया था। अभिलेख में ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह इंगित हो कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त चम्बा तथा हमीरपुर द्वारा इन कम्पनियों अथवा वाहन मालिकों को माल कर जमा करने के लिए कभी कोई मांग सूचनाएं जारी की गई थी। अतः निर्धारण प्राधिकारी की निष्क्रियता के कारण नवम्बर 2010 से मार्च 2013 की अवधि के लिए ₹10.13 लाख के माल कर की अवसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने (अगस्त 2013) के पश्चात आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला ने सितम्बर 2014 में सूचित किया कि 46 वाहन मालिकों से ₹9.65 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी और शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे थे। वसूली पर आगे सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।

सरकार को मामला सितम्बर 2013 में सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

³⁰ चम्बा: 18 वाहन: ₹3.30 लाख तथा हमीरपुर: 36 वाहन: ₹6.83 लाख

अध्याय- VI
अन्य कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

अध्याय-VI

अन्य कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां

6.1 कर प्रशासन

इस अध्याय में वनों, खनन, उद्योगों, लोक निर्माण कार्य और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभागों से प्राप्तियों का समावेश है। प्रशासन प्रत्येक विभाग हेतु पृथक रूप से बनाए गए अधिनियमों एवं नियमावलियों द्वारा शासित किया जाता है।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2013-14 में वन प्राप्तियों से सम्बंधित 15 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 82 मामलों में ₹10.57 करोड़ से अंतर्ग्रस्त रॉयल्टी की अवसूली/ अल्पवसूली, ब्याज/ वर्धन फीस का उद्ग्रहण न करना, रॉयल्टी की उगाही न करना/ कम करना, निष्क्रिय/ न्यूनतम किराया आदि, तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई जो निम्नवत् तालिका 6.1 में दी गई श्रेणियों के अंतर्गत पड़ती हैं।

तालिका 6.1

₹ करोड़			
क्रमांक	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
वन विभाग			
1.	रॉयल्टी की अवसूली/अल्पवसूली	10	1.89
2.	ब्याज का अनुद्ग्रहण, जब्त की गई लकड़ी के कारण राजस्व का अवरोधन, वृक्षों की लागत की कम उगाही	15	1.34
3.	अन्य अनियमितताएं	25	4.75
	योग	50	7.98
उद्योग विभाग			
1.	रॉयल्टी की उगाही न करना/कम करना, निष्क्रिय/न्यूनतम किराया आदि	27	1.57
2.	अन्य अनियमितताएं	05	1.02
	योग	32	2.59
	सकल योग	82	10.57

विभाग ने वर्ष के दौरान 88 मामलों में ₹7.11 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की, जिन्हें विगत वर्षों में इंगित किया गया था। वर्ष 2013-14 के दौरान 81 मामलों में ₹5.74 करोड़ की राशि की उगाही की गई थी।

₹99.47 लाख से अंतर्ग्रस्त कुछ निदर्शी मामलों की निम्नवत् परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

वन विभाग

6.3 जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटारा न करने के कारण राजस्व का अवरोधन

भारतीय वन अधिनियम की धारा 52 में जब्ती योग्य सम्पत्ति को जब्त करने के लिए प्रावधान किया गया है। अप्रैल 1951 के विभागीय अनुदेशों के अनुसार जब्त की गई इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पाद को या तो सुपुरदार¹ की सुपुर्दगी (सुरक्षित अभिरक्षा) में रखा जाना चाहिए अथवा प्रपत्र-17 में इसे लेखाबद्ध करने के पश्चात सम्बंधित क्षेत्रीय स्टाफ के पास रखा जाना चाहिए। इस प्रकार लेखाबद्ध की गई इमारती लकड़ी/ वन उत्पाद का या तो अपराध का निपटारा करने के पश्चात अथवा न्यायालय द्वारा मामले का निर्णय करने पर निपटारा किया जाना अपेक्षित है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने सभी अरण्यपालों को निर्देश दिये (अप्रैल 1999) कि जहां पर वन उत्पादों की सुपुर्दगी अत्यधिक लम्बी अवधि हेतु ली गई है वहां सम्बंधित जांच अधिकारी को ऐसे उत्पादों की निगरानी पर व्यय को कम करने तथा अपकर्ष/ चोरी से बचाव के लिए 15 दिनों के अन्दर जब्त सम्पत्ति की नीलामी हेतु सक्षम न्यायालय के आदेश प्राप्त करने को कहा जाना चाहिए।

पांच वन मण्डलों² की इमारती लकड़ी के प्रपत्रों की नवम्बर 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य की गई लेखापरीक्षा संवीक्षा से पाया गया कि 20 वन क्षेत्रों में विभाग ने ₹9.38 लाख के मूल्य वर्धित कर से अंतर्ग्रस्त ₹77.57 लाख के मूल्य की 169.8461 घन मीटर परिमाण की इमारती लकड़ी जब्त की (2011-12 और 2012-13 के मध्य)। लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे पाया गया कि जब्त की गई इमारती लकड़ी विभाग के विभिन्न डिपुओं में पड़ी थी। अभिलेख में इसे इंगित करने के लिए कुछ नहीं था कि सम्बंधित वन मण्डलीय अधिकारियों/ जांच अधिकारियों ने तय समय सीमा के अन्दर जब्त की गई इमारती लकड़ी के निपटान हेतु कोई ठोस कदम उठाये थे अथवा न्यायालय के आदेश प्राप्त किये थे। अतः पकड़ी गई इमारती लकड़ी का निपटारा न करने के फलस्वरूप न केवल उस सीमा तक राजस्व का अवरोधन हुआ बल्कि निगरानी पर व्यय तथा इमारती लकड़ी का अपकर्ष भी हुआ।

इसे इंगित किये जाने (नवम्बर 2013 तथा फरवरी 2014) पर वन मण्डलीय अधिकारी, रोहडू ने बताया कि माननीय न्यायालय से नीलामी आदेश प्राप्त किए जा रहे थे और तदनुसार इमारती लकड़ी का निपटारा किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जब्त की गई इमारती लकड़ी जोकि अब भी डिपुओं में पड़ी थी, का निपटारा करने हेतु विभागीय कर्मचारियों ने समय पर कोई कार्रवाई नहीं की थी।

विभाग तथा सरकार को मामला दिसम्बर 2013 तथा अप्रैल 2014 में सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

6.4 राजस्व की अल्प वसूली

सितम्बर 1991 के विभागीय निदेशों के अनुसार भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात उपयोक्ता अभिकरणों को क्षेत्र का अंतरण करने से पूर्व गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए अपवर्तित/ हस्तांतरित वन भूमि पर खड़े वृक्षों की लागत निवर्तमान बाजार दरों पर वसूल की जानी है। इसके

¹ लंबरदार अथवा उस स्थान का कोई विश्वसनीय व्यक्ति

² बिलासपुर: घनत्व: 25.3991 घन मीटर ₹7.65 लाख, चौपाल: घनत्व: 45.525 घन मीटर ₹23.62 लाख, कुल्लू: 63.271 घन मीटर ₹29.02 लाख, रामपुर: 4.721 घन मीटर ₹2.45 लाख, रोहडू: 30.930 घन मीटर ₹14.83 लाख

अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने मार्च 2000 के अपने पत्र द्वारा स्पष्ट किया था कि टेक्सस बैक्टा वृक्षों की लागत देवदार के प्रति प्रभारित की जानी है।

लेखापरीक्षा ने दिसम्बर 2013 और फरवरी 2014 के मध्य बिलासपुर तथा नाहन वन मण्डल के अभिलेखों की नमूना जांच की और पाया कि भारत सरकार से जून तथा जुलाई 2012 के मध्य गैर-वानिकी प्रयोजनों हेतु 1,818.4828 घन मीटर के स्थिर घनत्व से युक्त विविध प्रजातियों³ के 14,185 वृक्षों/सैपलिंगों से युक्त वन भूमि के 98.079 हेक्टेयर के अपवर्तन का अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया गया था। विभाग ने मांग की गलत ढंग से गणना की और परियोजना⁴ के संरेखण में आने वाले वृक्षों/सैपलिंगों के सम्बंध में 2012-13 के दौरान निवर्तमान बाजार दरों पर प्रभार्य ₹340.38 लाख के स्थान पर 2009-10 में लागू बाजार दरों पर ₹306.44 लाख की उगाही की (जनवरी 2011 और जुलाई 2011 के मध्य)। इसके परिणामस्वरूप मूल्य वर्धित कर सहित ₹33.94 लाख के सरकारी राजस्व की कम वसूली हुई।

सरकार को मामला विभाग और जनवरी 2014 तथा मई 2014 के मध्य सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

6.5 विभागीय प्रभारों को जमा न करवाना

प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश, के मई 2004 में जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार विभाग के स्थापना तथा अवसंरचना प्रभारों को आवृत्त करने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के मामले में 17.5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों को प्रभारित किया जाना था। प्रधान मुख्य अरण्यपाल के मार्च 2003 के पत्र के अनुसार विभागीय प्रभारों के आधार पर उगाही गई राशि को क्षतिपूरक वनरोपण शीर्ष के स्थान पर विभाग के राजस्व के रूप में जमा करवाया जाना था।

चार वन मण्डलों⁵ के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य पाया गया कि गैर-वानिकी प्रयोजनों हेतु वन भूमि के अपवर्तन के 18 मामलों के सम्बंध में ₹52.31 लाख के विभागीय प्रभारों सहित क्षतिपूरक वनरोपण के आधार पर ₹3.55 करोड़ की उगाही की गई थी। इस प्रकार उगाहे गये ₹52.31 लाख के विभागीय प्रभारों को सरकार के राजस्व शीर्ष में जमा करवाने के स्थान पर क्षतिपूरक वनरोपण निधि प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण लेखे में जमा करवाया गया था। इस प्रकार, सरकारी खाते में विभागीय प्रभारों को जमा न करवाने के परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की न्यूनोक्ति हुई।

विभाग तथा सरकार को मामला दिसम्बर 2013 तथा मई 2014 के मध्य सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2014)।

6.6 रेजिन ब्लेजों का अनियमित विलोपन

वन कार्य प्रणाली के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् रेजिन लॉट्स का रेजिन स्त्राव कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के पास है, जो इस प्रयोजन हेतु एकमात्र एंजेंट है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने मई 2000 के अनुदेशों द्वारा सभी वन मण्डलीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि सम्बद्ध वन मण्डलीय

³ बान, चील, कोकथ, खैर, शीशम, आम, जामुन, सफेदा, तूनी, सैन, सिंबल और अन्य बी/एल

⁴ कोलडैम-लुधियाना संचरण लाइन और कुमारहट्टी-नाहन सड़क, संचरण लाइन देवनी से काला अम्ब तक

⁵ वन मण्डलीय अधिकारी बिलासपुर, चौपाल, नाहन और रामपुर

अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष स्नाव मौसम के अंत तक (अद्यतन 15 दिसम्बर तक) ब्लेजों के विलोपन हेतु प्रस्ताव तैयार किये जाए ताकि आगामी स्नाव मौसम (15 मार्च) के आरम्भ होने से ठीक पहले अरण्यपाल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

तीन मण्डलों⁶ के रेजिन ब्लेजों की लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2013 तथा फरवरी 2014 के मध्य पाया कि वर्ष 2011, 2012 तथा 2013 के स्नाव मौसमों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम को स्नाव हेतु 10,514 रेजिन ब्लेजों को हस्तांतरित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा संविक्षा में पाया गया कि इन ब्लेजों के विलोपन हेतु अरण्यपाल का पूर्व अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार अरण्यपाल का पूर्व अनुमोदन लिए बिना ब्लेजों का विलोपन अनियमित था जिसके परिणामस्वरूप ₹4.90 लाख के राजस्व की हानि हुई।

विभाग तथा सरकार को मामला दिसम्बर 2013 तथा अप्रैल 2014 के मध्य सूचित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2014)।

उद्योग विभाग

6.7 'लघु खनिजों से प्राप्तियां'

खानों और खनिजों से प्राप्तियों में मुख्यतः रॉयल्टी, निष्क्रिय किराये, न्यूनतम किराये, फीस तथा जुर्मानों का समावेश होता है। हिमाचल प्रदेश में पाये जाने वाले प्रमुख लघु खनिज इमारती पत्थर, मैशनरी पत्थर, चूना पत्थर, बजरी, ब्रिक अर्थ और रोडी आदि हैं।

लघु खनिजों का अवशोषण खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 और खनिज रियायत नियमावली, 1960 द्वारा शासित तथा विनियमित किया जाता है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) संशोधित नियमावली 1971 और हिमाचल प्रदेश खनिज (अधिकारों की सुपुर्दगी) अधिनियम, 1983 के अंतर्गत वर्ष 1986 में खनन नीति बनाई गई थी जोकि बाद में 1998 में परिवर्तित की गई थी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने नदी/ धारा तल खनन नीति दिशा-निर्देश-2004 बनाए और भारत सरकार की प्रख्यापित राष्ट्रीय खनिज नीतियों, 1993 तथा 2008 (गैर-ईंधन तथा गैर-कोयला खनिजों हेतु) के अंतर्गत राज्य में खानों तथा खनिजों के विनियमन के लिए पुनः हिमाचल प्रदेश खनिज नीति 2013 अधिसूचित की। खनिज प्राप्तियों और रियायतों पर केन्द्रीय प्रावधानों के साथ-साथ राज्य कानूनों के विनियमन तथा कार्यान्वयन के लिए उद्योग विभाग (भू-विज्ञान शाखा) नोडल अभिकरण है। राज्य में लघु खनिजों से प्राप्ति 2010-11 में ₹113.84 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹147.90 करोड़ हो गई।

'लघु खनिजों से प्राप्तियों' 2010-11 से 2012-13 की अवधि को आवृत करती, पर लेखापरीक्षा मार्च 2014 और जून 2014 के मध्य राज्य भू-वैज्ञानिक, शिमला के कार्यालयों और बारह खनन कार्यालयों में से सात⁷ के अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से की गई थी। लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत् हैं:

⁶ बिलासपुर, चौपाल और मण्डी

⁷ खनन अधिकारी बिलासपुर, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, कुल्लू, शिमला, सिरमौर स्थित नाहन, सोलन और ऊना

6.7.1 रॉयल्टी, निष्क्रिय किराये, न्यूनतम किराये तथा ब्याज की अवसूली/ अल्प वसूली

हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) संशोधित नियमावली, 1971 के नियम 21 (1) (i) (ग) में प्रावधान है कि पट्टा क्षेत्र से हटाये जाने वाले सामान के लिए पट्टाधारी रायल्टी का अग्रिम भुगतान करेगा। रेत, पत्थर आदि के लिए रायल्टी उत्पादन और उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिनांक 08.10.2007 की अधिसूचना के रूप में अन्य परिमाणों के आधार पर ₹20 प्रति टन की दर पर प्रभारित की जानी है। इसके अतिरिक्त विभाग ने दिसम्बर 2002 में स्पष्ट किया कि स्टोन क्रैशरों द्वारा ग्रीट/ बजरी के एक टन के उत्पादन हेतु सात यूनिटों का विद्युत उपभोग न्यायोचित तथा प्रमाणिक था। इसके अतिरिक्त रॉयल्टी की दरें दिनांक 16.01.2012 की अधिसूचना द्वारा ₹20 से ₹40 प्रति टन तक संशोधित की गई थी। भुगतान की देय तिथि से 60 दिनों से अधिक के लिए रॉयल्टी के भुगतान में चूक के मामले में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

लेखापरीक्षा ने मार्च 2014 तथा जून 2014 के मध्य तीन खनन अधिकारियों⁸ के कार्यालय में रायल्टी के रजिस्ट्रों तथा सात पट्टाधारियों द्वारा दायर विवरणियों की नमूना जांच की और पाया कि 2011-12 से 2012-13 के दौरान इन पट्टाधारियों द्वारा विद्युत की 4,77,697.50 यूनिटों का उपभोग करने के पश्चात रेत, पत्थर तथा एग्रेगेट⁹ के 68,242.49 टन का उत्पादन किया गया था। विभाग द्वारा निर्धारित की गई ₹26.38 लाख की राशि की रॉयल्टी इन पट्टाधारियों से वसूल की जानी अपेक्षित थी लेकिन यह न तो पट्टाधारी द्वारा जमा करवाई गई थी और न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई थी जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक रॉयल्टी की अवसूली हुई। इसके अतिरिक्त, निर्धारित दरों पर ₹3.18 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(ii) इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने मई तथा जून 2014 के मध्य दो खनन अधिकारियों¹⁰ के कार्यालय में रॉयल्टी के रजिस्ट्रों तथा सात पट्टाधारियों द्वारा दायर विवरणियों की नमूना जांच की और पाया कि इन पट्टाधारियों से इनके द्वारा 2011-12 और 2012-13 के दौरान पट्टा क्षेत्र से निकाले गए 96,304 टन क्रशड पत्थर के आधार पर ₹25.74 लाख की रॉयल्टी की वसूली अपेक्षित थी। इसमें से विभाग द्वारा मात्र ₹19.07 लाख की वसूली की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹6.67 लाख की रॉयल्टी की अल्प वसूली हुई, इसके अतिरिक्त ₹2.89 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

इसे इंगित किए जाने (मार्च 2014 तथा जून 2014 के मध्य) पर खनन अधिकारी, बिलासपुर ने सूचित किया (अगस्त 2014) कि दो पट्टाधारियों के सम्बंध में ₹0.12 लाख की राशि की वसूली की गई थी और शेष राशि की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे थे। अन्य खनन अधिकारी ने बताया कि अधिनियम/ नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाही की जाएगी (दिसम्बर 2014)।

6.7.1.2 देर से किए गए रॉयल्टी भुगतान पर ब्याज का अनुद्ग्रहण

लेखापरीक्षा ने मार्च व अप्रैल 2014 के मध्य खनन अधिकारी, ऊना के कार्यालय में रॉयल्टी के रजिस्ट्रों तथा 18 पट्टाधारियों द्वारा दायर विवरणियों की नमूना जांच की और पाया कि इन पट्टाधारियों द्वारा अक्टूबर 2010 से मार्च 2013 की अवधि के लिए ₹60.87 लाख की रॉयल्टी

⁸ खनन अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, कुल्लू और ऊना

⁹ क्रशड पत्थर

¹⁰ खनन अधिकारी बिलासपुर और कांगड़ा स्थित धर्मशाला

विलम्ब से जमा करवाई गई थी। रॉयल्टी जमा करवाने में विलम्ब छः और 311 दिनों के मध्य था। यद्यपि इन पट्टाधारियों से रॉयल्टी के विलंबित भुगतान पर ₹3.61 लाख का ब्याज वसूली योग्य था, तथापि यह विभाग द्वारा प्रभारित नहीं किया गया था।

इसे इंगित किए जाने (मार्च 2014 और अप्रैल 2014 के मध्य) पर खनन अधिकारी, ऊना ने बताया कि चूककर्ताओं को ब्याज की बकाया राशि जमा करवाने के लिए सूचनाएं जारी की जाएंगी। आगे, वसूली पर प्रतिवेदन और उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

6.7.1.3 निष्क्रिय किराया और ब्याज

हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) संशोधित नियमावली 1971 के अनुसार एक पट्टाधारी द्वारा पट्टा क्षेत्र का निष्क्रिय किराया अथवा पट्टा क्षेत्र से निकाले गए खनिज से देय रॉयल्टी, जो भी अधिक हो, भुगतान योग्य होगी।

लेखापरीक्षा ने मार्च 2014 और जून 2014 के मध्य छः खनन अधिकारियों¹¹ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि 22 पट्टाधारियों¹² ने 62.8885 हेक्टेयर क्षेत्र से 2010-11 से 2012-13 के दौरान कोई उत्पाद नहीं निकाला था। अतः ये पट्टाधारी ₹21.79 लाख का निष्क्रिय किराया भुगतान करने के लिए दायी हैं। इसमें से उन्होंने मात्र ₹5.74 लाख का भुगतान किया था। ₹16.05 लाख के निष्क्रिय किराये की शेष राशि की न तो विभाग द्वारा मांग की गई थी और न ही इसका पट्टाधारी द्वारा भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त निर्धारित दरों पर ₹12.95 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

इसे इंगित किए जाने पर (मार्च 2014 और जून 2014 के मध्य) खनन अधिकारी ने बताया कि चूककर्ताओं को ब्याज की बकाया राशि जमा करवाने के लिए सूचनाएं जारी की जाएंगी। आगे वसूली पर प्रतिवेदन और उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2014)।

6.7.1.4 न्यूनतम किराया और ब्याज

हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) संशोधित नियमावली, 1971 का नियम 21.1 (i) (घ) में प्रावधान है कि जहां इन प्रचलित नियमों के अंतर्गत एक खनन पट्टा दिया या नवीकृत किया जाता है अथवा एक नया पट्टा दिया या नवीकृत किया जाता है, वहां पट्टाधारी को रॉयल्टी तथा निष्क्रिय किराये के साथ ₹200 प्रति एकड़ की दर पर न्यूनतम किराये का भुगतान करना होगा।

लेखापरीक्षा ने मार्च 2014 और जून 2014 के मध्य पांच खनन अधिकारियों¹³ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया कि वर्ष 2009-10 और 2012-13 के मध्य 82 पट्टाधारियों के सम्बंध में 953.35 एकड़ पट्टा क्षेत्र के लिए खनन पट्टे दिए/ नवीकृत किए गए थे। अतः ये पट्टाधारी निर्धारित दरों पर ₹3.02 लाख¹⁴ की राशि के न्यूनतम किराये के भुगतान के लिए दायी थे, इसके

¹¹ खनन अधिकारी बिलासपुर, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, कुल्लू, शिमला, सोलन और ऊना

¹² खनन अधिकारी बिलासपुर: एक पट्टाधारी: ₹6,000, कांगड़ा स्थित धर्मशाला: आठ पट्टाधारी: ₹6.67 लाख, कुल्लू: तीन पट्टाधारी: ₹44,000, शिमला: तीन पट्टाधारी: ₹3.92 लाख, सोलन: पांच पट्टाधारी: ₹13.81 लाख, और ऊना: दो पट्टाधारी: ₹4.10 लाख

¹³ खनन अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, कुल्लू, शिमला, सिरमौर स्थित नाहन और ऊना

¹⁴ खनन अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला: 19 मामले: ₹1.44 लाख, कुल्लू: 28 मामले: ₹0.66 लाख, शिमला: 10 मामले: ₹0.35 लाख, सिरमौर स्थित नाहन: 16 मामले: ₹1.36 लाख और ऊना: नौ मामले: ₹0.90 लाख

अतिरिक्त ₹1.69 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था जिसका न तो पट्टाधारी द्वारा भुगतान किया गया और न ही विभाग द्वारा मांग की गई थी। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक सरकारी राजस्व की उगाही नहीं हुई।

6.7.2 लघु खनिजों के प्रतिभूति निक्षेपों का गैर-अपवर्तन

हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) संशोधित नियमावली, 1971 के नियम 33 में प्रावधान है कि जब एक बोली निश्चित हो जाती है अथवा निविदा स्वीकृत हो जाती है, तब बोली लगाने वाला/ निविदाकर्ता फार्म 'के' में विलेख का निष्पादन करेगा। विलेख का निष्पादन बोली लगाने वाले/ निविदाकर्ता को बोली अथवा निविदा की स्वीकृति की सूचना देने की तिथि से तीन महीनों के अंतर्गत किया जाएगा और यदि संविदाकार/ निविदाकर्ता चूक करता है तो बोली/ निविदा को स्वीकृति देने वाले आदेश रद्द किये जाने के लिए विचारित होंगे तथा उपरोक्त अधिनियम के नियम 30 (2) (iv) और 31 (3) के अंतर्गत भुगतान की गई राशियों, संविदा को निरस्त किया जा सकता है तथा प्रतिभूति निक्षेपों के रूप में भुगतान की गई राशि सरकार को अपवर्तित की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने जून 2014 में खनन अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला के अभिलेख की नमूना जांच में पाया कि 2012-13 से 2014-15 वर्षों के लिए सात संविदाकारों/ निविदाकर्ताओं के सम्बंध में संविदाएं/ निविदाएं दी गई थी। इन संविदाकारों ने देय तिथियों पर संविदा धन की निर्धारित निश्चित किस्तों का भुगतान नहीं किया था। यद्यपि विभाग ने जुलाई 2012 और जुलाई 2013 के मध्य उनकी संविदाओं को निरस्त कर दिया था लेकिन ₹4.90 लाख की प्रतिभूति निक्षेपों के रूप में भुगतान की गई राशि सरकार को अपवर्तित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹4.90 लाख के राज्य सरकार राजस्व का वंचन हुआ।

6.7.3 गैर-कानूनी खनन के अपराध मामलों को अंतिम रूप न दिया जाना

खान तथा खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 4 (1) के साथ पठित 23 ग (1) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में कोई पर्यवेक्षण, अन्वेषण या खनन कार्य इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए खनन पट्टा, पर्यवेक्षण परमिट अथवा एक अन्वेषणकारी लाइसेंस अथवा जैसा भी मामला हो, की शर्तों एवं निबंधनों के अनुरूप तथा अंतर्गत को छोड़कर नहीं करेगा। धारा 23 ग (1) में आगे प्रावधान है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा खनिजों के गैर-कानूनी खनन, स्थानांतरण तथा भंडारण को रोकने के लिए और उससे जुड़े प्रयोजनों के लिए नियम बना सकती है।

लेखापरीक्षा ने जून 2014 में निदेशक (उद्योग) के कार्यालय से सूचना एकत्र की और पाया कि 2010-13 के दौरान खनन अधिकारियों ने गैर-कानूनी खनन परिचालन पर 6,973 औचक निरीक्षण/ निरीक्षण संचालित किए थे और गैर-कानूनी खनन के 4,823 मामले पकड़े थे। इन मामलों में से 2,961 मामलों का निपटारा कर दिया गया था और विभाग द्वारा ₹1.53 करोड़ का जुर्माना लगाया तथा वसूल किया गया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि गैर-कानूनी खनन के शेष 1,862 मामलों में से 1,214 मामले न्यायालय में दायर किए गए थे जिनमें से 775 मामले न्यायालय द्वारा ₹12.99 लाख का जुर्माना लगाकर निपटाए गए थे। विभाग सम्बंधित खनन अधिकारियों द्वारा शेष 648 मामलों में की गई कार्रवाई से अनभिज्ञ था क्योंकि अभिलेखों में इन मामलों के सम्बंध में की

गई कार्रवाई को इंगित करने वाला कुछ नहीं था। इन मामलों में शास्ति, रॉयल्टी अथवा जुर्माना आदि के आधार पर देयों की वसूली का अवसर समय बीतने के साथ क्षीण होता जा रहा था।

इसे इंगित किए जाने पर (जून 2014) विभाग ने जुलाई 2014 में सूचित किया कि लंबित 648 मामलों के सम्बंध में सूचना सम्बंधित खनन अधिकारियों से वांछित थी और लेखापरीक्षा को तदनुसार अभिसूचित कर दिया जाएगा।

6.7.4 लघु खनिजों के बकायों की स्थिति

हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) संशोधित नियमावली, 1971 की धारा 52 में प्रावधान है कि किराया, रॉयल्टी, फीस, संविदा धन अथवा अन्य राशि जो इन नियमों अथवा किसी भी खनन पट्टे या संविदा की शर्तों व निबंधनों के अंतर्गत सरकार को देय है, ऐसे अधिकारी के फार्म-‘एल’ में प्रमाणपत्र पर जैसा कि इस सम्बंध में सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट है, उसी प्रकार वसूल की जाएगी जैसे भू-राजस्व के बकाये वसूल किये जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने मार्च 2014 और जून 2014 के मध्य निदेशक (उद्योग) और सात खनन अधिकारियों से एकत्र की गई सूचना की संवीक्षा में पाया कि 2004-05 से 2012-13 की अवधि के लिए ₹73.96 लाख की राशि वसूली के लिए लंबित थी। बकाया राशि का अवधि-वार विश्लेषण निम्नवत् है:

₹ लाख								
विवरण	10 वर्षों से अधिक		पांच वर्षों से अधिक लेकिन 10 वर्षों से कम		पांच वर्षों से कम		योग	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूली के लिए लंबित राशि	40	37.32	01	2.36	--	--	41	39.68
न्यायालय में/ बट्टे खाते में डालने के लिए लंबित बकाया	--	--	--	--	--	--	--	--
विभागीय स्तर पर लंबित बकाया	30	8.41	05	4.96	18	20.91	53	34.28
योग	70	45.73	06	7.32	18	20.91	94	73.96

स्रोत: विभागीय आंकड़े

94 मामलों में से ₹39.68 लाख की राशि से अंतर्ग्रस्त 41 मामले समाहर्ता को बकाया भू-राजस्व के रूप में राशि की वसूली के लिए सौंपे गए थे। शेष 53 मामलों में अंतर्ग्रस्त ₹34.28 लाख की वसूलियां न तो विभाग द्वारा की गई थी और न ही ये मामले बकाया भू-राजस्व के अंतर्गत समाहर्ता को सौंपे गए थे।

अतः यहां खनिजों के अवशोषण के कम निर्धारण, रॉयल्टी, निष्क्रिय किराये, न्यूनतम किराये की गलत दर लागू करने और ब्याज के अनुद्ग्रहण के कारण ₹55.73 लाख के राजस्व की अवसूली/ अल्पवसूली हुई थी। यहां तक कि संविदा धन की किस्तों का भुगतान न करने के लिए

संविदाकारों के प्रतिभूति निक्षेप अपवर्तित नहीं किए गए थे। गैर-कानूनी खनन के 2011-13 की अवधि के दौरान पकड़े गए 1,862 मामलों में से 1,214 अपराधिक मामले अभी तक लंबित थे।

सरकार और विभाग को उपरोक्त बिन्दु प्रतिवेदित (जुलाई 2014) किए गए थे; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

शिमला
दिनांक

(राम मोहन जौहरी)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

दिल्ली
दिनांक

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

संदर्भ: परिच्छेद-2.3.1: परिचय

बिक्री कर कानूनों के अंतर्गत पंजीकरण, कर निर्धारण तथा बकाया की वसूली के लिए प्रक्रिया

व्यापारियों का पंजीकरण	हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 4 तथा धारा 8 और हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 तथा 14 में प्रावधान है कि कोई भी व्यापारी, इन अधिनियमों के अंतर्गत कर अदायगी के लिए दायी होते हुए, व्यापारी के रूप में व्यवसाय जारी नहीं रखेगा जब तक वह पंजीकृत नहीं है तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र लिये हुए नहीं हैं।
प्रतिभूति/जमानत	हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 11 तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 15 में कर निर्धारण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए रोकड़ निक्षेपों, एफ0डी0आर0 इत्यादि के रूप में प्रतिभूति प्राप्त करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, एक व्यापारी के लिए दो जमानतों के साथ व्यक्तिगत बंद पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
कर तथा विवरणियों की अदायगी	हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 12 तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 में एक व्यापारी के लिए निक्षेपित कर की कोषागार रसीद के साथ अपनी मासिक/तिमाही विवरणी दायर करनी अनिवार्य होती है।
व्यापारी की विवरणियों का निर्धारण/संवीक्षा	हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली के नियम 66 में संवीक्षा के लिए मामलों के चयन का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर नियमावली के नियम 34 तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली के नियम 67 में व्यापारी को कर निर्धारण के लिए सूचना जारी करने का प्रावधान है।
कर मांग सूचना	हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर नियमावली के नियम 47 तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली के नियम 70 में निर्धारित समय के भीतर (न तो 15 दिनों से कम और न ही 30 दिनों से अधिक) कर मांग सूचना देने का प्रावधान है।
बकाया	यदि व्यापारी कर मांग सूचना में निर्धारित समय के भीतर देय कर की अदायगी में विफल हो जाता है तो ऐसी भुगतान न की गई मांगों बकाया का निर्माण करती हैं।
बिक्री कर कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध वसूली उपाय	हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 16, 16-क, 16-ख, 28-क तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 25, 26, 27, 41 तथा 42 में प्रोद्भूत सरकारी देयों की वसूली के लिए विभिन्न उपाय अपनाने का प्रावधान है। नियमों में व्यापारी द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिभूति के अपवर्तन द्वारा वसूली का प्रावधान है।
भू-राजस्व के बकाया के रूप में बकाया की वसूली	हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत सरकारी देयों की वसूली कोई एक अथवा अधिक प्रक्रियाओं जैसे चूककर्ता पर रिट मांग सेवा, कैद तथा कारावास, चल सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री, परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा कुर्की अथवा चूककर्ता की चल सम्पत्ति के प्रति धारणा एवं कार्रवाइयां, अपनाते हुए की जा सकती हैं।

परिशिष्ट-II

संदर्भ: परिच्छेद-2.3.6.1: बकाया का अल्प लेखाकरण

क्रमांक	इकाई का नाम	मामलों की संख्या	के बीच की अवधि से सम्बंधित बकाया	बकाया की राशि (₹ करोड़)	कारण
1	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बी.बी.एन. बर्दी	23	सितम्बर 2010 तथा अक्टूबर 2011	0.09	मार्च 2013 तक बकाया में बकाया की गणना नहीं थी/अल्प गणना थी।
		4	मार्च 1996 तथा अक्टूबर 2011	1.33	बकाया भू-राजस्व की फाइलों के अनुसार बकाया ₹18.02 करोड़ था किन्तु यह ₹16.69 करोड़ के रूप में प्रतिवेदित किया जा रहा था।
		--	अप्रैल 2009 तथा मार्च 2013	3.88	आयुक्त को ₹92.98 करोड़ बकाया प्रतिवेदित (मार्च 2013) किया गया था किन्तु दलवार बकाया सूची के अनुसार इसकी गणना ₹96.86 करोड़ की गई।
			अगस्त 2009 तथा मार्च 2013	2.38	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन. बर्दी, कार्यालय के सृजन के बाद अधिकार क्षेत्र में हुए परिवर्तन के परिणामस्वरूप ₹41.18 करोड़ का बकाया सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त सोलन द्वारा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बी.बी.एन. बर्दी, को हस्तांतरित किया गया था जिसकी ₹38.80 करोड़ के रूप में अभिलेखों के साथ-साथ विभागाध्यक्ष को अग्रेषित विवरण में गणना की गई थी।
2	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर	4	अगस्त 2003 तथा दिसम्बर 2010	0.09	राशि निपटान पंजिका में शेष थी किन्तु इसकी बकाया पंजिका में गणना नहीं की गई थी।
3	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हमीरपुर	2	मार्च 2010 तथा मार्च 2011	0.03	उपरोक्त
4	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला	18	सितम्बर 2008 तथा दिसम्बर 2012, अप्रैल 2008 तथा मार्च 2013	0.01	उपरोक्त
		22		0.04	बकाया पंजिका में बकाया या तो आगे बढ़ाया नहीं गया था या कम आगे बढ़ाया गया था।
5	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, नाहन	23	मई 2008 तथा अगस्त 2012	0.21	राशि निपटान पंजिका में शेष थी किन्तु इसकी बकाया पंजिका में गणना नहीं की गई थी।
6	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना	108	अगस्त 2008 तथा मार्च 2013	0.63	उपरोक्त
		12	अप्रैल 2008 तथा मार्च 2013	0.05	बकाया भू-राजस्व पंजिका के अनुसार शेष बकाया ₹92.59 लाख था किन्तु यह मार्च 2013 तक बकाया पंजिका में ₹87.96 लाख दर्शाया गया था।
7	उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (दक्षिणी क्षेत्र)	10	अगस्त 2009 तथा जून 2012, मई 2011 तथा नवम्बर 2011	1.23	राशि निपटान पंजिका में शेष थी किन्तु इसकी बकाया पंजिका में गणना नहीं की गई थी।
		4		0.96	(क) ₹21.19 लाख की मांग की अल्प गणना की गई थी; (ख) आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा उठाई गई ₹37.40 लाख की मांग और आबकारी एवं कराधान आयुक्त के पास अपील में लंबित ₹36.97 लाख की मांग बकाया पंजिका में दर्ज नहीं की गई थी; (ग) वसूली के लिए शेष ₹0.87 लाख की मांग बकाया पंजिका में नगण्य दर्शाई गई थी।
		1	अगस्त 2002	0.01	मार्च 2013 तक बकाया सूची में ₹9,47,517 की मांग की गणना ₹8,50,520 के रूप में की गई थी।
8	उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता), उत्तरी क्षेत्र	6	सितम्बर 1998 तथा फरवरी 2007	0.04	बकाया वसूली के लिए कांगड़ा के सर्कल कार्यालय को हस्तांतरित किया गया था किन्तु इसकी गणना उस कार्यालय में नहीं की गई थी और किसी भी अभिलेख में बकाया के रूप में दर्शाया भी नहीं गया था।
योग		237		10.98	

परिशिष्ट-III

संदर्भ: परिच्छेद-2.3.6.1: बकाया का अल्प लेखाकरण

क्रमांक	इकाई का नाम	मामलों की संख्या	बकाया की राशि (₹ लाख)	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
1	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर	3	2.98	मार्च 2013 तक बकाया में ₹24.00 लाख के रूप में ₹26.98 लाख के बकाया की गलत गणना।
2	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हमीरपुर	1	2.79	बकाया पंजिका में दो बार ₹2.79 लाख के बकाया की गणना की गई थी।
3	उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता), दक्षिणी क्षेत्र परवाणू	1	18.36	बकाया होटलों तथा लग्जरी कर पर करों के अंतर्गत वसूली योग्य था जिसकी मूल्य वर्धित कर के अंतर्गत गलत गणना हुई थी।
		1	0.42	आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा उसके सितम्बर 2010 के आदेशों द्वारा मांग दबा दी गई थी किन्तु इसकी बकाया की पंजिका में गणना नहीं की गई थी।
योग		6	24.55	

परिशिष्ट-IV

संदर्भ: परिच्छेद-2.3.6.2: मांग तथा संग्रहण पंजिका का गैर अनुरक्षण

क्रमांक	राजस्व जिला	कार्यालय/सर्कल का नाम	टिप्पणियां
1.	बी.बी.एन. बद्दी	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बी.बी.एन. बद्दी	अगस्त 2009 से मार्च 2012 की अवधि के लिए वर्षवार केन्द्रीकृत बकाया पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
		नालागढ़ I एवं II सर्कल	अप्रैल 2008 से मार्च 2012 की अवधि के लिए बकाया पंजिकाएं अनुरक्षित नहीं की गई थी।
		बी.बी.एन. बद्दी I एवं II सर्कल	यह बताया गया था कि 73 चूककर्ताओं के मामले में बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूली के लिए ₹51.37 करोड़ की राशि घोषित की गई थी। लेकिन ऐसे बकाया के अनुश्रवण हेतु कोई पंजिका अनुरक्षित नहीं की गई थी।
2.	ऊना	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना	अप्रैल 2008 से मार्च 2012 की अवधि के लिए वर्षवार केन्द्रीकृत बकाया पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
		बंगाणा सर्कल	वर्षवार बकाया पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
		मेहतपुर सर्कल	2010-11 के बाद से बकाया पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।
3.	उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता), दक्षिणी क्षेत्र	--	2009-10 के बाद से बकाया पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

परिशिष्ट-V

संदर्भ: परिच्छेद-2.8.1: अवैध, डूप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण/दुरुपयोग- प्रपत्र-‘सी’

इकाई का नाम	फर्म का नाम मैसर्ज	कर निर्धारण का वर्ष कर निर्धारण की तिथि	छूट प्राप्त कुल बिक्री पर उद्ग्राह्य कर की विभेदक राशि	हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 19 (i) के अंतर्गत उद्ग्रहण योग्य व्याज	कुल	प्रपत्र के नकारे जाने के कारण
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बी.बी.एन. बददी	मेडन फार्मास्युटिकल्स	2007-08 05.06.2013	321598	340894	662492	प्रपत्र डूप्लीकेट प्रति थे (2 प्रपत्र)
	जिंदल बिलटेक प्रा0लि0	2007-08 12.03.2013	1229917	1303712	2533629	एक प्रपत्र डूप्लीकेट प्रति था तथा अन्य अपूर्ण था (1+1=2 प्रपत्र)
	बी0डी0एस0 डेकर एण्ड प्रिफेब (पी) लि0	2007-08 30.03.2012	246819	261628	508447	प्रपत्र डूप्लीकेट प्रति था (1 प्रपत्र)
	रेगालिया लेमिनेट्स	2006-07 --	244058	258702	502760	प्रपत्रों में नई दिल्ली का गलत पता था (15 प्रपत्र)
		2007-08 14.03.2013	132264	140200	272464	प्रपत्रों की डूप्लीकेट प्रतियां जमा करवाई गई थी (2 प्रपत्र)
	4 व्यापारी	5 मामले	2174656	2305136	4479792	22 प्रपत्र
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, कुल्लू	पुरी ब्रदर्स कुल्लू	2006-07 14.03.2011	51227	63522	114749	प्रपत्र डूप्लीकेट प्रति थे (4 प्रपत्र)
		2007-08 16.03.2012	36800	39008	75808	प्रपत्र डूप्लीकेट प्रति थे (5 प्रपत्र)
	1 व्यापारी	2 मामले	88027	102530	190557	9 प्रपत्र
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी	फार्मेन्टा बायोटेक लि0	2009-10 28.08.12	79816	55871	135687	प्रपत्रों में ठाणे, मुम्बई तथा जम्मू एवं कश्मीर का गलत पता था (7 प्रपत्र)
	1 व्यापारी	1 मामले	79816	55871	135687	7 प्रपत्र
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन	क्वांटम पावर सिस्टम्स, परवाणु	2010-11 08.06.2012	1123860	584407	1708267	प्रपत्र के प्रति सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद के रूप में टिकट मशीन की बिक्री हुई (एक प्रपत्र)
	1 व्यापारी	1 मामले	1123860	584407	1708267	1 प्रपत्र
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना	निप्सो पोल फैब्रिक, लि0	2007-08	87749	93014	180763	प्रपत्रों में गलत पता था (3 प्रपत्र)
		2008-09 05.06.2012	2370	2086	4456	
		2009-10 03.01.2013	5084	3559	8643	
	1 व्यापारी	3 मामले	95203	98659	193862	
8 व्यापारी		12 मामले	3561362	3146601	6708165	42 प्रपत्र
कुल बिक्री छूट (₹ लाख)			₹35.61	₹31.47	₹67.08	

परिशिष्ट-VI

संदर्भ: परिच्छेद-2.8.2: अवैध तथा डूप्लीकेट प्रपत्र-‘एफ’

इकाई का नाम	फर्म का नाम	कर निर्धारण का वर्ष कर निर्धारण की तिथि	छूट प्राप्त कुल बिक्री पर उद्ग्राह्य कर की विभेदक राशि	हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 19 (i) के अंतर्गत उद्ग्रहण योग्य ब्याज	कुल	प्रपत्र के नकारे जाने के कारण
	मैसर्ज					
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बी.बी.एन. बद्दी	बी०डी०एस० डेकर एण्ड प्रिफेब (पी) लि०	2007-08 30.03.2012	556959	590377	1147336	प्रपत्र डूप्लीकेट प्रति थे (2 प्रपत्र)
	विम प्लास्ट लि०	2007-08 15.05.2013	45829	48579	94407	प्रपत्र एक से अधिक मास के लेन-देन आवृत कर रहे थे (2 प्रपत्र)
सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना	तारा मण्डल मिक्स प्रा० लि०	2006-07 03.07.2012	265990	329828	595818	प्रपत्र एक से अधिक मास के लेन-देन आवृत कर रहे थे (3 प्रपत्र)
3 व्यापारी/मामले			868778	968784	1837561	7 प्रपत्र
कुल बिक्री छूट (₹ लाख)			₹8.69	₹9.69	₹18.38	